

## वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान वेतन से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश

परिपत्र संख्या 29/2017 [एफ.सं.275/192/2017-आईटी(बी)] , दिनांक 5-12-2017

दिनांक 02.01.2017 के परिपत्र संख्या 01/2017 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 192 के अंतर्गत "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत आय के भुगतान से आयकर कटौती की दरें सूचित की गई थीं। वर्तमान परिपत्र में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत देय आय के भुगतान से आयकर कटौती की दरें शामिल हैं और अधिनियम तथा आयकर नियम, 1962 (इसके बाद नियम कहा जाएगा) के कुछ संबंधित प्रावधानों की व्याख्या की गई है। संबंधित अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अधिसूचनाएँ आयकर विभाग की वेबसाइट [www.incometaxindia.gov.in](http://www.incometaxindia.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

### 2. वित्त अधिनियम, 2017 के अनुसार आयकर की दरें:

वित्त अधिनियम, 2017 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 (अर्थात् निर्धारण वर्ष 2018-19) के लिए "वेतन" मद के अंतर्गत प्रभार्य आय से अधिनियम की धारा 192 के अंतर्गत निम्नलिखित दरों पर आयकर की कटौती की जानी आवश्यक है:

#### 2.1 कर की दरें

##### क. कर की सामान्य दरें:

क्रम सं.	कुल आय	कर की दर
1	जहां कुल आय 2,50,000/- रुपये से अधिक न हो	शून्य
2	जहां कुल आय 2,50,000/- रुपये से अधिक है, लेकिन 5,00,000/- रुपये से अधिक नहीं है।	कुल आय 2,50,000/- रुपये से अधिक राशि का 5 प्रतिशत
3	जहां कुल आय 5,00,000/- रुपये से अधिक है, लेकिन 10,00,000/- रुपये से अधिक नहीं है।	12,500/- रुपये तथा कुल आय 5,00,000/- रुपये से अधिक होने पर 20 प्रतिशत राशि।
4	जहां कुल आय 10,00,000/- रुपये से अधिक हो	1,12,500/- रुपये और उस राशि का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 10,00,000/- रुपये से अधिक हो

ख. भारत में निवासी प्रत्येक व्यक्ति के लिए कर की दरें, जो वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय साठ वर्ष या उससे अधिक किन्तु अस्सी वर्ष से कम आयु का हो:

क्रम संख्या	कुल आय	कर की दर
1	जहां कुल आय 3,00,000/- रुपये से अधिक न हो	शून्य
2	जहां कुल आय 3,00,000 रुपये से अधिक है, लेकिन 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है	कुल आय 3,00,000/- रुपये से अधिक राशि का 5 प्रतिशत
3	जहां कुल आय 5,00,000/- रुपये से अधिक है, लेकिन 10,00,000/- रुपये से अधिक नहीं है	10,000/- रुपये तथा कुल आय 5,00,000/- रुपये से अधिक होने पर राशि का 20 प्रतिशत।
4	जहां कुल आय 10,00,000/- रुपये से अधिक हो	1,10,000/- रुपये और उस राशि का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 10,00,000/- रुपये से अधिक हो

सी. भारत में निवासी प्रत्येक व्यक्ति के मामले में, जो वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का हो:

क्रम संख्या	कुल आय	कर की दर
1	जहां कुल आय 5,00,000/- रुपये से अधिक न हो	शून्य
2	जहां कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक है, लेकिन 10,00,000 रुपये से अधिक नहीं है	कुल आय 5,00,000/- रुपये से अधिक राशि का 20 प्रतिशत
3	जहां कुल आय 10,00,000/- रुपये से अधिक हो	1,00,000/- रुपये और उस राशि का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 10,00,000/- रुपये से अधिक हो

## 2.2 आयकर पर अधिभार:

इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों या अधिनियम की धारा 111ए या धारा 112 के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई आयकर की राशि, प्रत्येक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या व्यक्तियों के संघ या व्यक्तियों के निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उप-खंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के मामले में, निम्नानुसार होगी:

- (ए) कुल आय पचास लाख रुपये से अधिक किन्तु एक करोड़ रुपये से अधिक न हो, ऐसे आयकर के दस प्रतिशत की दर से और
- (बी) कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक होने पर, ऐसे आयकर के पंद्रह प्रतिशत की दर से:

बशर्ते कि ऊपर वर्णित व्यक्तियों के मामले में जिनकी कुल आय निम्नलिखित से अधिक हो -

- (ए) पचास लाख रुपये से अधिक किन्तु एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं, ऐसी आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि पचास लाख रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से पचास लाख रुपये से अधिक आय की राशि से अधिक नहीं होगी;
- (बी) एक करोड़ रुपये से अधिक की आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि, एक करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से एक करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

### आयकर पर शिक्षा उपकर :

आयकर की राशि, जिसमें अधिभार (यदि कोई हो) भी शामिल है, आयकर पर दो प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर द्वारा बढ़ाई जाएगी।

### आयकर पर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर :

अतिरिक्त शिक्षा उपकर आयकर के एक प्रतिशत की दर से प्रभार्य है, जिसमें अधिभार, यदि कोई हो, शामिल है, लेकिन इसमें 2.3.1 के अनुसार आयकर पर शिक्षा उपकर शामिल नहीं है।

## 3. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192: "वेतन" से स्रोत पर कर कटौती की व्यापक योजना:

### 3.1 कर गणना की विधि:

प्रत्येक व्यक्ति जो "वेतन" मद के अंतर्गत प्रभार्य किसी भी आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है, उसे वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए "वेतन" मद के अंतर्गत करदाता की अनुमानित आय पर आयकर की कटौती करनी होगी। आयकर की गणना ऊपर दी गई दरों के आधार पर की जानी आवश्यक है, जो अधिनियम की धारा 206AA के अनुसार पैन प्रस्तुत करने की आवश्यकता से संबंधित प्रावधानों के अधीन है, और प्रत्येक भुगतान के समय कटौती की जाएगी। हालाँकि, किसी भी मामले में स्रोत पर कोई कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि वित्तीय वर्ष के लिए अनुलाभों के मूल्य सहित अनुमानित वेतन आय, कर्मचारी की आयु के आधार पर, जैसा भी मामला हो, 2,50,000/- रुपये या 3,00,000/- रुपये या 5,00,000/- रुपये से अधिक न हो। ( कर की गणना के कुछ विशिष्ट उदाहरण अनुलग्नक-I में दिए गए हैं )।

### 3.2 नियोक्ता द्वारा अनुलाभों पर कर का भुगतान:

नियोक्ता को कर्मचारी को दिए जाने वाले गैर-मौद्रिक लाभों पर कर का भुगतान करने का विकल्प दिया गया है। नियोक्ता, अपनी इच्छानुसार, कर्मचारी के वेतन से कोई टीडीएस काटे बिना, ऐसे लाभों पर कर का भुगतान स्वयं कर सकता है। हालाँकि, नियोक्ता को उस समय कर का भुगतान करना होगा जब ऐसा कर अन्यथा कटौती योग्य था, अर्थात् कर्मचारी को "वेतन" मद के अंतर्गत देय आय के भुगतान के समय।

#### 3.2.1 औसत आयकर की गणना:

उपर्युक्त पैरा 3.2 में उल्लिखित कर का भुगतान करने के प्रयोजन के लिए, कर का निर्धारण वित्तीय वर्ष के लिए लागू दर के आधार पर गणना किए गए आयकर के औसत पर किया जाना है, जो कि "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य आय पर लागू होता है, जिसमें उन अनुलाभों का मूल्य भी शामिल है, जिनके लिए नियोक्ता द्वारा स्वयं कर का भुगतान किया गया है।

#### 3.2.2 उदाहरण:

साठ वर्ष से कम आयु के कर्मचारी के लिए "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत वर्ष के लिए प्रभार्य आय, सभी सुविधाओं सहित, 4,50,000/- रुपये है, जिसमें से 50,000/- रुपये गैर-मौद्रिक सुविधाओं के कारण है और नियोक्ता उपरोक्त पैरा 3.2 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ऐसी सुविधाओं पर कर का भुगतान करने का विकल्प चुनता है।

### चरण:

सभी सुविधाओं सहित "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य आय

₹. 4,50,000/-

कुल वेतन पर कर ( उपकर सहित )	₹. 10,300/-
कर की औसत दर [(10,300/4,50,000) X 100]	2.29%
50,000 रुपये पर देय कर (50,000 का 2.29%)	₹. 1145/-
प्रत्येक माह जमा की जाने वाली आवश्यक राशि	95 रुपये ((95.42 रुपये) =1145/12)

नियोक्ता द्वारा इस प्रकार भुगतान किया गया कर, कर्मचारी के वेतन से काटा गया टी.डी.एस. माना जाएगा।

#### एक से अधिक नियोक्ता से वेतन :

धारा 192(2) उन स्थितियों से संबंधित है जहाँ कोई व्यक्ति एक से अधिक नियोक्ताओं के अधीन काम कर रहा है या एक नियोक्ता से दूसरे नियोक्ता में बदल गया है। यह ऐसे नियोक्ता (जैसा कि करदाता चुन सकता है) द्वारा उस कर्मचारी के कुल वेतन से स्रोत पर कर की कटौती का प्रावधान करता है, जो एक से अधिक नियोक्ताओं से वेतन प्राप्त कर रहा है या करता रहा है। कर्मचारी को अब वर्तमान/चुने हुए नियोक्ता को पूर्व/अन्य नियोक्ता से प्राप्त या देय "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत आय का विवरण और उस पर स्रोत पर काटे गए कर का विवरण लिखित रूप में और उसके और पूर्व/अन्य नियोक्ता द्वारा विधिवत सत्यापित रूप में प्रस्तुत करना होगा। वर्तमान/चुने हुए नियोक्ता को वेतन की कुल राशि (पूर्व या अन्य नियोक्ता से प्राप्त वेतन सहित) पर स्रोत पर कर की कटौती करनी होगी।

#### 3.4 बकाया या अग्रिम वेतन भुगतान पर राहत:

**3.4.1** धारा 192(2ए) के तहत जहाँ करदाता, सरकारी कर्मचारी या किसी कंपनी, सहकारी समिति, स्थानीय प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, संस्थान, संघ या निकाय में कर्मचारी होने के नाते धारा 89 (1) के तहत राहत का हकदार है, वह पैरा (3.1) में निर्दिष्ट भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को फॉर्म नंबर 10ई में ऐसे विवरण प्रस्तुत कर सकता है, जो उसके द्वारा विधिवत सत्यापित हो, और उसके बाद जिम्मेदार व्यक्ति, जैसा कि पूर्वोक्त है, ऐसे विवरणों के आधार पर राहत की गणना करेगा और उपरोक्त पैरा (3.1) के तहत कटौती करने में इसे ध्यान में रखेगा।

यहां "विश्वविद्यालय" से तात्पर्य किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय से है, तथा इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन उस अधिनियम के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय घोषित संस्थान भी शामिल है।

**3.4.2** 1/04/2010 (एवाई 2010-11) से, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की किसी योजना या योजनाओं के अनुसार या धारा 10(10सी)(i) (नियम 2बीए के साथ पढ़ें) में निर्दिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के मामले में, स्वैच्छिक पृथक्करण की किसी योजना के अनुसार, किसी करदाता द्वारा उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या उसकी सेवा की समाप्ति पर प्राप्त या प्राप्य किसी भी राशि के संबंध में ऐसी कोई राहत प्रदान नहीं की जाएगी, यदि करदाता द्वारा ऐसे या किसी अन्य कर निर्धारण वर्ष के संबंध में धारा 10(10सी) के तहत ऐसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या उसकी सेवा की समाप्ति या स्वैच्छिक पृथक्करण पर प्राप्त या प्राप्य किसी भी राशि के संबंध में छूट का दावा किया गया है।

#### 3.5 किसी अन्य शीर्षक के अंतर्गत आय से संबंधित जानकारी:

(i) धारा 192(2बी) करदाता को उसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त "वेतन" ( जो "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत हानि के अतिरिक्त किसी अन्य शीर्षक के अंतर्गत हानि न हो) के अलावा किसी अन्य शीर्षक के अंतर्गत आय और उस पर स्रोत पर काटे गए किसी भी कर का विवरण प्रस्तुत करने में सक्षम बनाती है। अब ये विवरण एक साधारण विवरण में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिस पर करदाता द्वारा नियमों के नियम 26 बी(2) के अंतर्गत निर्धारित तरीके से उचित रूप से हस्ताक्षर और सत्यापन किया जाएगा और उसे साधारण विवरण के साथ संलग्न किया जाएगा। सत्यापन का प्रपत्र निम्नानुसार है:

मैं, . . . . . ( करदाता का नाम ), घोषणा करता हूँ कि ऊपर जो कुछ कहा गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

यह दोहराया जाता है कि डीडीओ केवल "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत ही किसी भी हानि को ध्यान में रख सकता है। डीडीओ द्वारा कटौती योग्य कर की राशि की गणना के लिए किसी अन्य शीर्षक के अंतर्गत हानि पर विचार नहीं किया जा सकता है।

यह ध्यान देने योग्य है कि वित्त अधिनियम, 2017 के तहत अधिनियम की धारा 71 में संशोधन के मद्देनजर "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के तहत नुकसान को किसी अन्य आय शीर्षक के तहत आय के साथ केवल 2.00 लाख रुपये तक ही समायोजित किया जा सकता है। इसलिए, कर कटौती की राशि की गणना के लिए 2.00 लाख रुपये से अधिक के "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के तहत नुकसान को नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

#### 3.6 "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना :

गृह संपत्ति से होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए, डीडीओ यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारी ऊपर उल्लिखित घोषणा पत्र दाखिल करे और उसके साथ गृह संपत्ति से हुए नुकसान की गणना संलग्न करे। नियोक्ता द्वारा "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत दावा किए गए नुकसान के संबंध में प्रत्येक गृह संपत्ति के लिए अलग से निम्नलिखित विवरण प्राप्त किए जाएँगे और रखे जाएँगे:

- ( ए ) सकल वार्षिक किराया/मूल्य
- ( बी ) भुगतान किए गए नगरपालिका कर, यदि कोई हों
- ( सी ) भुगतान किए गए ब्याज के लिए दावा की गई कटौती, यदि कोई हो
- ( डी ) अन्य कटौतियों का दावा
- ( ई ) संपत्ति का पता

डीडीओ को धारा 192 (2डी) के साथ पठित नियम 26सी में निर्दिष्ट ब्याज की कटौती के संबंध में फॉर्म संख्या 12बीबी में साक्ष्य या विवरण प्रस्तुत करना भी सुनिश्चित करना होगा।

से आय की गणना के लिए उधार ली गई पूंजी पर ब्याज की कटौती के दावे की शर्तें [धारा 24(बी)]:

अधिनियम की धारा 24(बी) उधार ली गई पूंजी पर ब्याज पर आवास संपत्ति से आय में कटौती की अनुमति देती है :-

- ( में ) यह कटौती केवल उस गृह संपत्ति के मामले में दी जाती है जो कर्मचारी के स्वामित्व में हो और उसके अपने निवास के लिए उसके कब्जे में हो। हालाँकि, यदि कर्मचारी का रोजगार स्थान किसी अन्य स्थान पर होने के कारण वास्तव में उस स्थान पर कर्मचारी का कब्जा नहीं है, तो उस अन्य स्थान पर उसका निवास उसके स्वामित्व वाले भवन में नहीं होना चाहिए।

- ( ii ) नीचे दी गई तालिका के अनुसार कटौती की मात्रा अनुमत है:

क्रम सं.	पूंजी उधार लेने का उद्देश्य	पूंजी उधार लेने की तिथि	अधिकतम स्वीकार्य कटौती
1	घर की मरम्मत या नवीनीकरण या पुनर्निर्माण	किसी भी समय	रु. 30,000/-
2	घर का अधिग्रहण या निर्माण	01.04.1999 से पहले	रु. 30,000/-
3	घर का अधिग्रहण या निर्माण	01.04.1999 को या उसके बाद	रु. 1,50,000/- ( निर्धारण वर्ष 2014-15 तक ) रु. 2,00,000/- (आयु वर्ष 2015-16 से प्रभावी)

उपरोक्त क्रमांक 3 के मामले में

- ( ए ) मकान का अधिग्रहण या निर्माण उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 5 वर्षों के भीतर पूरा होना चाहिए जिसमें पूंजी उधार ली गई थी। इसलिए, डीडीओ के पास उस मकान की संपत्ति का पूर्णता प्रमाण पत्र होना आवश्यक है जिसके विरुद्ध कटौती का दावा बिल्डर से या कर्मचारी द्वारा स्व-घोषणा के माध्यम से किया जाता है।
- ( बी ) तक के लिए कोई भी पूर्व अवधि ब्याज (अधिनियम की किसी अन्य धारा के तहत कटौती के रूप में अनुमत ब्याज के किसी भी हिस्से से कम) संबंधित वित्तीय वर्ष और उसके बाद के चार वित्तीय वर्षों के लिए समान किस्तों में काटा जाएगा।
- ( सी ) कर्मचारी को डीडीओ के समक्ष उस व्यक्ति से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसे उधार ली गई पूंजी पर ब्याज देय है, जिसमें देय ब्याज की राशि का उल्लेख हो। यदि पहले लिए गए ऋण को चुकाने के लिए नया ऋण लिया जाता है, तो प्रमाण पत्र में चुकाए गए ऋण के मूलधन और ब्याज का विवरण भी दर्शाया जाना चाहिए।

### 3.7 कटौती की अधिकता या कमी के लिए समायोजन:

धारा 192(3) के प्रावधान कटौतीकर्ता को वित्तीय वर्ष के दौरान पहले से की गई कर कटौती में किसी भी अतिरिक्त या कमी के लिए उस कर्मचारी के लिए उसी वित्तीय वर्ष के भीतर बाद की कटौतियों में समायोजन करने की अनुमति देते हैं।

### 3.8 विदेशी मुद्रा में भुगतान किया गया वेतन:

विदेशी मुद्रा में देय वेतन पर कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए, ऐसे वेतन का रूप में मूल्य उस मुद्रा की "टेलीग्राफिक ट्रांसफर खरीद दर" पर उस तिथि को परिकलित किया जाएगा, जिस तिथि को स्रोत पर कर की कटौती अपेक्षित है (नियम 26 देखें)।

### 4. कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति और उनके कर्तव्य:

i) के अनुसार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा किए गए भुगतानों के अलावा अन्य भुगतानों के संदर्भ में, धारा 192 के प्रयोजनार्थ "भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति" का तात्पर्य स्वयं नियोक्ता से है, या यदि नियोक्ता एक कंपनी है, तो कंपनी स्वयं, जिसमें उसका प्रधान अधिकारी भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, धारा 204(iv) के अनुसार, यदि जमा किया गया भुगतान, या जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से किया जाता है, तो डीडीओ या कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, जो ऐसी राशि जमा करने या भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, धारा 192 के प्रयोजनार्थ

"भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति" है।

4.2. पैरा 9 के अनुसार निर्धारित कर अधिनियम की धारा 192 के अंतर्गत वेतन से काटा जाना चाहिए।

#### 4.3. कम दर पर कर कटौती:

यदि करदाता का क्षेत्राधिकार प्राप्त टीडीएस अधिकारी, करदाता द्वारा फॉर्म संख्या 13 में उसके समक्ष प्रस्तुत आवेदन के प्रत्युत्तर में, अधिनियम की धारा 197 के अंतर्गत कर की कोई कटौती नहीं या कम कटौती का प्रमाण पत्र जारी करता है; तो डीडीओ को ऐसे प्रमाण पत्र को ध्यान में रखना चाहिए और उसमें उल्लिखित दरों पर देय वेतन पर कर की कटौती करनी चाहिए। (नियम 28एए देखें)। प्रमाण पत्र की विशिष्ट पहचान संख्या को टीडीएस के त्रैमासिक विवरण (फॉर्म 24क्यू) में दर्ज करना आवश्यक है।

#### 4.4. काटा गया कर जमा:

नियम 30 में स्रोत पर काटे गए कर का केन्द्रीय सरकार के खाते में भुगतान का समय और तरीका निर्धारित किया गया है।

##### 4.4.1 टीडीएस भुगतान की नियत तिथियां:

केंद्र सरकार के खाते में टीडीएस के भुगतान/जमा का निर्धारित समय निम्नानुसार है:

(क) सरकारी कार्यालय के मामले में :

क्रम सं.	विवरण	जमा करने की अंतिम तिथि.
1	चालान के बिना जमा किया गया कर [बुक एंट्री]	एक ही दिन
2	चालान के साथ जमा किया गया कर	अगले महीने की 7 तारीख
3	नियोक्ता द्वारा जमा किए जाने वाले अनुलाभों पर कर	अगले महीने की 7 तारीख

(ख) सरकारी कार्यालय के अलावा किसी भी मामले में

क्रम सं.	विवरण	जमा करने की अंतिम तिथि.
1	मार्च में कर कटौती	अगले वित्तीय वर्ष की 30 अप्रैल
2	किसी अन्य महीने में काटा गया कर	अगले महीने की 7 तारीख
3	नियोक्ता द्वारा जमा किए जाने वाले अनुलाभों पर कर	अगले महीने की 7 तारीख

तथापि, यदि कोई डीडीओ धारा 192 के अंतर्गत टीडीएस के त्रैमासिक भुगतान की अनुमति के लिए क्षेत्राधिकार वाले अतिरिक्त/संयुक्त आयकर आयुक्त के समक्ष आवेदन करता है, तो नियम 30(3) त्रैमासिक आधार पर और नीचे दी गई तालिका में दिए गए समय के अनुसार भुगतान की अनुमति देता है:

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष की तिमाही समाप्त हो गई	त्रैमासिक भुगतान की तिथि
1	30 जून	7 जुलाई
2	30 सितंबर	7 अक्टूबर
3	31 दिसंबर	7 जनवरी
4	31 मार्च	अगले वित्तीय वर्ष की 30 अप्रैल

#### 4.4.2 टीडीएस भुगतान का तरीका

धारा 200 (2ए) के तहत बुक एंट्री द्वारा टीडीएस के भुगतान के मामले में पीएओ, ट्रेजरी अधिकारी आदि द्वारा विवरण दाखिल करना अनिवार्य है :

सरकार के किसी कार्यालय के मामले में, जहां चालान [ बुक एंट्री ] प्रस्तुत किए बिना केंद्रीय सरकार के खाते में कर का भुगतान किया गया है , वेतन और लेखा अधिकारी या कोषागार अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी या किसी भी नाम से पुकारा जाने वाला कोई अन्य व्यक्ति, जिसे कटौतीकर्ता काटे गए कर के बारे में रिपोर्ट करना है और जो केंद्रीय सरकार के खाते में ऐसी राशि जमा करने के लिए जिम्मेदार है, वह-

( ए ) धारा 200 (2ए) के तहत फॉर्म संख्या 24जी में विवरण अप्रैल की 30 तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत करना होगा; और किसी अन्य मामले में, प्रासंगिक महीने के अंत से 15 दिन पहले आयकर महानिदेशक (सिस्टम) [टीआईएन सुविधा केंद्र जो वर्तमान में मेसर्स नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड द्वारा प्रबंधित हैं ] द्वारा अधिकृत एजेंसी को कटौतीकर्ताओं द्वारा काटे गए कर और उस महीने के लिए उन्हें रिपोर्ट किए गए कर के संबंध में प्रस्तुत करना होगा; और

( बी ) एजेंसी द्वारा जनित संख्या (जिसे आगे बही पहचान संख्या या बीआईएन कहा जाएगा) उन सभी कटौतीकर्ताओं को सूचित करें जिनके खाते में कटौती की गई राशि जमा की गई है। बीआईएन में फॉर्म 24जी की रसीद संख्या, फॉर्म संख्या 24जी में डीडीओ अनुक्रम

संख्या और कर जमा करने की तिथि शामिल होती है।

यदि पीएओ/सीडीडीओ/टीओ आदि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, धारा 200(2ए) के तहत अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें धारा 272ए(2)(एम) के तहत जुर्माने के रूप में, प्रत्येक दिन के लिए 100/- रुपये का भुगतान करना होगा, जब तक कि यह विफलता जारी रहे। हालाँकि, ऐसे जुर्माने की राशि स्रोत पर कटौती योग्य कर की राशि से अधिक नहीं होगी।

फॉर्म 24G भरने की प्रक्रिया अनुबंध III में विस्तृत रूप से दी गई है। पीएओ/डीडीओ को सही प्रक्रिया समझने के लिए अनुबंध IV में दिए गए FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न) को ध्यान से पढ़ना चाहिए। केंद्र सरकार के मंत्रालयों के ZAO/PAO मासिक आधार पर फॉर्म संख्या 24G भरने के लिए जिम्मेदार हैं। राज्य सरकार के विभागों के मामले में फॉर्म संख्या 24G भरने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम अनुबंध V में दिया गया है।

फॉर्म 24G प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अनुबंध IV में विस्तृत रूप से दी गई है। पीएओ/डीडीओ को सही प्रक्रिया समझने के लिए उसमें दिए गए FAQ को ध्यान से पढ़ना चाहिए।

#### 4.4.2.2 आयकर चालान द्वारा भुगतान:

- ( i ) यदि भुगतान आयकर चालान द्वारा किया जाता है, तो कटौती की गई कर की राशि, ऊपर पैरा 4.4.1 में तालिका में निर्दिष्ट समय के भीतर, भारतीय रिजर्व बैंक के किसी कार्यालय या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक की शाखाओं में प्रेषित करके केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा कर दी जाएगी;
- ( ii ) किसी कंपनी और किसी व्यक्ति (कंपनी के अलावा) के मामले में, जिस पर धारा 44एबी के प्रावधान लागू होते हैं, कटौती की गई राशि इलेक्ट्रॉनिक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक में इलेक्ट्रॉनिक आयकर चालान के साथ भेजी जाएगी (नियम 125)।

राशि को भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित माना जाएगा:

- ( ए ) भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा; या
- ( बी ) डेबिट कार्ड (अधिसूचना संख्या 41/2010 दिनांक 31<sup>म</sup> 2010)

#### 4.5 ब्याज, जुर्माना और कटौती किए गए कर को जमा न करने पर अभियोजन:

4.5.1 यदि कोई व्यक्ति स्रोत पर कर की पूरी या आंशिक कटौती करने में विफल रहता है, या कटौती करने के बाद, निर्धारित समय के भीतर केंद्र सरकार के खाते में कर की पूरी या आंशिक राशि जमा करने में विफल रहता है, तो उस पर धारा 201 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है और उसे ऐसे कर के संबंध में चूककर्ता करदाता माना जाएगा और अधिनियम की धारा 221 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई का भागी माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, धारा 201(1ए) में प्रावधान है कि ऐसा व्यक्ति साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

- ( i ) ऐसे कर की राशि पर प्रत्येक माह या माह के भाग के लिए 1% की दर से उस तिथि से, जिस तिथि को ऐसा कर कटौती योग्य था, उस तिथि तक, जिस तिथि को ऐसा कर कटौती योग्य है; तथा
- ( ii ) ऐसे कर की राशि पर प्रत्येक माह या माह के भाग के लिए डेढ़ प्रतिशत की दर से उस तिथि से, जिसको ऐसा कर काटा गया था, उस तिथि तक, जिसको ऐसा कर वास्तव में चुकाया गया है।

यदि ऐसा ब्याज देय है, तो वह अनिवार्य प्रकृति का है और संबंधित तिमाही के लिए टीडीएस का त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करने से पहले इसका भुगतान करना होगा।

4.5.2 धारा 271सी में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति स्रोत पर कर की पूरी या उसके किसी भाग की कटौती करने में विफल रहता है या धारा 194बी के दूसरे प्रावधान के तहत कर की पूरी या उसके भाग की अदायगी करने में विफल रहता है, तो उसे जुर्माने के रूप में उसके द्वारा न काटे गए या अदा किए गए कर की राशि के बराबर राशि का भुगतान करना होगा।

4.5.3 इसके अलावा, धारा 276बी में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय के भीतर केंद्र सरकार के खाते में स्रोत पर कटौती किए गए कर या धारा 194बी के दूसरे प्रावधान के तहत देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे जुर्माने के साथ 3 महीने से 7 साल तक की अवधि के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा।

#### 4.6 कटौती किए गए कर के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना (धारा 203):

4.6.1 धारा 203 के अनुसार, डीडीओ को कर्मचारी को फॉर्म 16 में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है जिसमें टीडीएस की राशि और कुछ अन्य विवरण शामिल हों। नियम 31 के अनुसार, कर्मचारी को फॉर्म 16 उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 15 जून (02.06.2017 से प्रभावी) तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए<sup>नियम</sup>। आय का भुगतान किया गया था और कर कटौती की गई थी। पेंशन भुगतान के समय कर काटने वाले बैंकों को भी ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने होंगे।

अधिसूचना संख्या 11 दिनांक 19-02-2013 के साथ संलग्न संशोधित फॉर्म 16 संलग्न है। फॉर्म 16 में प्रमाणपत्र में निम्नलिखित निर्दिष्ट किया जाएगा:

- ( ए ) कटौतीकर्ता का वैध स्थायी खाता संख्या (पैन) ;
- ( बी ) कटौतीकर्ता का वैध कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या (टीएएन) ;
- ( सी ) ( i ) पुस्तक पहचान संख्या या संख्या (बीआईएन) जहां कटौती किए गए कर को सरकारी कार्यालय के मामले में चालान प्रस्तुत किए बिना जमा किया जाता है;  
( ii ) बैंक के माध्यम से भुगतान के मामले में चालान पहचान संख्या या संख्याएं (सीआईएन\*)। (\*चालान पहचान संख्या (सीआईएन) से तात्पर्य उस संख्या से है जिसमें उस बैंक शाखा का मूल सांख्यिकीय रिटर्न (बीएसआर) कोड शामिल है जहां कर जमा किया गया है, वह तारीख जिस पर कर जमा किया गया है और बैंक द्वारा दिया गया चालान सीरियल नंबर।)
- ( डी ) टीडीएस (24Q) के सभी प्रासंगिक त्रैमासिक विवरणों की रसीद संख्याएं। त्रैमासिक विवरण की रसीद संख्या 8 अंकों की होती है।

इसके अलावा, दिनांक 17-04-2013 के परिपत्र 04/2013 के अनुसार, सभी कटौतीकर्ता (सरकारी कटौतीकर्ताओं सहित, जो पुस्तक प्रविष्टि के माध्यम से केंद्र सरकार के खाते में टीडीएस जमा करते हैं) अध्याय XVII-बी की धारा 192 के प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल, 2012 को या उसके बाद कटौती की गई सभी राशियों के संबंध में, फॉर्म संख्या 16 का भाग ए जारी करेंगे, जिसे बाद में इसे TRACES पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड करके और विधिवत प्रमाणित और सत्यापित करने के बाद जारी किया जाएगा। फॉर्म संख्या 16 के भाग ए में एक विशिष्ट टीडीएस प्रमाणपत्र संख्या होगी। फॉर्म संख्या 16 का 'भाग बी (अनुलग्नक)' कटौतीकर्ता द्वारा मैन्युअल रूप से तैयार किया जाएगा और फॉर्म संख्या 16 के भाग ए के साथ उचित प्रमाणीकरण और सत्यापन के बाद कटौतीकर्ता को जारी किया जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि नई टीडीएस प्रक्रिया के तहत, कटौतीकर्ता का TAN /PAN और कटौतीकर्ता द्वारा दाखिल किए गए टीडीएस विवरण की रसीद संख्या, कटौतीकर्ता को ऑनलाइन टीडीएस क्रेडिट प्रदान करने के लिए विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में कार्य करती है। इसलिए, इन विवरणों को भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। टीडीएस विवरण में सही CIN/BIN दर्शाने में भी उचित सावधानी बरतनी चाहिए।

यदि डीडीओ धारा 203 के अनुसार संबंधित व्यक्ति को ये प्रमाण पत्र जारी करने में विफल रहता है, तो वह धारा 272ए(2)(जी) के तहत जुर्माने के रूप में 100 रुपये प्रति दिन की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके दौरान विफलता जारी रहती है।

तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि स्रोत पर कर छूट और कटौती के दावों के आधार पर कटौती योग्य नहीं है/कटौती की गई है तो टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की कोई बाधकता नहीं है।

**[नोट: TRACES आयकर विभाग का एक वेब-आधारित एप्लिकेशन है जो टीडीएस प्रशासन से जुड़े सभी हितधारकों के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है। यह चालान की स्थिति देखने, एनएसडीएल कंसो फाइल, औचित्य रिपोर्ट और फॉर्म 16/16A डाउनलोड करने के साथ-साथ वार्षिक कर क्रेडिट विवरण (फॉर्म 26AS) देखने में सक्षम बनाता है। प्रत्येक कटौतीकर्ता को ट्रेसेस पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। कटौतीकर्ताओं को जारी किया जाने वाला फॉर्म 16/16A अनिवार्य रूप से ट्रेसेस पोर्टल से ही तैयार और डाउनलोड किया जाना चाहिए।]**

विवरण दाखिल करने और टीडीएस प्रमाणपत्र प्राप्त करने के संबंध में कुछ आवश्यक बिंदु नीचे दिए गए हैं:

- ( ए ) टीडीएस प्रमाणपत्र (फॉर्म 16) केवल तभी तैयार किया जाएगा जब कटौतीकर्ता द्वारा चौथी तिमाही में दाखिल किए गए फॉर्म 24Q के अनुलग्नक II में वैध पैन का सही उल्लेख किया गया हो। इसके अलावा, नियोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे फॉर्म 16 में यह सुनिश्चित करें कि "फॉर्म 24G/OLTAS" के संबंध में "मिलान" की स्थिति 'F' हो। यदि मिलान की स्थिति 'F' के अलावा अन्य है, तो कृपया उसे सुधारने के लिए तुरंत आवश्यक कार्रवाई करें। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि कटौतीकर्ताओं को वेबसाइट [www.tdscpc.gov.in/](http://www.tdscpc.gov.in/) पर कुछ सुविधाएँ प्रदान की गई हैं, जिनमें विवरणों में ऑनलाइन सुधार (फॉर्म 24Q) शामिल है।
- ( बी ) नियोक्ता को एनएसडीएल आरपीयू (इसके बाद रिटर्न तैयारी उपयोगिता) के अनुसार फॉर्म 24क्यू के अनुलग्नक I के कॉलम 321 (भुगतान/जमा की गई राशि) में वेतन की सकल राशि (धारा 10 के तहत छूट प्राप्त राशि और अध्याय VI ए के तहत कटौती सहित) उद्धृत करनी चाहिए।
- ( सी ) नियोक्ता को एनएसडीएल आरपीयू के अनुसार फॉर्म 24क्यू के अनुलग्नक II के कॉलम 333 (वेतन की कुल राशि) में धारा 10 के तहत छूट प्राप्त किसी भी राशि को छोड़कर वेतन की राशि उद्धृत करनी चाहिए।
- ( डी ) टीडीएस के लिए प्रस्तावित 'वेतन' शीर्ष (स्तंभ 339 में दर्शाया गया है) के अलावा किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत आय (गृह संपत्ति से हानि सहित) पर टीडीएस को स्तंभ 350 (एनएसडीएल आरपीयू के अनुसार, पिछले नियोक्ता द्वारा टीडीएस की रिपोर्ट की गई राशि) में दर्शाया जा सकता है।
- ( ई ) नियोक्ता को सलाह दी जाती है कि वह अनुलग्नक II में कुल कर योग्य आय (कॉलम 346) को पूर्णांकन के बिना उद्धृत करें तथा

टीडीएस की कटौती की जाए तथा तदनुसार रिपोर्ट की जाए, अर्थात् टीडीएस को भी पूर्णांकन के बिना।

उदाहरण:

कुल कर योग्य आय	कुल कर योग्य आय (पूर्णांकित)	काटा जाने वाला टीडीएस	आय को पूर्णांकित करने के बाद काटा गया/रिपोर्ट किया गया टीडीएस	लघु कटौती
रु.1350094	रु. 1350090	रु. 235028.20	235028 रुपये	1.20

4.6.2. यदि कोई करदाता वर्ष के दौरान एक से अधिक नियोक्ताओं द्वारा नियोजित है, तो प्रत्येक नियोक्ता उस अवधि से संबंधित फॉर्म संख्या 16 में प्रमाण पत्र का भाग ए जारी करेगा जिसके लिए ऐसा करदाता प्रत्येक नियोक्ता के पास नियोजित था और भाग बी प्रत्येक नियोक्ता या करदाता के विकल्प पर अंतिम नियोक्ता द्वारा जारी किया जा सकता है।

#### 4.6.3. डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणीकरण :

- ( मैं ) जहां प्रमाण पत्र फॉर्म संख्या 16 में प्रस्तुत किया जाना है, वहां कटौतीकर्ता अपने विकल्प पर ऐसे प्रमाण पत्रों को प्रमाणित करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग कर सकता है।
- ( ii ) i ) के तहत जारी किए गए प्रमाण पत्रों के मामले में , कटौतीकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि
- ( ए ) उपरोक्त पैरा 4.6.1 में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जाता है;
- ( बी ) एक बार प्रमाणपत्र पर डिजिटल हस्ताक्षर हो जाने के बाद, प्रमाणपत्र की विषय-वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता; और
- ( सी ) प्रमाणपत्रों की एक नियंत्रण संख्या होती है और कटौतीकर्ता द्वारा ऐसे प्रमाणपत्रों का एक लॉग बनाए रखा जाता है।
- इंटरनेट पर अधिकांश ई-लेनदेन को प्रमाणित करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किया जा रहा है क्योंकि डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से सूचना का प्रसारण पूरी तरह से सुरक्षित है। इससे समय की बचत होती है, खासकर उन संगठनों में जहाँ कर्मचारियों की संख्या अधिक होती है और जहाँ मैनुअल हस्ताक्षर से कर कटौती प्रमाणपत्र जारी करने में समय लगता है (परिपत्र संख्या 2, 2007, दिनांक 21.05.2007)।

#### आदि से संबंधित विवरण प्रस्तुत करना (धारा 192(2सी)):

4.6.4.1 धारा 192(2सी) के अनुसार, किसी कर्मचारी को वेतन के बदले दी जाने वाली सुविधाओं या लाभों का सही और पूर्ण विवरण प्रदान करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर होती है जो ऐसी आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होता है, अर्थात्, स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति। ऐसे विवरणों का प्रारूप और तरीका नियम 26ए, फॉर्म 12बीए (अनुलग्नक II) और नियमों के फॉर्म 16 में निर्धारित है। यदि भुगतान किया गया या देय वेतन 1,50,000/- रुपये से अधिक है, तो नियोक्ता को सुविधाओं की प्रकृति और मूल्य से संबंधित जानकारी फॉर्म 12बीए में प्रदान करनी होगी। अन्य मामलों में, नियोक्ता को फॉर्म 16 में ही जानकारी प्रदान करनी होगी।

4.6.4.2 नियोक्ता, जिसने इस परिपत्र के पैरा 3.2 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी की ओर से अनुलाभों पर कर का भुगतान किया है, संबंधित कर्मचारी को इस आशय का प्रमाण पत्र देगा कि कर का भुगतान केन्द्र सरकार को कर दिया गया है तथा संशोधित प्रपत्र 16 में भुगतान की गई राशि, कर भुगतान की गई दर तथा कुछ अन्य विवरण निर्दिष्ट करेगा।

4.6.4.3 कर्मचारी को प्रदान की गई सुविधाओं का मूल्य दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत करने के लिए धारा 192(2सी) के तहत नियोक्ता पर डाला गया दायित्व नियोक्ता की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जिसे कानून और उसके तहत बनाए गए मूल्यांकन नियमों के अनुसार पूरा किया जाना अपेक्षित है। कोई भी गलत सूचना, फर्जी दस्तावेज या अपेक्षित जानकारी को दबाने पर कानून के तहत परिणाम भुगतान होंगे। ऊपर निर्दिष्ट फॉर्म 16 और/या फॉर्म 12बीए में प्रमाण पत्र कर्मचारी को उस वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद वाले वित्तीय वर्ष की 31 मई तक प्रस्तुत करना होगा जिसमें आय का भुगतान किया गया था और कर काटा गया था। यदि वह संबंधित व्यक्ति को ये प्रमाण पत्र जारी करने में विफल रहता है, जैसा कि धारा 192(2सी) द्वारा अपेक्षित है, तो वह धारा 272ए(2)( i ) के तहत जुर्माने के रूप में 100 रुपये प्रति दिन की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके दौरान विफलता जारी रहती है।

अधिनियम की धारा 139सी के अनुसार, मूल्यांकन अधिकारी करदाता से नियोक्ता द्वारा जारी फॉर्म 16 के साथ फॉर्म 12बीए प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है।

#### 4.6.5 धारा 192(2डी) के तहत निर्धारित दावे (नुकसान के समायोजन के दावे सहित) के सबूत या विवरण प्राप्त करने के लिए डीडीओ को अधिकार दिया गया है:

करदाता की आय का अनुमान लगाने या उक्त धारा के तहत कटौती योग्य कर की राशि की गणना करने के उद्देश्य से अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कुछ कटौती, छूट या भत्ते या कुछ नुकसान के सेट-ऑफ की अनुमति देने के लिए अधिकृत किया गया है। कर्मचारी द्वारा दावा की गई कुछ कटौतियों/छूट/भत्तों/नुकसान

के सेट-ऑफ के लिए साक्ष्य/प्रमाण/विवरण जैसे कि एचआरए में कटौती का दावा करने के लिए किराए की रसीद, स्व-कब्जे वाली घर की संपत्ति से नुकसान का दावा करने के लिए ब्याज भुगतान का सबूत आदि डीडीओ के पास उपलब्ध नहीं है। इस मामले में निश्चितता और एकरूपता लाने के लिए, धारा 192 (2 डी) में यह प्रावधान है कि भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति (डीडीओ) करदाता से मकान किराया भत्ता (जहां कुल वार्षिक किराया एक लाख रुपये से अधिक है) जैसे दावों का सबूत या प्रमाण या विवरण प्राप्त करेगा; नियम 26सी द्वारा निर्धारित प्रपत्र 12बीबी के अनुसार "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत ब्याज की कटौती और अध्याय VI-ए के अंतर्गत कटौती प्रपत्र 12बीबी अनुलमनक **IIa** के रूप में संलग्न है।

#### **4.7 पै न और टैन का अनिवार्य उल्लेख:**

4.7.1 अधिनियम की धारा 203ए के अनुसार, स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी सभी व्यक्तियों के लिए चालान, टीडीएस प्रमाणपत्र, विवरण और अन्य दस्तावेजों में कर कटौती एवं संग्रहण खाता संख्या (टीएएन) प्राप्त करना और उसका उल्लेख करना अनिवार्य है। इस संबंध में विस्तृत निर्देश इस विभाग के परिपत्र संख्या 497 [एफ.सं.275/118/87-आईटी(बी) दिनांक 9.10.1987] में उपलब्ध हैं। यदि कोई व्यक्ति धारा 203ए के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे धारा 272बीबी के अंतर्गत जुर्माने के रूप में दस हजार रुपये का भुगतान करना होगा। इसी प्रकार, धारा 139ए(5बी) के अनुसार, स्रोत पर कर कटौती करने वाले व्यक्तियों के लिए धारा 192(2सी) के तहत प्रस्तुत विवरण, धारा 203 के तहत प्रस्तुत प्रमाण-पत्र तथा अधिनियम की धारा 200(3) के प्रावधानों के अनुसार तैयार और प्रस्तुत सभी विवरणों में उन व्यक्तियों का पै न उद्धृत करना अनिवार्य है, जिनकी आयकर कटौती की गई है।

4.7.2 सभी कर कटौतीकर्ताओं को फॉर्म संख्या 24Q (वेतन से काटे गए कर के लिए) में टीडीएस विवरण दाखिल करना आवश्यक है। चूंकि आयकर रिटर्न के साथ टीडीएस प्रमाणपत्र दाखिल करने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है, इसलिए कटौतीकर्ताओं के पास पै न होने से काटे गए कर का क्रेडिट देने में कठिनाई हो रही है। इसलिए, कर कटौतीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे फॉर्म 24Q में वेतन के लिए टीडीएस विवरण में सभी कटौतीकर्ताओं के सही पै न विवरण प्राप्त करें और उनका उल्लेख करें। करदाताओं को भी अपने कटौतीकर्ताओं को अपना सही पै न प्रदान करना आवश्यक है। कटौतीकर्ता (कर्मचारी) द्वारा कटौतीकर्ता (नियोक्ता) को पै न प्रस्तुत करने पर, नीचे पैरा 4.8 में उल्लिखित अधिनियम की धारा 206AA के अंतर्गत उच्च दरों पर टीडीएस की कटौती की जाएगी।

#### **4.8 कर्मचारी द्वारा पै न प्रस्तुत करने की अनिवार्य आवश्यकता ( धारा 206ए):**

4.8.1 अधिनियम की धारा 206AA के अनुसार, किसी भी ऐसी राशि, आय या रकम की प्राप्ति पर, जिस पर कर कटौती योग्य हो, कर्मचारी द्वारा पै न प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि कर्मचारी ( कटौती प्राप्तकर्ता ) कटौतीकर्ता को अपना पै न प्रस्तुत करने में विफल रहता है , तो कटौतीकर्ता को निम्नलिखित दरों में से उच्चतर दर पर टीडीएस काटने की जिम्मेदारी दी गई है:

- ( i ) इस अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान में निर्दिष्ट दर पर; या
- ( ii ) लागू दर या दरों पर; या
- ( iii ) बीस प्रतिशत की दर से।

कटौतीकर्ता को तीनों स्थितियों में कर की राशि निर्धारित करनी होगी और टीडीएस की उच्च दर लागू करनी होगी। हालाँकि, जहाँ धारा 192 के तहत टीडीएस के लिए गणना की गई कर्मचारी की आय कर योग्य सीमा से कम है, वहाँ कोई कर नहीं काटा जाएगा। लेकिन जहाँ धारा 192 के तहत टीडीएस के लिए गणना की गई कर्मचारी की आय कर योग्य सीमा से ऊपर है, वहाँ कटौतीकर्ता धारा 192 में प्रदत्त दरों के आधार पर आयकर की औसत दर की गणना करेगा। यदि इस प्रकार गणना किया गया कर 20% से कम है, तो कर की कटौती 20% की दर से की जाएगी और यदि औसत दर 20% से अधिक है, तो कर औसत दर से काटा जाएगा। यदि अधिनियम की धारा 206AA के तहत 20% कर काटा जाता है, तो 2% की दर से शिक्षा उपकर और 1% की दर से माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर नहीं काटा जाएगा।

#### **4.9 धारा 200(3) के अंतर्गत कर कटौती का विवरण [टीडीएस का त्रैमासिक विवरण]:**

4.9.1 कर काटने वाले व्यक्ति (वेतन आय के मामले में नियोक्ता) को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अवधि [विवरण नीचे दी गई तालिका में] के लिए फॉर्म 24Q में टीडीएस का विधिवत सत्यापित त्रैमासिक विवरण डीजीआईटी (सिस्टम) द्वारा अधिकृत टीआईएन सुविधा केंद्रों पर दाखिल करना आवश्यक है, जिसका प्रबंधन वर्तमान में मेसर्स नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा किया जाता है, या कटौतीकर्ता के रूप में पंजीकरण के बाद [www.incometaxindiaefiling.gov.in](http://www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर । किसी भी टीआईएन सुविधा केंद्र पर ई-टीडीएस मध्यस्थ का विवरण <http://www.incometaxindia.gov.in> और <http://tin-nsdl.com> पोर्टल पर उपलब्ध है। **1.4.2006 से टीडीएस का वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।** फॉर्म 24Q (दिनांक 12.5.2006 की अधिसूचना संख्या SO704(E) द्वारा संशोधित) में दाखिल पिछली तिमाही का तिमाही विवरण, टीडीएस का वार्षिक रिटर्न माना जाएगा। इस विवरण को तिमाहीवार दाखिल करने की नियत तिथियाँ नीचे दी गई तालिका में दी गई हैं।

तालिका: फॉर्म 24Q में त्रैमासिक विवरण दाखिल करने की नियत तिथियाँ

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष की तिमाही की समाप्ति की तिथि	नियत तारीख
1	30 जून	वित्तीय वर्ष की 31 जुलाई
2	30 सितंबर	वित्तीय वर्ष की 31 अक्टूबर
3	31 दिसंबर	वित्तीय वर्ष की 31 जनवरी
4	31 मार्च	जिस वित्तीय वर्ष में कटौती की गई है उसके तुरंत बाद वाले वित्तीय वर्ष की 31 <sup>मई</sup>

**4.9.2** उपर्युक्त विवरण कागज़ के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर के साथ या फॉर्म 27ए में विवरण के सत्यापन के साथ या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रियाओं, प्रारूपों और मानकों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के माध्यम से सत्यापित करके प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ई-टीडीएस/टीसीएस विवरण प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अनुबंध VI में विस्तृत है।

**4.9.3** फॉर्म 24क्यू में सभी रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किए जाने आवश्यक हैं, सिवाय उन मामलों के जहां कटौतीकर्ताओं के रिकॉर्ड की संख्या 20 से कम है और कटौतीकर्ता कोई सरकारी कार्यालय, कंपनी या व्यक्ति नहीं है, जिसे अधिनियम की धारा 44एबी के तहत अपने खातों का ऑडिट करवाना आवश्यक है। [अधिसूचना संख्या 11 दिनांक 19.02.2013]

#### **4.9.4 विवरण प्रस्तुत करने में चूक के लिए शुल्क (धारा 234ई):**

यदि कोई व्यक्ति धारा 200(3) में निर्धारित समय के भीतर स्रोत पर काटे गए कर के संबंध में 1.07.2012 को या उसके बाद विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है या प्रस्तुत करवाने में विफल रहता है, तो उसे प्रत्येक दिन, जिसके दौरान यह विफलता जारी रहती है, 200 रुपये का शुल्क देना होगा। हालाँकि, ऐसे शुल्क की राशि स्रोत पर कटौती योग्य कर की राशि से अधिक नहीं होगी। यह शुल्क अनिवार्य प्रकृति का है और ऐसा विवरण प्रस्तुत करने से पहले देय होगा।

#### **4.9.5 टीडीएस विवरण दाखिल करने में गलती का सुधार:**

डीडीओ किसी गलती को सुधारने या पहले दिए गए विवरण में दी गई जानकारी को जोड़ने, हटाने या अद्यतन करने के लिए सुधार विवरण भी दाखिल कर सकता है।

#### **4.9.6 विवरण प्रस्तुत करने में विफलता या गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर जुर्माना (धारा 271एच):**

यदि कोई व्यक्ति धारा 200(3) में निर्धारित समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है या प्रस्तुत करवाता है, या 1.07.2012 को या उसके बाद स्रोत पर काटे गए कर के संबंध में गलत विवरण प्रस्तुत करता है, तो उसे जुर्माने के रूप में 10,000/- रुपये से कम नहीं, बल्कि 1,00,000/- रुपये तक की राशि का भुगतान करना होगा। हालाँकि, यदि व्यक्ति यह साबित कर देता है कि उसने केंद्र सरकार के खाते में शुल्क और ब्याज, यदि कोई हो, के साथ टीडीएस का भुगतान करने के बाद, विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय से एक वर्ष की समाप्ति से पहले विवरण प्रस्तुत कर दिया था, तो उस पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

#### **4.9.7 कटौती किये गये कर का विवरण तैयार करते समय, कटौतीकर्ता को यह करना आवश्यक है:**

- ( i ) विवरण में अपने कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टीएएन) को अनिवार्य रूप से उद्धृत करें;
- ( ii ) विवरण में अपना स्थायी खाता संख्या (पैन) बताना अनिवार्य है, सिवाय उस स्थिति के जब कटौतीकर्ता सरकारी कार्यालय (राज्य सरकार सहित ) का हो। सरकारी कटौतीकर्ताओं के मामले में , ई-टीडीएस विवरण में "PANNOTREQD" लिखा जाना चाहिए;
- ( iii ) कटौतीकर्ताओं के स्थायी खाता संख्या पैन का अनिवार्य उल्लेख ;
- ( iv ) केन्द्रीय सरकार को संदत्त कर का विवरण प्रस्तुत करना, जिसमें पुस्तक पहचान संख्या या चालान पहचान संख्या भी शामिल है, जैसा भी मामला हो।
- ( v ) भुगतान की गई या जमा की गई राशि का विवरण प्रस्तुत करें, जिस पर करदाता के मूल्यांकन अधिकारी द्वारा धारा 197 के तहत कर की कटौती न करने का प्रमाण पत्र जारी करने के मद्देनजर कर नहीं काटा गया था।

#### **4.10 पेंशन से आय पर टीडीएस:**

उन पेंशनभोगियों के मामले में जो अपनी पेंशन (जीवनसाथी को दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन नहीं) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से प्राप्त करते हैं, इस परिपत्र में दिए गए निर्देश उसी तरह लागू होंगे जैसे वे वेतन-आय पर लागू होते हैं। यदि पेंशनभोगी बैंकों को संबंधित विवरण प्रस्तुत करता है, तो जीवन बीमा, भविष्य निधि, एनएससी आदि में योगदान के कारण धारा 80 सी के तहत पेंशन की राशि से कटौती की अनुमति दी जा सकती है। इस संबंध में आवश्यक निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को आरबीआई के पेंशन परिपत्र (केंद्रीय श्रृंखला) संख्या 7/सीडीआर/1992 (संदर्भ

सीओ: डीजीबीए: जीए (एनबीएस) संख्या 60/जीए.64 (11सीवीएल)-/92 दिनांक 27 अप्रैल 1992 के माध्यम से जारी किए गए थे और इन निर्देशों का पालन बैंकों की सभी शाखाओं द्वारा किया जाना चाहिए, जिन्हें पेंशन के भुगतान का कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा, बैंकों की सभी शाखाएं सीबीडीटी परिपत्र संख्या 761 दिनांक 13.1.98 के अनुसार पेंशनभोगियों को फॉर्म 16 में कटौती किए गए कर का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए धारा 203 के तहत बाध्य हैं।

**अनिवासी के मामले में टीडीएस से संबंधित मामले :**

4.11.1 जहां गैर-निवासियों को भारत में काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है और कर नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता है, यदि कर्मचारी को भारत छोड़ने के बाद कोई रिफंड देय होता है और मूल्यांकन आदेश पारित होने तक भारत में उसका कोई बैंक खाता नहीं है, तो रिफंड नियोक्ता को जारी किया जा सकता है क्योंकि कर उसके द्वारा वहन किया गया है [ परिपत्र संख्या 707 दिनांक 11.07.1995]।

4.11.2 अनिवासियों के संबंध में, भारत में प्रदान की गई सेवाओं के लिए दिया गया वेतन भारत में अर्जित आय माना जाएगा। अधिनियम में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि विश्राम अवधि या अवकाश अवधि के लिए देय कोई भी वेतन, जो भारत में सेवा से पहले या बाद में हो और जो रोजगार के सेवा अनुबंध का हिस्सा हो, उसे भी भारत में अर्जित आय माना जाएगा।

## **5. "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना**

### **5.1 "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत देय आय:**

(1) निम्नलिखित आय "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत आयकर के लिए प्रभार्य होगी :

- ( ए ) किसी नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से किसी करदाता को पिछले वर्ष में देय कोई वेतन, चाहे भुगतान किया गया हो या नहीं;
- ( बी ) किसी नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता की ओर से पिछले वर्ष में उसे भुगतान किया गया या स्वीकृत किया गया कोई भी वेतन, यद्यपि वह देय नहीं था या देय होने से पहले था।
- ( सी ) किसी नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता की ओर से पिछले वर्ष में उसे भुगतान किया गया या स्वीकृत वेतन का कोई बकाया, यदि उस पर किसी पिछले वर्ष के लिए आयकर नहीं लगाया गया हो।

(2) शंकाओं के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां अग्रिम भुगतान किया गया कोई वेतन किसी व्यक्ति की किसी पूर्व वर्ष की कुल आय में सम्मिलित है, वहां वेतन देय होने पर उसे पुनः उस व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

किसी फर्म के साझेदार को देय या फर्म से प्राप्त कोई भी वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, "वेतन" नहीं माना जाएगा।

### **5.2 "वेतन", "अनुलाभ" और "वेतन के बदले लाभ" की परिभाषा (धारा 17):**

5.2.1 "वेतन" में शामिल हैं:-

- i . वेतन, फीस, कमीशन, अनुलाभ, वेतन के बदले में लाभ, या वेतन के अतिरिक्त, वेतन का अग्रिम, वार्षिकी या पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी के नकदीकरण के संबंध में भुगतान आदि।
- ii . किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी के खाते में शेष राशि में वार्षिक वृद्धि का वह भाग जो इस प्रकार है (अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग क का नियम 6):
  - ( ए ) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन के 12% से अधिक किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में कर्मचारी के खाते में किया गया अंशदान, और
  - ( बी ) कर्मचारी के खाते में जमा शेष राशि पर ब्याज, जहां तक इसकी अनुमति है, ऐसी दर से अधिक दर पर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है। [01-09-2010 से दर 9.5% निर्धारित की गई है - अधिसूचना संख्या एसओ 1046(ई) दिनांक 13-05-2011 ]
- iii . केंद्र सरकार या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी के खाते में किया गया अंशदान, जैसा कि अधिसूचना एफएन 5/7/2003- ईसीबीएंडपीआर दिनांक 22.12.2003 (अनुलग्नक VII के रूप में संलग्न) द्वारा अधिसूचित किया गया है, जिसका उल्लेख धारा 80सीसीडी (इस परिपत्र के पैरा 5.5.3) में किया गया है।

यह ध्यान देने योग्य है कि चूंकि वेतन में पेंशन शामिल है, इसलिए स्रोत पर कर पेंशन से भी काटा जाएगा, जब तक कि अन्यथा आवश्यक न हो। हालांकि, धारा 10 (10ए) के तहत छूट प्राप्त सीमा तक पेंशन के परिवर्तित हिस्से से कोई कर काटने की आवश्यकता नहीं है।

पारिवारिक पेंशन "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है, न कि "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत। इसलिए, अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान लागू नहीं होते। इसलिए, डीडीओ को व्यक्ति को दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन पर टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है।

### 5.2.2 अनुलाभ में शामिल हैं:

- मैं। कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए किराया मुक्त आवास का मूल्य ;
- द्वितीय. कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई किसी भी आवास के संबंध में किराए के मामले में किसी भी रियायत का मूल्य;
- तृतीय. निम्नलिखित में से किसी भी मामले में निःशुल्क या रियायती दर पर प्रदान किए गए किसी लाभ या सुविधा का मूल्य:
- ( मैं ) किसी कंपनी द्वारा किसी कर्मचारी को, जो उस कंपनी का निदेशक है;
- ( ii ) किसी कंपनी द्वारा किसी ऐसे कर्मचारी को जिसकी कंपनी में पर्याप्त रुचि हो;
- ( iii ) किसी नियोक्ता ( कंपनी सहित ) द्वारा किसी कर्मचारी को, जो उपर्युक्त ( i ) या (ii) के अंतर्गत नहीं आता है और जिसकी "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत आय (चाहे एक या अधिक नियोक्ताओं द्वारा देय हो या भुगतान की गई हो या अनुमत हो), मौद्रिक भुगतान के माध्यम से प्रदान न किए गए सभी लाभों और सुविधाओं के मूल्य को छोड़कर, 50,000/- रुपये से अधिक है।  
[किराये के मामले में रियायत क्या है, यह अधिनियम की धारा 17(2)(ii) के नीचे स्पष्टीकरण 1 से 4 में निर्धारित किया गया है]
- चतुर्थ. किसी दायित्व के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई कोई राशि जो अन्यथा करदाता द्वारा देय होती ।
- वी नियोक्ता द्वारा देय कोई राशि, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या किसी निधि के माध्यम से, मान्यता प्राप्त भविष्य निधि या अनुमोदित अधिवर्षिता निधि या धारा 17 के अंतर्गत अन्य निर्दिष्ट निधियों के अलावा, किसी करदाता के जीवन पर आश्वासन देने या वार्षिकी के लिए अनुबंध करने के लिए ।
- छठी. **नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निःशुल्क या रियायती दर पर आवंटित या हस्तांतरित किसी निर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयरों का मूल्य और इस प्रयोजन के लिए , ।**
- ( ए ) " विनिर्दिष्ट प्रतिभूति" से तात्पर्य प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2(एच) में परिभाषित प्रतिभूतियों से है और जहां किसी योजना या स्कीम के तहत कर्मचारियों को स्टॉक विकल्प प्रदान किया गया है, वहां ऐसी योजना या स्कीम के तहत प्रस्तावित प्रतिभूतियां भी शामिल हैं;
- ( बी ) " स्वेट इक्विटी शेयर" का अर्थ है किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों या निदेशकों को छूट पर या नकदी के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए जारी किए गए इक्विटी शेयर, जो बौद्धिक संपदा अधिकारों या मूल्य संवर्धन के स्वरूप में जानकारी प्रदान करने या अधिकार उपलब्ध कराने के लिए हैं, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए;
- ( सी ) किसी निर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयरों का मूल्य, यथास्थिति, निर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयरों का उचित बाजार मूल्य होगा, जिस तारीख को करदाता द्वारा विकल्प का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से ऐसी प्रतिभूति या शेयरों के संबंध में करदाता द्वारा वास्तव में भुगतान की गई या उससे वसूल की गई राशि घटा दी जाएगी ;
- ( डी ) " उचित बाजार मूल्य" से तात्पर्य निर्धारित विधि के अनुसार निर्धारित मूल्य से है (आईटी नियमों के नियम 3(9) देखें);
- ( ई ) "विकल्प" का अर्थ है एक अधिकार, लेकिन किसी कर्मचारी को पूर्व निर्धारित मूल्य पर निर्दिष्ट सुरक्षा या स्वेट इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन करने के लिए दिया गया दायित्व नहीं;
- सातवीं. करदाता के संबंध में नियोक्ता द्वारा अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि में किसी अंशदान की राशि , यदि वह एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक है (01.04.2017 से प्रभावी); और
- आठवीं नियम 3 में निर्धारित किसी अन्य अनुषंगी लाभ या सुविधा का मूल्य ।

5.2.2ए नियम 3 में दिए गए ऐसे लाभ या सुविधा के मूल्यांकन के नियम निम्नानुसार हैं : -

#### I. नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया आवासीय आवास [नियम 3(1) ] :-

"आवास" में मकान, फ्लैट, फार्म हाउस या उसका कोई भाग, होटल आवास, मोटल, सर्विस अपार्टमेंट, गेस्ट हाउस, कारवां, मोबाइल घर, जहाज या अन्य तैरती संरचना शामिल है।

A. किराया मुक्त असज्जित आवास की सुविधा के मूल्यांकन के लिए , सभी कर्मचारियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

- ( मैं ) केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए, अनुलाभ का मूल्य ऐसे आवास के लिए लिए गए लाइसेंस शुल्क के बराबर होगा , जिसमें से कर्मचारी द्वारा वास्तव में भुगतान किए गए किराए को घटाया जाएगा। स्वायत्त, अर्ध-स्वायत्त संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सहायक कंपनियों, विश्वविद्यालयों आदि के कर्मचारी मूल्यांकन की इस पद्धति के अंतर्गत नहीं आते हैं।
- ( ii ) अन्य सभी के लिए, अर्थात् वे वेतनभोगी करदाता जो केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के रोजगार में नहीं हैं, आवास के संबंध में

अनुलाभ का मूल्यांकन निर्धारित दरों पर होगा, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

( क ) जहां कर्मचारी को उपलब्ध कराया गया आवास **नियोक्ता के स्वामित्व में है** :

क्रम सं.	2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वाले शहर	रिआयत
1	25 लाख से अधिक	वेतन का 15%
2	10 लाख से अधिक परंतु 25 लाख से अधिक नहीं	वेतन का 10%
3	अन्य स्थानों के लिए	वेतन का 7.5%

( ख ) जहां इस प्रकार प्रदान किया गया आवास **नियोक्ता द्वारा पट्टे/किराए पर लिया गया हो**:

निर्धारित दर वेतन का 15% या नियोक्ता द्वारा देय पट्टा किराये की वास्तविक राशि, जो भी कम हो, कर्मचारी द्वारा भुगतान किए गए किराए की किसी भी राशि से घटाकर निर्धारित की जाती है। आवासीय आवास के संबंध में अनुलाभ की गणना के प्रयोजनार्थ 'वेतन' का अर्थ:

- ए। मूल वेतन;
- बी। महंगाई भत्ता, या महंगाई वेतन यदि यह कर्मचारियों की अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति लाभ की गणना में शामिल हो;
- सी। बोनस;
- डी। आयोग ;
- ई. अन्य सभी कर योग्य भत्ते (कर योग्य न होने वाले भाग को छोड़कर ) ; और
- एफ। कोई भी मौद्रिक भुगतान जो कर योग्य हो (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए)।

सभी नियोक्ताओं से प्राप्त वेतन को उस अवधि के संबंध में ध्यान में रखा जाएगा जिसके दौरान आवास प्रदान किया गया है। जहाँ किसी कर्मचारी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के कारण, उसे नए तैनाती स्थान पर आवास प्रदान किया जाता है जबकि वह दूसरे स्थान पर आवास बनाए रखता है, वहाँ अनुलाभ का मूल्य केवल एक ऐसे आवास के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा जिसका मूल्य 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए कम हो और उसके बाद अनुलाभ का मूल्य ऐसे दोनों आवासों के लिए लिया जाएगा।

**बी सुसज्जित आवास** की अनुलाभ का मूल्यांकन - उपरोक्त विधि (ए में) द्वारा निर्धारित अनुलाभ के मूल्य में वृद्धि की जाएगी-

- ( मैं ) उपकरणों की लागत का 10% , या
- ( ii ) जहां फर्नीचर, उपकरण और साजो-सामान किराये पर लिए गए हैं, वहां देय वास्तविक किराया प्रभार की राशि से

और इस प्रकार प्राप्त मूल्य में से कर्मचारी द्वारा स्वयं भुगतान किया गया कोई भी शुल्क घटा दिया जाएगा।

इसमें यह भी जोड़ा गया है कि जहां केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी ऐसे कर्मचारी को आवास उपलब्ध कराया जाता है जो ऐसी सरकार के नियंत्रणाधीन किसी निकाय या उपक्रम में प्रतिनियुक्ति पर सेवा कर रहा है , -

- ( मैं ) ऐसे कर्मचारी का नियोक्ता वह निकाय या उपक्रम माना जाएगा जहां कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर सेवा कर रहा है; और
- ( ii ) ऐसे आवास के अनुलाभ का मूल्य उपरोक्त तालिका ए(ii)(ए) के अनुसार गणना की गई राशि होगी, मानो आवास नियोक्ता के स्वामित्व में हो।

**सी. होटल में सुसज्जित आवास:** अनुलाभ का मूल्य निम्नलिखित दो में से जो कम हो उसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा:

1. आवास उपलब्ध कराए जाने की अवधि के संबंध में भुगतान किए गए या देय वेतन का 24%; या
2. नियोक्ता द्वारा ऐसे होटल को भुगतान किए गए या देय वास्तविक शुल्क,

उस अवधि के लिए जिसके दौरान ऐसी सुविधा प्रदान की जाती है, कर्मचारी द्वारा वास्तव में भुगतान किए गए या देय किसी भी किराए को घटाकर।

हालाँकि, (सी) में कुछ भी कर योग्य नहीं होगा यदि निम्नलिखित दो शर्तें पूरी होती हैं:

1. होटल आवास पिछले वर्ष में कुल मिलाकर 15 दिनों से अधिक की अवधि के लिए प्रदान किया जाता है, और
2. ऐसी सुविधा किसी कर्मचारी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण पर प्रदान की जाती है।

यह स्पष्ट किया जा सकता है कि आवास के अभिन्न अंग के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं का मूल्यांकन अनुलाभ के रूप में अलग से नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को भुगतान या प्रतिपूर्ति की जाने वाली सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सेवाओं का मूल्यांकन अवशिष्ट खंड के अनुसार अनुलाभ के रूप में किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, आवास के लिए समग्र शुल्क का मूल्यांकन नियमों के अनुसार किया जाएगा और होटल द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं के लिए किसी भी अन्य शुल्क का मूल्यांकन अवशिष्ट खंड के तहत अलग से किया जाएगा।

**डी.** हालाँकि, खनन स्थल या तटवर्ती तेल अन्वेषण स्थल या परियोजना निष्पादन स्थल या बांध स्थल या बिजली उत्पादन स्थल या अपतटीय स्थल पर काम करने

वाले कर्मचारी को प्रदान किए गए किसी भी आवास के मूल्य को अनुलाभ के रूप में नहीं माना जाएगा यदि:

- ( i ) ऐसा आवास किसी "दूरस्थ क्षेत्र" में स्थित है या
- ( ii ) जहां यह "दूरस्थ क्षेत्र" में स्थित नहीं है, वहां आवास अस्थायी प्रकृति का होगा, जिसका प्लिंथ क्षेत्र 800 वर्ग फुट से अधिक नहीं होगा तथा यह किसी नगर पालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमा के 8 किलोमीटर के भीतर स्थित नहीं होना चाहिए।

यहाँ परियोजना निष्पादन स्थल का अर्थ है परियोजना का वह स्थल जो उसके चालू होने तक है। "सुदूर क्षेत्र" का अर्थ है किसी ऐसे कस्बे से कम से कम 40 किलोमीटर दूर स्थित क्षेत्र जिसकी जनसंख्या नवीनतम प्रकाशित अखिल भारतीय जनगणना के अनुसार 20,000 से अधिक न हो।

## II नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई मोटर कार पर अनुलाभ [नियम 3(2)]:

(1) यदि कोई नियोक्ता अपने कर्मचारी को मोटर कार सुविधा प्रदान करता है, तो ऐसी अनुलाभ का मूल्य होगा :

- ( ए ) शून्य, यदि मोटर कार का उपयोग कर्मचारी द्वारा पूर्णतः एवं अनन्य रूप से अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निष्पादन में किया जाता है।
- ( बी ) मोटर कार के संचालन और रखरखाव पर नियोक्ता द्वारा किया गया वास्तविक व्यय, जिसमें चालक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक भी शामिल है, जो मोटर कार की सामान्य टूट-फूट को दर्शाने वाली राशि से बढ़ा हुआ है और ऐसे उपयोग के लिए कर्मचारी से ली गई राशि से घटा हुआ है (यदि मोटर कार केवल कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के निजी या व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए है)।
- ( सी ) 1800/- रुपये (यदि मोटर कार का उपयोग आंशिक रूप से कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के कर्तव्यों के निष्पादन में तथा आंशिक रूप से निजी या व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए किया जाता है, यदि मोटर कार के रखरखाव और संचालन पर व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता है या प्रतिपूर्ति की जाती है तो अतिरिक्त 900/- रुपये) प्रति माह (यदि मोटर कार का उपयोग आंशिक रूप से कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के कर्तव्यों के निष्पादन में तथा आंशिक रूप से निजी या व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए किया जाता है, यदि मोटर कार के रखरखाव और संचालन पर व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता है या प्रतिपूर्ति की जाती है)। तथापि, यदि मोटर कार के इंजन की घन क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है तो अनुलाभ का मूल्य 2400/- रुपये ( यदि ड्राइवर भी उपलब्ध कराया जाता है तो अतिरिक्त 900/- रुपये) प्रति माह होगा।
- ( डी ) 600/- रुपये (यदि चालक भी उपलब्ध कराया जाता है तो 900/- रुपये अतिरिक्त) प्रति माह (यदि मोटर कार का उपयोग आंशिक रूप से कर्तव्यों के निष्पादन में और आंशिक रूप से कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के निजी या व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए किया जाता है, यदि ऐसे निजी या व्यक्तिगत उपयोग के लिए मोटर कार के रखरखाव और संचालन का व्यय पूरी तरह से कर्मचारी द्वारा वहन किया जाता है)। तथापि, यदि मोटर कार के इंजन की घन क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है तो अनुलाभ का मूल्य 900/- रुपये (यदि चालक भी उपलब्ध कराया जाता है तो 900/- रुपये अतिरिक्त) प्रति माह होगा।

(2) यदि मोटर कार या कोई अन्य मोटर वाहन कर्मचारी के स्वामित्व में है, लेकिन वास्तविक संचालन और रखरखाव शुल्क नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता है या प्रतिपूर्ति की जाती है, तो अनुलाभ मूल्य के मूल्यांकन की विधि अलग है और निम्नानुसार है:

- ( ए ) जहाँ मोटर कार या कोई अन्य मोटर वाहन कर्मचारी के स्वामित्व में है, लेकिन वास्तविक रखरखाव और संचालन व्यय (यदि कोई हो, तो ड्राइवर का वेतन सहित) नियोक्ता द्वारा वहन या प्रतिपूर्ति किया जाता है, वहाँ यदि कार का उपयोग पूरी तरह से और विशेष रूप से आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो किसी भी अनुलाभ पर कर नहीं लगेगा। हालाँकि, निम्नलिखित अनुपालन आवश्यक हैं:

नियोक्ता ने आधिकारिक प्रयोजनों के लिए की गई यात्रा का पूरा विवरण रखा है;  
नियोक्ता यह प्रमाण पत्र देता है कि व्यय पूर्णतः सरकारी कर्तव्यों के लिए किया गया था।

तथापि, यदि मोटर कार का उपयोग आंशिक रूप से सरकारी या आंशिक रूप से निजी प्रयोजनों के लिए किया जाता है तो अनुलाभ की राशि नियोक्ता द्वारा किया गया वास्तविक व्यय होगी, जिसमें से ऊपर (1) में निर्दिष्ट राशियाँ घटा दी जाएंगी।

मोटर की सामान्य टूट-फूट को मोटर कार की वास्तविक लागत का 10% प्रति वर्ष लिया जाएगा।

**III निजी परिचारक आदि [नियम 3(3)]:** सफाई कर्मचारी, माली और चौकीदार सहित सभी निजी परिचारकों की निःशुल्क सेवा का मूल्य नियोक्ता द्वारा की गई वास्तविक लागत पर लिया जाएगा। जहाँ परिचारक कर्मचारी के निवास पर उपलब्ध कराया जाता है, वहाँ कर्मचारी द्वारा दी गई व्यक्तिगत सेवा की मात्रा पर ध्यान दिए बिना, पूरी लागत पर कर्मचारी के पक्ष में अनुलाभ के रूप में कर लगाया जाएगा। ऐसी सुविधाओं या सेवाओं के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान की गई कोई भी राशि उपरोक्त राशि से घटा दी जाएगी।

**IV घरेलू उपभोग के लिए गैस, बिजली और पानी [नियम 3(4)]:** गैस, बिजली और पानी के रूप में अनुलाभ का मूल्य नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि होगी। जहाँ आपूर्ति नियोक्ता के अपने संसाधनों से की जाती है, वहाँ अनुलाभ के मूल्यांकन के लिए नियोक्ता द्वारा वहन की गई प्रति इकाई निर्माण लागत को लिया जाएगा। ऐसी सुविधाओं या सेवाओं के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान की गई कोई भी राशि अनुलाभ के मूल्य से घटा दी जाएगी।

**V निःशुल्क या रियायती शिक्षा [नियम 3(5)]:** कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य के लिए निःशुल्क या रियायती शिक्षा के मद में मिलने वाला अनुलाभ, नियोक्ता द्वारा उस संबंध में किए गए व्यय के बराबर राशि के रूप में निर्धारित किया जाएगा। हालाँकि, जहाँ ऐसा शैक्षणिक संस्थान स्वयं नियोक्ता द्वारा अनुरक्षित और स्वामित्व में है या जहाँ ऐसी निःशुल्क शैक्षिक सुविधाएँ किसी संस्थान में उसके उस नियोक्ता के यहाँ नियोजित होने के कारण प्रदान की जाती हैं, कर्मचारी के लिए अनुलाभ का मूल्य उस क्षेत्र में या उसके निकट किसी समान संस्थान में ऐसी शिक्षा की लागत के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा यदि ऐसी शिक्षा या प्रति बच्चे ऐसे लाभ की लागत 1000/- रुपये प्रति माह से अधिक है अनुलाभ के मूल्य में से कर्मचारी को भुगतान की गई या उससे वसूल की गई राशि, यदि कोई हो, कम कर दी जाएगी।

**VI यात्री माल का वहन [नियम 3(6)]:** किसी नियोक्ता द्वारा, जो यात्रियों या माल के वहन में लगा हुआ है, किसी कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य को यात्रियों या माल के परिवहन के प्रयोजनार्थ ऐसे नियोक्ता के स्वामित्व वाले, पट्टे पर लिए गए या किसी अन्य व्यवस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी वाहन में निःशुल्क या रियायती किराए पर व्यक्तिगत या निजी यात्रा के प्रावधान से उत्पन्न किसी लाभ या सुविधा का मूल्य, उस मूल्य के रूप में लिया जाएगा जिस पर ऐसे नियोक्ता द्वारा जनता को ऐसा लाभ या सुविधा प्रदान की जाती है, जिसमें से ऐसे लाभ या सुविधा के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान की गई या उससे वसूल की गई राशि, यदि कोई हो, घटा दी जाएगी। यह किसी एयरलाइन या रेलवे के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

**VII ब्याज मुक्त या रियायती ऋण [नियम 3(7)(i)]:** कर्मचारियों या उसके परिवार के किसी सदस्य को ब्याज मुक्त या रियायती ऋण प्रदान करना, विशेष रूप से वित्तीय संस्थानों में, आम प्रथा है। ऐसे ऋणों से उत्पन्न होने वाले अनुलाभ का मूल्य, कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा वास्तव में चुकाए गए ब्याज, यदि कोई हो, पर निर्धारित ब्याज दर पर देय ब्याज की अधिकता होगी। निर्धारित ब्याज दर अब भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के पहले दिन समान प्रकार के और समान उद्देश्य के लिए आम जनता को दिए गए ऋणों के संबंध में प्रति वर्ष ली जाने वाली दर होगी। अनुलाभ मूल्य की गणना अधिकतम बकाया मासिक शेष विधि के आधार पर की जाएगी। इस नियम के तहत अनुलाभों के मूल्यांकन के लिए नियोक्ता द्वारा अपनाई गई गणना और समायोजन की कोई अन्य विधि प्रासंगिक नहीं होगी। हालाँकि, कुल मिलाकर 20,000/- रुपये तक के छोटे ऋणों को छूट दी गई है।

नियम 3ए में निर्दिष्ट रोगों के चिकित्सा उपचार हेतु ऋण भी छूट प्राप्त हैं, बशर्ते कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु ऋण की राशि किसी भी चिकित्सा बीमा योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति न की गई हो। जहाँ कोई चिकित्सा बीमा प्रतिपूर्ति प्राप्त होती है, वहाँ प्रतिपूर्ति की तिथि से प्रतिपूर्ति की गई राशि पर निर्धारित दर से अनुलाभ मूल्य लिया जाएगा, लेकिन इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से लिए गए बकाया ऋण के विरुद्ध पुनर्भुगतान नहीं किया जाएगा।

**VIII यात्रा, भ्रमण, आवास और किसी भी अन्य व्यय के लिए नियोक्ता द्वारा भुगतान या प्रतिपूर्ति की गई किसी भी छुट्टी के लिए अनुलाभ [नियम 3(7)(ii)]:**

कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा ली गई किसी भी छुट्टी के लिए नियोक्ता द्वारा यात्रा, भ्रमण, आवास और अन्य व्ययों के लिए भुगतान या प्रतिपूर्ति की गई अनुलाभ राशि, अवकाश यात्रा रियायत (धारा 10(5) के अनुसार) के अलावा, नियोक्ता द्वारा उस संबंध में किए गए व्यय की राशि होगी। हालाँकि, कर्मचारी से वसूली गई या उसके द्वारा भुगतान की गई कोई भी राशि इस प्रकार निर्धारित अनुलाभ मूल्य से कम कर दी जाएगी।

जहाँ ऐसी सुविधा नियोक्ता द्वारा संचालित की जाती है और सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं होती, वहाँ लाभ का मूल्य वह मूल्य माना जाएगा जिस पर अन्य एजेंसियों द्वारा जनता को ऐसी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। यदि अवकाश सुविधा नियोक्ता द्वारा संचालित की जाती है और सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से उपलब्ध होती है, तो ऐसे लाभ का मूल्य कर-मुक्त होगा।

जहाँ कर्मचारी सरकारी दौरे पर है और उसके साथ आए उसके परिवार के किसी सदस्य के संबंध में व्यय किया जाता है, वहाँ परिवार के सदस्य के संबंध में व्यय की राशि अनुलाभ मानी जाएगी।

**IX नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उपलब्ध कराए गए सब्सिडीयुक्त/निःशुल्क भोजन/गैर-मादक पेय का मूल्य [नियम 3(7)(iii)]:**

कर योग्य अनुलाभ का मूल्य निम्नानुसार गणना किया जाता है:

नियोक्ता द्वारा भोजन/गैर-मादक पेय पदार्थों के मूल्य पर किया गया व्यय, जिसमें 'भुगतान किए गए वाउचर शामिल हैं जो हस्तांतरणीय नहीं हैं और केवल भोजनालयों में उपयोग किए जा सकते हैं'	XXX
घटाएँ: प्रति भोजन 50/- रुपये की निश्चित राशि	XXX
घटाएँ: कर्मचारी से वसूली गई राशि	XXX      XXX
शेष राशि कर्मचारियों को प्रदान किए गए भोजन के मूल्य पर अनुलाभ के रूप में कर योग्य है	XXX

नोट: निम्नलिखित स्थितियों में छूट दी गई है:

1. कार्य समय में चाय/नाश्ता उपलब्ध कराया जाता है।
2. दूरस्थ क्षेत्र या अपतटीय प्रतिष्ठान में कार्य समय के दौरान भोजन और गैर-अल्कोहलिक पेय उपलब्ध कराया जाता है।

**X सदस्यता शुल्क और वार्षिक शुल्क [नियम 3(7)(v)] :** कर्मचारी (या उसके परिवार के किसी भी सदस्य) द्वारा लिया गया कोई भी सदस्यता शुल्क और वार्षिक शुल्क, जो नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए क्रेडिट कार्ड (किसी भी ऐड-ऑन कार्ड सहित) से लिया जाता है, या अन्यथा, नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है या प्रतिपूर्ति की जाती है, निम्नलिखित आधार पर कर योग्य है:

नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय की राशि		XXX
घटाएँ : आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग पर व्यय		XXX
घटाएँ: कर्मचारी से वसूली गई राशि, यदि कोई हो	XXX	XXX
अनुलाभ के रूप में कर योग्य राशि		XXX

हालाँकि, यदि राशि पूरी तरह से और विशेष रूप से आधिकारिक उद्देश्यों के लिए खर्च की जाती है, तो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर इसे छूट दी जाएगी:

- ( i ) नियोक्ता द्वारा ऐसे व्यय का पूरा विवरण, व्यय की तिथि और प्रकृति सहित, रखा जाता है।
- ( ii ) नियोक्ता एक प्रमाण पत्र देता है कि यह व्यय पूर्णतः तथा विशेष रूप से कार्यालयीन उद्देश्य के लिए किया गया था।

**XI क्लब व्यय [नियम 3(7)(vi)]:**

क्लब सुविधा के लिए कोई भी वार्षिक या आवधिक शुल्क और कर्मचारी (या उसके परिवार के किसी भी सदस्य) द्वारा क्लब में किया गया कोई भी व्यय, जिसका भुगतान या प्रतिपूर्ति नियोक्ता द्वारा की जाती है, निम्नलिखित आधार पर कर योग्य है:

नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय की राशि		XXX
घटाएँ : आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग पर व्यय		XXX
घटाएँ: कर्मचारी से वसूली गई राशि, यदि कोई हो	XXX	XXX
अनुलाभ के रूप में कर योग्य राशि		XXX

हालाँकि, यदि राशि पूरी तरह से और विशेष रूप से आधिकारिक उद्देश्यों के लिए खर्च की जाती है, तो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर इसे छूट दी जाएगी:

- ( i ) ऐसे व्यय का पूरा विवरण, जिसमें व्यय की तिथि और प्रकृति तथा उसकी व्यावसायिक समीचीनता शामिल है, नियोक्ता द्वारा रखा जाता है।
- ( ii ) नियोक्ता एक प्रमाण पत्र देता है कि यह व्यय पूर्णतः तथा विशेष रूप से कार्यालयीन उद्देश्य के लिए किया गया था।

नोट: 1) नियोक्ता द्वारा अपने परिसर में सभी वर्ग के कर्मचारियों को समान रूप से प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य क्लब, खेल सुविधाएँ आदि और उन पर होने वाला व्यय करमुक्त है। 2) कॉर्पोरेट या संस्थागत सदस्यता के लिए प्रारंभिक एकमुश्त जमा या शुल्क, जहाँ किसी कर्मचारी के रोजगार समाप्त होने के बाद भी लाभ शेष नहीं रहता, करमुक्त है। ऐसे मामले में प्रारंभिक शुल्क/जमा राशि शामिल नहीं है।

**बारहवीं परिसंपत्तियों का उपयोग [नियम 3(7)(vii)]:** नियोक्ता के स्वामित्व वाली चल परिसंपत्ति (नियम 3 के अन्य उपनियमों में उल्लिखित परिसंपत्तियों को छोड़कर) का उपयोग कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा किया जाना सामान्य प्रथा है। यह अनुलाभ परिसंपत्ति की मूल लागत के 10% की दर से लिया जाएगा, जिसमें ऐसे उपयोग के लिए कर्मचारी से वसूले गए किसी भी शुल्क को घटा दिया जाएगा। हालाँकि, कंप्यूटर और लैपटॉप के उपयोग से कोई अनुलाभ नहीं मिलेगा।

**XIII परिसंपत्तियों का हस्तांतरण [नियम 3(7)(viii)]:** अक्सर एक कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य को नियोक्ता से बिना किसी लागत के या उसके बाजार मूल्य से कम लागत पर चल परिसंपत्ति (शेयर या प्रतिभूतियां नहीं) के हस्तांतरण से लाभ होता है। चल परिसंपत्ति (शेयर या प्रतिभूतियां नहीं) की मूल लागत और कर्मचारी द्वारा भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, के बीच का अंतर अनुलाभ के मूल्य के रूप में लिया जाएगा। चल परिसंपत्ति के मामले में, जिसे पहले ही उपयोग में लाया जा चुका है, परिसंपत्ति के उपयोग के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए मूल लागत में से 10% की राशि मूल लागत से कम हो जाएगी। हालाँकि, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के मामले में अप्रचलन की उच्च डिग्री के कारण, अनुलाभ का मूल्य उपयोग के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए कम करने वाली शेष राशि विधि द्वारा वास्तविक लागत का 50% कम करके काम किया जाएगा। इनमें घरेलू उपकरण (अर्थात् सफेद सामान) जैसे वाशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, मिक्सर, हॉट प्लेट, ओवन आदि शामिल नहीं हैं। इसी प्रकार, कारों के मामले में, अनुलाभ का मूल्य उपयोग के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए घटते संतुलन विधि द्वारा इसकी वास्तविक लागत का 20% कम करके निकाला जाएगा।

#### **XIV उपहार [नियम 3(7)(iv)]:**

नियोक्ता द्वारा कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य को दिए गए किसी भी उपहार, वाउचर या टोकन का मूल्य, जिसके बदले में ऐसा उपहार प्राप्त किया जा सकता है, अनुलाभ के रूप में कर योग्य है। हालाँकि, कुल मिलाकर प्रति वर्ष 5,000 रुपये से कम के उपहार आदि पर कर छूट होगी।

**XV नियोक्ता द्वारा धारा 17(2) के तहत 15,000/- रुपये प्रति वर्ष से अधिक की चिकित्सा प्रतिपूर्ति को अनुलाभ के रूप में लिया जाएगा।**

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुलाभों के मूल्यांकन की विधि अधिनियम की धारा 17(2) और नियमों के नियम 3 में दी गई है। कटौतीकर्ता कटौती के प्रयोजनों के लिए अनुलाभ मूल्य निर्धारित करने से पहले उपरोक्त प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं।

#### **5.2.3 'वेतन के बदले लाभ' में शामिल होगा**

- मैं। करदाता द्वारा अपने नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से उसके रोजगार की समाप्ति या उससे संबंधित नियमों और शर्तों में संशोधन के संबंध में देय या प्राप्त किसी मुआवजे की राशि ;
- द्वितीय. धारा 10 के खंड (10), ( 10ए ), ( 10बी ), ( 11 ), ( 12 ), ( 13 ) या ( 13ए ) में निर्दिष्ट किसी भुगतान को छोड़कर, जो किसी करदाता को देय हो या उसके द्वारा किसी नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से या किसी भविष्य निधि या अन्य निधि से प्राप्त किया गया हो, उस सीमा तक जहां तक इसमें करदाता द्वारा अंशदान या ऐसे अंशदानों पर ब्याज या किसी कीमन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त कोई राशि शामिल नहीं है, जिसमें ऐसी पॉलिसी पर बोनस के रूप में आवंटित राशि भी शामिल है। "कीमन बीमा पॉलिसी" का वही अर्थ होगा जो धारा 10( 10डी ) में दिया गया है;
- तृतीय. करदाता द्वारा देय या प्राप्त की गई कोई भी राशि, चाहे एकमुश्त या अन्यथा किसी भी व्यक्ति से—
- (ए) उस व्यक्ति के साथ कोई रोजगार शुरू करने से पहले; या
- (बी) उस व्यक्ति के साथ उसकी नौकरी समाप्त होने के बाद।

#### **5.3 "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत शामिल न की गई आय (छूट)**

निम्नलिखित में से किसी भी खंड के अंतर्गत आने वाली कोई भी आय अधिनियम की धारा 192 के प्रयोजन के लिए वेतन से आय की गणना में शामिल नहीं की जाएगी : -

**5.3.1** किसी कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से स्वयं और अपने परिवार के लिए प्राप्त या देय किसी यात्रा रियायत या सहायता का मूल्य, (क) भारत में किसी स्थान पर छुट्टी पर जाने या (ख) सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद, या भारत में किसी स्थान पर सेवा समाप्ति के बाद जाने के संबंध में, धारा 10(5) के तहत छूट प्राप्त है, हालांकि, नियमों के नियम 2बी में निर्धारित शर्तों के अधीन।

इस खंड के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति के संबंध में "परिवार" का अर्थ है:

- ( मैं ) व्यक्ति के पति/पत्नी और बच्चे; और
- ( ii ) व्यक्ति के माता-पिता, भाई-बहन या उनमें से कोई भी, जो पूरी तरह या मुख्य रूप से व्यक्ति पर निर्भर हो।

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस खंड के अंतर्गत छूट प्राप्त राशि किसी भी स्थिति में ऐसी यात्रा के प्रयोजन के लिए वास्तव में किए गए व्यय की राशि से अधिक नहीं होगी।

**5.3.2 मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी** या कोई अन्य ग्रेच्युटी धारा 10(10) के तहत कुल आय की गणना में शामिल करने से निर्दिष्ट सीमा तक छूट प्राप्त है। केंद्र सरकार के संशोधित पेंशन नियमों या, जैसा भी मामला हो, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के तहत या संघ की सिविल सेवाओं के सदस्यों या संघ के तहत रक्षा या नागरिक पदों से जुड़े पदों के धारकों (ऐसे सदस्य या धारक उक्त नियमों द्वारा शासित नहीं होने वाले व्यक्ति हैं) या अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों या किसी राज्य की सिविल सेवाओं के सदस्यों या राज्य के तहत नागरिक पदों के धारकों या स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारियों को लागू किसी भी समान योजना के तहत प्राप्त किसी भी मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी या रक्षा सेवा के सदस्यों पर लागू पेंशन कोड या विनियमों के तहत प्राप्त सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी का कोई भुगतान छूट प्राप्त है। ऊपर वर्णित के अलावा अन्य मामलों में, सेवानिवृत्ति, समाप्ति आदि पर प्राप्त ग्रेच्युटी बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा तक छूट प्राप्त है। 10 लाख रुपये 24.05.2010 से प्रभावी [अधिसूचना संख्या 43/2010 एस्ओ 1414(ई) एफ.सं. 200/33/2009-आईटीए-1 दिनांक 11 <sup>वा</sup> 2010]।

**5.3.3** केंद्र सरकार के सिविल पेंशन (संराशीकरण) नियमों के तहत या संघ की सिविल सेवाओं के सदस्यों या संघ के तहत रक्षा या सिविल पदों से जुड़े पदों के धारकों (ऐसे सदस्य या धारक उक्त नियमों द्वारा शासित नहीं होने वाले व्यक्ति हैं) या अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों या रक्षा सेवाओं के सदस्यों या किसी राज्य की सिविल सेवाओं के सदस्यों या राज्य के तहत सिविल पदों के धारकों या किसी स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारियों] या केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम को लागू किसी भी समान योजना के तहत प्राप्त पेंशन के संराशीकरण में कोई भी भुगतान धारा 10(10ए)( i ) के तहत छूट प्राप्त है। किसी अन्य नियोक्ता की किसी भी योजना के तहत प्राप्त पेंशन के संराशीकरण में भुगतान के संबंध में, छूट धारा 10(10 ए)( ii ) के प्रावधानों द्वारा शासित होगी। साथ

ही, धारा 10(23एबी) में निर्दिष्ट निधि से पेंशन के संराशीकरण में कोई भी भुगतान धारा 10(10 ए)( iii) के तहत छूट प्राप्त है।

**5.3.4** केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी कर्मचारी द्वारा **सेवानिवृत्ति के समय** उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में **अवकाश वेतन के नकद समतुल्य के रूप में प्राप्त कोई भी भुगतान**, चाहे वह अधिवर्षिता पर हो या अन्यथा, धारा 10(10 ए)( i ) के तहत छूट प्राप्त है। अन्य कर्मचारियों के मामले में, यह छूट अधिकतम दस महीने की छुट्टी के अधीन, अधिवर्षिता पर या अन्यथा सेवानिवृत्ति के समय उनके खाते में जमा छुट्टी के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी। यह छूट भारत सरकार की अधिसूचना संख्या SO588(E) दिनांक 31.05.2002 द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम राशि 3,00,000/- रुपये तक सीमित होगी, जो ऐसे कर्मचारियों के संबंध में है जो 1.4.1998 के बाद, चाहे अधिवर्षिता पर या अन्यथा सेवानिवृत्त होते हैं।

**5.3.5** धारा 10(10बी) के तहत, किसी कामगार को मिलने वाला **छंटनी मुआवजा** कुछ सीमाओं के अधीन आयकर से मुक्त है। छंटनी मुआवजे की अधिकतम छूट राशि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25एफ(बी) में दिए गए आधार पर गणना की गई राशि या 50,000/- रुपये से कम नहीं की कोई राशि है, जैसा कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है, जो भी कम हो। ये सीमाएं उस मामले में लागू नहीं होंगी जहां मुआवजे का भुगतान किसी भी योजना के तहत किया जाता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किया गया है, जिसमें उस उपक्रम में कामगारों को विशेष सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता और अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है जिस पर यह योजना लागू होती है। ऐसे भुगतान की अधिकतम सीमा 5,00,000/- रुपये है जहां छंटनी 1.1.1997 को या उसके बाद हुई है जैसा कि अधिसूचना संख्या 10969 दिनांक 25-06-1999 में निर्दिष्ट है।

**5.3.6** धारा 10(10सी) के अंतर्गत, निम्नलिखित निकायों के किसी कर्मचारी द्वारा **स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति** या सेवा समाप्ति के समय, **स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति** की किसी योजना या **योजनाओं के अनुसार** या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के मामले में **स्वैच्छिक पृथक्करण की योजना के तहत प्राप्त या प्राप्य कोई भी भुगतान (भले ही किशतों में प्राप्त हुआ हो)** उस सीमा तक आयकर से मुक्त है, जब तक कि ऐसी राशि 5,00,000/- रुपये से अधिक न हो:

- ( ए ) एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी;
- ( बी ) कोई अन्य कंपनी;
- ( सी ) केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित प्राधिकरण;
- ( डी ) एक स्थानीय प्राधिकरण;
- ( ई ) एक सहकारी समिति;
- ( एफ ) किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय, या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय घोषित संस्थान;
- ( जी ) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 3 (जी) के अर्थ के भीतर कोई भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान;
- ( एच ) ऐसा प्रबंध संस्थान जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के अंतर्गत प्राप्त राशि पर छूट केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा पूरे भारत या किसी राज्य या राज्यों में महत्वपूर्ण अधिसूचित संस्थानों के कर्मचारियों को भी प्रदान की गई है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि जहाँ किसी कर्मचारी को किसी निर्धारण वर्ष के लिए यह छूट दी गई है, वहाँ उसे किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए यह छूट नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता पर प्राप्त राशि के संबंध में किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 89 के अंतर्गत छूट दी गई है, तो धारा 10(10सी) के अंतर्गत कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी।

**5.3.7 जीवन बीमा पॉलिसी (धारा 10(10डी) के अंतर्गत प्राप्त** कोई भी राशि, जिसमें निम्नलिखित के अलावा ऐसी पॉलिसी पर बोनस के रूप में आवंटित राशि भी शामिल है, धारा 10(10डी) के अंतर्गत छूट प्राप्त है:

- ( मैं ) डीडी( 3 ) या धारा 80 डीडीए( 3 ) के तहत प्राप्त कोई राशि ; या
- ( ii ) कीमैन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त कोई राशि; या
- ( iii ) 1.4.2003 को या उसके बाद, किन्तु 31-03-2012 को या उससे पहले जारी की गई किसी बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त कोई राशि, जिसके संबंध में पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी वर्ष के लिए देय प्रीमियम वास्तविक बीमित पूंजी राशि के 20 प्रतिशत से अधिक हो; या
- ( iv ) 1.4.2012 को या उसके बाद जारी की गई बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त कोई राशि जिसके संबंध में पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी वर्ष के लिए देय प्रीमियम वास्तविक पूंजीगत बीमित राशि के 10 प्रतिशत से अधिक है; या
- ( वी ) धारा 80यू के अनुसार विकलांग व्यक्तियों या गंभीर विकलांगता वाले व्यक्तियों या धारा 80डीडीबी में निर्दिष्ट बीमारी या व्याधि से पीड़ित व्यक्तियों के मामले में 1.4.2013 को या उसके बाद जारी की गई बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त कोई राशि, जिसके संबंध में पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी वर्ष के लिए देय प्रीमियम वास्तविक पूंजीगत बीमित राशि के 15 प्रतिशत से अधिक है।

हालाँकि, किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उपरोक्त (iii), (iv) और (v) में उल्लिखित ऐसी पॉलिसी के तहत प्राप्त कोई भी राशि कर मुक्त होगी।

अधिनियम की धारा 10 (12ए) के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट से किसी कर्मचारी को उसके खाते को बंद करने पर या धारा 80सीसीडी में निर्दिष्ट पेंशन योजना से बाहर निकलने पर किया जाने वाला कोई भी भुगतान, उस सीमा तक, जो योजना से बाहर निकलने के उसके विकल्प के समय उसे देय कुल राशि के चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

अधिनियम की धारा 10 (12बी) के अनुसार, धारा 80सीसीडी में निर्दिष्ट पेंशन योजना के तहत किसी कर्मचारी को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट से कोई भी भुगतान, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) और उसके तहत बनाए गए विनियमन के तहत निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार उसके खाते से आंशिक निकासी पर, इस सीमा तक कि यह उसके द्वारा किए गए योगदान की राशि के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं है।

**5.3.8 भविष्य निधि से कोई भी भुगतान**, जिस पर भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता है या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित और आधिकारिक राजपत्र में इसके द्वारा अधिसूचित किसी अन्य भविष्य निधि से कोई भी भुगतान धारा 10(11) के तहत छूट प्राप्त है।

**5.3.9 अधिनियम की धारा 10(13ए) के अंतर्गत, किसी करदाता को उसके नियोक्ता द्वारा उसके आवास के संबंध में किराए (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) के भुगतान पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए विशेष रूप से प्रदान किया गया कोई भी विशेष भत्ता**, उस क्षेत्र या स्थान को ध्यान में रखते हुए, जहाँ ऐसा आवास स्थित है और अन्य प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित सीमा तक आयकर से मुक्त है। नियमों के नियम 2ए के अनुसार, किराए के भुगतान पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए विशेष भत्ता प्रदान करने के कारण स्वीकार्य छूट की मात्रा निम्नलिखित में से कम से कम होगी:

- ( ए ) प्रासंगिक अवधि के संबंध में करदाता द्वारा प्राप्त ऐसे भत्ते की वास्तविक राशि, अर्थात् वह अवधि जिसके दौरान वित्तीय वर्ष के दौरान करदाता द्वारा आवास का उपयोग किया गया था ; या
- ( बी ) प्रासंगिक अवधि के लिए देय वेतन के दसवें भाग से अधिक किराए के भुगतान में किया गया वास्तविक व्यय; या
- ( में ) जहां ऐसा आवास बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास में स्थित है, वहां कर्मचारी को संबंधित अवधि के लिए देय वेतन का 50%; या
- ( ii ) जहां ऐसा आवास किसी अन्य स्थान पर स्थित है, वहां कर्मचारी को संबंधित अवधि के लिए देय वेतन का 40% देय होगा।

इस प्रयोजन के लिए, "वेतन" में महंगाई भत्ता शामिल है, यदि रोजगार की शर्तों में ऐसा प्रावधान है, लेकिन अन्य सभी भत्ते और सुविधाएं इसमें शामिल नहीं हैं।

करदाता द्वारा अधिगृहीत आवासीय आवास के संबंध में किराए के भुगतान पर वास्तव में किया गया व्यय ही आयकर से छूट के लिए पात्र है। इस प्रकार, अपने स्वामित्व वाले मकान/फ्लैट में रहने वाले कर्मचारी को दिया गया मकान किराया भत्ता आयकर से मुक्त नहीं है। संवितरण प्राधिकारियों को कर्मचारी की कुल आय से मकान किराया भत्ता या उसके किसी भाग को हटाने से पहले किराए के वास्तविक भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने पर ज़ोर देकर इस संबंध में स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए।

यद्यपि धारा 10(13ए) के अंतर्गत कटौती का दावा करने के लिए किराए के भुगतान पर वास्तविक व्यय करना एक पूर्व-आवश्यकता है, फिर भी एक प्रशासनिक उपाय के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि 3000/- रुपये प्रति माह तक का मकान किराया भत्ता पाने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों को किराए की रसीद प्रस्तुत करने से छूट दी जाएगी। हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि यह छूट केवल स्रोत पर कर-कटौती के उद्देश्य से है, और कर्मचारी के नियमित मूल्यांकन में, मूल्यांकन अधिकारी स्वयं को संतुष्ट करने के लिए, कि कर्मचारी ने किराए के भुगतान पर वास्तविक व्यय किया है, ऐसी जाँच करने के लिए स्वतंत्र होगा जैसा वह उचित समझे।

इसके अलावा, यदि कर्मचारी द्वारा दिया जाने वाला वार्षिक किराया 1,00,000 रुपये से अधिक है, तो कर्मचारी के लिए नियोक्ता को मकान मालिक का पैन नंबर बताना अनिवार्य है। यदि मकान मालिक के पास पैन नंबर नहीं है, तो कर्मचारी को मकान मालिक के नाम और पते सहित इस आशय का एक घोषणापत्र दाखिल करना होगा।

**5.3.10 धारा 10(14) निम्नलिखित भत्तों से छूट प्रदान करती है: -**

- ( में ) किसी कर्मचारी को नियम 2बीबी के तहत निर्धारित अपने कर्तव्यों के निष्पादन में पूर्णतः, अनिवार्यतः और अनन्य रूप से किए गए व्यय को पूरा करने के लिए दिया गया कोई विशेष भत्ता या लाभ, इस सीमा के अधीन कि ऐसे व्यय वास्तव में उस प्रयोजन के लिए किए गए हैं।
- ( ii ) किसी कर्मचारी को उसकी तैनाती के स्थान पर या जहां वह सामान्यतः रहता है, उसके व्यक्तिगत व्ययों को पूरा करने के लिए या जीवन-यापन की बढ़ी हुई लागत की प्रतिपूर्ति के लिए दिया जाने वाला कोई भत्ता, जो निर्धारित किया जा सकता है और उस सीमा तक, जैसा निर्धारित किया जा सकता है।

तथापि, उपर्युक्त (ii) में निर्दिष्ट भत्ता व्यक्तिगत भत्ते की प्रकृति का नहीं होना चाहिए जो करदाता को उसके कार्यालय या रोजगार से संबंधित विशेष प्रकृति के कर्तव्यों के निष्पादन के लिए पारिश्रमिक या क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया जाता है, जब तक कि ऐसा भत्ता उसकी तैनाती या निवास स्थान से संबंधित न हो।

सीबीडीटी ने धारा 10(14) ( i ) और 10 (14) (ii) के प्रयोजन के लिए अधिसूचना संख्या एसओ 617(ई) दिनांक 7 जुलाई, 1995 (एफ.सं.142/9/95- टीपीएल) के तहत दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं, जिसे अधिसूचना एसओ संख्या 403(ई) दिनांक 24.4.2000 (एफ.सं.142/34/99-टीपीएल) के तहत संशोधित किया गया है। किसी कर्मचारी को उसके निवास स्थान और कर्तव्य स्थल के बीच आवागमन के प्रयोजन हेतु उसके व्यय को पूरा करने के लिए दिए जाने वाले परिवहन भत्ते पर अधिसूचना एसओ संख्या के तहत 1600 रुपये प्रति माह या 3200 रुपये प्रति माह (अंधे या मूक-बधिर या निम्नतर चरम विकलांगता वाले अस्थि विकलांग व्यक्ति के लिए) की सीमा तक छूट दी गई है। 395(ई) दिनांक 13.05.98 के तहत एस.ओ. संख्या 1002 (ई) दिनांक 13.04.2015 एवं एस.ओ. संख्या 2604 (ई) दिनांक 23.09.2015 के तहत।

**5.3.11 अधिनियम की धारा 10(15)(iv)( i ) के अंतर्गत, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के किसी कर्मचारी द्वारा अपने सेवानिवृत्ति लाभों में से, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में बनाई गई और राजपत्र में अधिसूचित ऐसी योजना के अनुसार जमा राशि पर सरकार द्वारा देय ब्याज आयकर से मुक्त है। अधिसूचना संख्या F.2/14/89-NS-II दिनांक 7.6.89 द्वारा, जैसा कि अधिसूचना संख्या F.2/14/89-NS-II दिनांक 12.10.89 द्वारा संशोधित किया गया है, केंद्र सरकार ने उक्त खंड के प्रयोजनार्थ सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजना, 1989 नामक एक योजना अधिसूचित की है।**

**5.3.12** शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए दी गई किसी भी छात्रवृत्ति को अधिनियम की धारा 10(16) के प्रावधानों के अनुसार कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा।

**5.3.13** धारा 10(18) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पेंशन के रूप में प्राप्त किसी भी आय पर कर से छूट प्रदान करती है, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सेवा में रहा हो और जिसे "परमवीर चक्र" या "महावीर चक्र" या "वीर चक्र" या केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित किसी अन्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो। ऐसे व्यक्ति के परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा प्राप्त पारिवारिक पेंशन भी कर से छूट प्राप्त है [अधिसूचना संख्या SO1948(E) दिनांक 24.11.2000 और 81(E) दिनांक 29.1.2001, जो अनुलग्नक VIII और IX के अनुसार संलग्न हैं]। इस प्रयोजन के लिए "परिवार" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 10(5) में निर्दिष्ट है।

*डीडीओ दावे की सत्यता के बारे में स्वयं संतुष्ट होने के बाद ऐसे पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के मामले में कोई कर नहीं काट सकता है।*

**5.3.14** अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत निम्नलिखित के संबंध में भी कर से छूट उपलब्ध होगी:-

- ( ए ) नियोक्ता द्वारा संचालित किसी अस्पताल में किसी कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य को प्रदान की गई किसी भी चिकित्सा उपचार का मूल्य ;
- ( बी ) कर्मचारी द्वारा अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के चिकित्सा उपचार पर वास्तव में किए गए किसी व्यय के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई कोई राशि;
- ( में ) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित किसी अस्पताल में या सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के चिकित्सा उपचार के प्रयोजनार्थ अनुमोदित किसी अन्य अस्पताल में;
- ( ii ) ए( 2 ) में यथा उपबंधित निर्धारित रोगों या व्याधियों के संबंध में, नियमों के नियम 3(ए)(1) में यथा उपबंधित निर्धारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित किसी अस्पताल में,
- ( सी ) नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए लिए गए चिकित्सा बीमा के संबंध में भुगतान किया गया प्रीमियम (केन्द्रीय सरकार या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी योजना के तहत) या उन कर्मचारियों को बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति जो स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा बीमा लेते हैं (केन्द्रीय सरकार या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी योजना के तहत);
- ( डी ) नियोक्ता द्वारा, किसी कर्मचारी द्वारा स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए किसी भी डॉक्टर से चिकित्सा उपचार प्राप्त करने में खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति, जो एक वर्ष में कुल मिलाकर 15,000/- रुपये से अधिक नहीं होगी;
- ( ई ) विदेश में चिकित्सा उपचार के संबंध में, कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के विदेश में रहने और उपचार पर, या ऐसे उपचार के संबंध में रोगी के साथ आए किसी एक परिचारक के विदेश में रहने पर होने वाला वास्तविक व्यय, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक, अनुलाभों से बाहर रखा जाएगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रोगी/परिचारक द्वारा विदेश यात्रा पर किया गया व्यय, अनुलाभों से केवल तभी बाहर रखा जाएगा जब कर्मचारी की सकल कुल आय, जैसा कि उक्त व्यय को शामिल करते हुए पूर्व गणना की गई है, 2 लाख रुपये से अधिक न हो।

चिकित्सा उपचार पर किए गए व्यय पर छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से, "अस्पताल" में डिस्पेंसरी, क्लिनिक या नर्सिंग होम शामिल हैं, और किसी व्यक्ति के संबंध में "परिवार" का अर्थ उस व्यक्ति के पति/पत्नी और बच्चे हैं। परिवार में व्यक्ति के माता-पिता, भाई-बहन भी शामिल हैं, यदि वे पूरी तरह या मुख्य रूप से उस व्यक्ति

पर निर्भर हैं।

यह उल्लेख करना उचित होगा कि अधिनियम की धारा 10(13ए), 10(5), 10(14), 17 आदि के अंतर्गत विशेष रूप से छूट प्राप्त लाभ भी छूट प्राप्त बने रहेंगे। इनमें मकान किराया भत्ता, अवकाश यात्रा रियायत, दौरे और स्थानांतरण पर यात्रा व्यय भत्ता, निर्धारित दौरे के खर्चों को पूरा करने के लिए दैनिक भत्ता, और शर्तों के अधीन चिकित्सा सुविधाएँ शामिल हैं।

**5.3.15 इस संबंध में यह ध्यान देने योग्य है कि नियम 2बी के साथ पठित धारा 10(14) के अनुसार, दौरे या स्थानांतरण पर यात्रा की लागत को पूरा करने के लिए दिए गए किसी भी भत्ते में स्थानांतरण, पैकिंग और ऐसे स्थानांतरण के लिए व्यक्तिगत सामान के परिवहन के संबंध में भुगतान की गई कोई भी राशि शामिल है, वह छूट प्राप्त होगी। इसके अलावा, स्थानांतरण के संबंध में यात्रा की अवधि के लिए दिया गया कोई भी भत्ता, किसी कर्मचारी द्वारा अपने सामान्य कर्तव्य स्थल से अनुपस्थिति के कारण होने वाले सामान्य दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए, छूट प्राप्त होगा।**

#### **5.4 वेतन से आय से अधिनियम की धारा 16 के तहत कटौती**

##### **5.4.1 मनोरंजन भत्ता [धारा 16(ii)]:**

धारा 16(ii) के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा सरकार से वेतन प्राप्त करने वाले करदाता को विशेष रूप से दिए गए मनोरंजन भत्ते के संबंध में भी कटौती की अनुमति है। यह कटौती उसके वेतन के पाँचवें भाग (किसी भी भत्ते, लाभ या अन्य अनुलाभ को छोड़कर) या पाँच हजार रुपये, जो भी कम हो, के बराबर होगी। गैर-सरकारी कर्मचारियों को मनोरंजन भत्ते के कारण कोई कटौती उपलब्ध नहीं है।

##### **5.4.2 रोजगार पर कर [धारा 16(iii)]:**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 276(2) के अर्थ में रोजगार पर कर (व्यावसायिक कर), जो किसी कानून द्वारा या उसके अधीन लगाया जा सकता है, को भी "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी।

यह स्पष्ट किया जाए कि सकल वेतन आय से "मानक कटौती", जो वित्तीय वर्ष 2004-05 तक अनुमत थी, वित्तीय वर्ष 2005-06 से स्वीकार्य नहीं है।

#### **5.5 अधिनियम के अध्याय VI-A के तहत कटौती**

कर्मचारी की कर योग्य आय की गणना करते समय, अधिनियम के अध्याय VI-ए के तहत उसकी सकल कुल आय से निम्नलिखित कटौतियाँ की जाएंगी:

##### **5.5.1 जीवन बीमा प्रीमियम, आस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि में अंशदान, कुछ इक्विटी शेयरों या डिबेंचर आदि में अभिदान के संबंध में कटौती (धारा 80सी)**

धारा 80सी के तहत कर्मचारी को चालू वित्त वर्ष में निम्नलिखित योजनाओं में भुगतान या जमा की गई पूरी राशि के लिए कटौती का अधिकार मिलता है, जिसकी सीमा 1,50,000 रुपये तक है :

- (1) किसी व्यक्ति, उसके पति/पत्नी या बच्चे के जीवन पर बीमा लागू करने या उसे जारी रखने के लिए **बीमा प्रीमियम** का भुगतान।
- (2) **आस्थगित वार्षिकी** के लिए अनुबंध को प्रभावी करने या लागू रखने के लिए किया गया कोई भुगतान, जो वार्षिकी योजना नहीं है जैसा कि नीचे मद (7) में संदर्भित है, व्यक्ति, व्यक्ति के पति या पत्नी या किसी बच्चे के जीवन पर, बशर्ते कि ऐसे अनुबंध में बीमाधारक द्वारा वार्षिकी के भुगतान के बदले नकद भुगतान प्राप्त करने के विकल्प के प्रयोग का प्रावधान नहीं है;
- (3) सरकार द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को देय वेतन से कटौती की गई कोई राशि, जो उसकी सेवा की शर्तों के अनुसार उसे **आस्थगित वार्षिकी प्राप्त करने** या उसके पति/पत्नी या बच्चों के लिए प्रावधान करने के उद्देश्य से कटौती की गई राशि हो, जहां तक कटौती की गई राशि वेतन के 1/5वें भाग से अधिक न हो;
- (4) कोई भी योगदान दिया गया:
  - (ए) किसी व्यक्ति द्वारा किसी **भविष्य निधि में**, जिस पर भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता है;
  - (बी) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किसी भविष्य निधि में, तथा इस संबंध में उसके द्वारा राजपत्र में अधिसूचित, जहां ऐसा अंशदान किसी व्यक्ति, या पति/पत्नी या बच्चों के नाम पर खाते में है;  
[केंद्र सरकार ने अधिसूचना एसओ संख्या 1559 (ई) दिनांक 3.11.05 के तहत सार्वजनिक भविष्य निधि को अधिसूचित किया है]
  - (सी) किसी कर्मचारी द्वारा मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में जमा की गई राशि;
  - (डी) किसी कर्मचारी द्वारा अनुमोदित सुपरएनुएशन फंड में जमा की गई राशि;यह ध्यान दिया जा सकता है कि किसी भी निधि में "योगदान" में ऋण या अग्रिम की अदायगी में कोई राशि शामिल नहीं होगी;

- (5) वर्ष के दौरान सदस्यता के रूप में भुगतान या जमा की गई कोई भी राशि: -
- (ए) कर्मचारी के नाम पर या उस कर्मचारी की किसी बालिका के नाम पर, जिसके अंतर्गत ऐसी बालिका भी है जिसके लिए कर्मचारी केन्द्रीय सरकार की किसी ऐसी प्रतिभूति या किसी ऐसी जमा योजना में विधिक संरक्षक है, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त निर्दिष्ट करे;  
[केंद्र सरकार ने अधिसूचना जीएसआर संख्या 863(ई) दिनांक 02.12.2014 के तहत 'सुकन्या समृद्धि खाता' योजना को अधिसूचित किया है]
- (बी) सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 की धारा 2(सी) के तहत परिभाषित किसी भी ऐसे बचत प्रमाणपत्र पर, जिसे सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है।  
[केंद्र सरकार ने अधिसूचना एसओ संख्या 1560 (ई) दिनांक 3.11.05 के तहत राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (आठवां अंक) और अधिसूचना जीएसआर 848 (ई), दिनांक 29 नवंबर, 2011 के तहत राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (IX-अंक) को अधिसूचित किया है, जिसमें राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (IX-अंक) नियम, 2011 जीएसआर 868 (ई), दिनांक 7 दिसंबर, 2011 को प्रकाशित किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र IX अंक को बचत प्रमाणपत्रों की श्रेणी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है एफ सं.1-13/2011-एनएस-II आर/डब्ल्यू संशोधन अधिसूचना सं. जीएसआर 319 (ई), दिनांक 25-4-2012 ]
- (6) किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं, पति/पत्नी या किसी बच्चे के लिए अंशदान के रूप में दी गई कोई राशि,  
ए। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की यूनिट लिंकड इश्योरेंस प्लान, 1971 में भागीदारी के लिए;  
बी। धारा 10 (23डी) में संदर्भित और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एलआईसी म्यूचुअल फंड की किसी भी यूनिट-लिंकड बीमा योजना में भागीदारी के लिए  
[केंद्र सरकार ने अधिसूचना एसओ संख्या 1561 (ई) दिनांक 3.11.05 के तहत एलआईसी म्यूचुअल फंड की यूनिट लिंकड इश्योरेंस प्लान (जिसे पहले धनरक्षा, 1989 के नाम से जाना जाता था) को अधिसूचित किया है।]
- (7) जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता की ऐसी वार्षिकी योजना के लिए अनुबंध को प्रभावी बनाने या लागू रखने के लिए किया गया कोई भी अंशदान, जिसे केन्द्रीय सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है;  
[केंद्र सरकार ने अधिसूचना एसओ संख्या 1562(ई) दिनांक 3.11.05 के तहत नई जीवन धारा, नई जीवन धारा-I, नई जीवन अक्षय, नई जीवन अक्षय-I और नई जीवन अक्षय-II और अधिसूचना एसओ संख्या 847(ई) दिनांक 1.6.2006 के तहत जीवन अक्षय-III को अधिसूचित किया है।]
- (8) धारा 10(23डी) के अंतर्गत किसी म्यूचुअल फंड की किसी यूनिट में, या भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002 में निर्दिष्ट प्रशासक या निर्दिष्ट कंपनी से, किसी योजना के अनुसार तैयार की गई किसी योजना के अंतर्गत किया गया कोई अंशदान, जिसे केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है;  
[केंद्र सरकार ने इस प्रयोजन के लिए दिनांक 3.11.2005 की अधिसूचना एसओ संख्या 1563(ई) के तहत इक्विटी लिंकड सेविंग स्कीम, 2005 को अधिसूचित किया है]  
इक्विटी लिंकड सेविंग स्कीम, 1992 या इक्विटी लिंकड सेविंग स्कीम, 1998 के अनुसार तैयार की गई योजनाओं में 1.4.2006 के बाद किए गए निवेश भी धारा 80सी के तहत कटौती के लिए पात्र होंगे।
- (9) धारा 10(23डी) में निर्दिष्ट किसी म्यूचुअल फंड द्वारा स्थापित किसी पेंशन फंड में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई योगदान, या, प्रशासक या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (उपक्रम का हस्तांतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 में परिभाषित निर्दिष्ट कंपनी द्वारा, जैसा कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है;  
[केंद्र सरकार ने इस प्रयोजन के लिए दिनांक 3.11.2005 की अधिसूचना एसओ संख्या 1563(ई) के तहत इक्विटी लिंकड सेविंग स्कीम, 2005 को अधिसूचित किया है]
- (10) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा स्थापित किसी ऐसी जमा योजना में किया गया कोई अंशदान या किसी ऐसी पेंशन निधि में किया गया कोई अंशदान, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट करे;
- (11) किसी ऐसी जमा योजना में किया गया कोई अंशदान, जिसे केन्द्रीय सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित द्वारा जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट करे: (क) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां जो भारत में आवासीय प्रयोजनों के लिए मकानों के निर्माण या खरीद के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने में लगी हुई हैं, या, (ख) भारत में गठित कोई प्राधिकरण जो किसी कानून के तहत या उसके द्वारा, आवास की आवश्यकता से निपटने और उसे पूरा करने के लिए या शहरों, कस्बों और गांवों की

योजना, विकास या सुधार के प्रयोजन के लिए, या दोनों के लिए अधिनियमित किया गया है।

[केंद्र सरकार ने धारा 80सी(2)(xvi)(ए) के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना एसओ संख्या 37(ई), दिनांक 11.01.2007 के तहत हुडको की सार्वजनिक जमा योजना को अधिसूचित किया है।]

- (12) करदाता द्वारा भुगतान की गई कोई राशि, जिससे प्राप्त आय "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है (या जो यदि करदाता के अपने निवास के लिए उपयोग नहीं की गई होती, तो उस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती) जहां ऐसे भुगतान किसी विकास प्राधिकरण, आवास बोर्ड आदि की किसी स्व-वित्तपोषण या अन्य योजना के अंतर्गत देय राशि के किसी किस्त या आंशिक भुगतान के माध्यम से किए जाते हैं।

करदाता द्वारा सरकार, किसी बैंक, जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय आवास बैंक, या भारत में मकान निर्माण या खरीद के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के व्यवसाय में लगे कुछ अन्य श्रेणी के संस्थानों से लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान के संबंध में भी स्वीकार्य होगी। नियोक्ता से लिए गए ऋण के किसी भी पुनर्भुगतान को भी कवर किया जाएगा, यदि नियोक्ता कोई सार्वजनिक कंपनी, या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, या विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय, या ऐसे विश्वविद्यालय से संबद्ध कोई महाविद्यालय, या कोई स्थानीय प्राधिकरण, या कोई सहकारी समिति, या कोई प्राधिकरण, या कोई बोर्ड, या कोई निगम, या किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत स्थापित कोई अन्य निकाय है।

हस्तांतरण के उद्देश्य से किए गए स्टॉप शुल्क, पंजीकरण शुल्क और अन्य खर्च भी कवर किए जाएंगे। हालांकि, गृह संपत्ति की लागत के भुगतान में प्रवेश शुल्क, शेयर या प्रारंभिक जमा राशि की लागत या गृह संपत्ति में किसी भी प्रकार के परिवर्धन या परिवर्तन, या नवीनीकरण या मरम्मत की लागत शामिल नहीं होगी, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद, या करदाता द्वारा घर पर कब्जा करने के बाद या उसे किराए पर दिए जाने के बाद की जाती है। अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के तहत कटौती योग्य किसी भी व्यय के भुगतान को भी गृह संपत्ति की खरीद या निर्माण की लागत के भुगतान में शामिल नहीं किया जाएगा।

जहां गृह संपत्ति, जिसके संबंध में इन प्रावधानों के तहत कटौती की अनुमति दी गई है, को करदाता द्वारा उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष की समाप्ति से पहले किसी भी समय स्थानांतरित किया जाता है जिसमें ऐसी संपत्ति का कब्जा उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है या वह रिफंड के माध्यम से या अन्यथा धारा 80 सी (2) (xviii) में निर्दिष्ट किसी भी राशि को वापस प्राप्त करता है, इन प्रावधानों के तहत कोई कटौती ऐसे पिछले वर्ष में भुगतान की गई ऐसी राशियों के संबंध में अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें स्थानांतरण किया गया है और पहले के वर्षों में अनुमत आय की कटौती की कुल राशि ऐसे पिछले वर्ष की करदाता की कुल आय में जोड़ दी जाएगी और तदनुसार कर के लिए उत्तरदायी होगी।

- (13) कर्मचारी के किन्हीं दो बच्चों की पूर्णकालिक शिक्षा के उद्देश्य से भारत में स्थित किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्थान को प्रवेश के समय या उसके बाद दी गई ट्यूशन फीस।

पूर्णकालिक शिक्षा में किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान द्वारा किसी छात्र को प्रदान किया जाने वाला कोई भी शैक्षणिक पाठ्यक्रम शामिल है, जो उक्त पाठ्यक्रम के लिए पूर्णकालिक रूप से नामांकित है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पूर्णकालिक शिक्षा में प्ले-स्कूल गतिविधियाँ, प्री-नर्सरी और नर्सरी कक्षाएँ शामिल हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि ट्यूशन फीस के रूप में स्वीकार्य राशि में भारत में किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्थान को किया गया कोई भी शुल्क शामिल होगा, सिवाय विकास शुल्क या दान या कैपिटेशन फीस या इसी प्रकार के भुगतान के रूप में भुगतान की गई राशि को छोड़कर।

- (14) किसी सार्वजनिक कंपनी द्वारा जारी पूंजी के किसी पात्र निर्गम का हिस्सा बनने वाले इक्विटी शेयरों या डिबेंचर का अभिदान, जिसे बोर्ड या किसी सार्वजनिक वित्त संस्थान द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

- (15) धारा 10 के खंड (23डी) में निर्दिष्ट और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी म्यूचुअल फंड की किसी भी इकाई में अभिदान, यदि ऐसी इकाइयों में अभिदान की राशि किसी कंपनी की पूंजी के केवल पात्र निर्गम में अभिदत्त की जाती है।

- (16) किसी अनुसूचित बैंक में कम से कम पांच वर्ष की निश्चित अवधि के लिए सावधि जमा के रूप में निवेश, जो इन प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में तैयार और अधिसूचित योजना के अनुसार हो।

[केंद्र सरकार ने इस प्रयोजन के लिए दिनांक 28.7.2006 की अधिसूचना एसओ संख्या 1220(ई) के तहत बैंक सावधि जमा योजना, 2006 को अधिसूचित किया है।]

- (17) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी ऐसे बांडों में अभिदान, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट करे।

- (18) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियम, 2004 के अंतर्गत किसी खाते में किया गया कोई भी निवेश।

- (19) डाकघर सावधि जमा नियम, 1981 के अंतर्गत किसी खाते में पांच वर्ष की सावधि जमा के रूप में कोई भी निवेश।

बी. धारा 80 सी ( 3) और 80 सी (3 ए) में कहा गया है कि आस्थगित वार्षिकी के लिए अनुबंध के अलावा बीमा पॉलिसी के मामले में किसी भी प्रीमियम या अन्य भुगतान की राशि निम्न तक सीमित है:

<sup>1</sup> अप्रैल 2012 से पहले जारी की गई पॉलिसी	वास्तविक पूंजीगत बीमित राशि का 20%
<sup>1</sup> अप्रैल 2012 को या उसके बाद जारी की गई पॉलिसी	वास्तविक पूंजीगत बीमित राशि का 10%
<sup>1</sup> अप्रैल 2013 को या उसके बाद जारी की गई पॉलिसी * - धारा 80 यू के अनुसार विकलांगता वाले या गंभीर विकलांगता वाले व्यक्ति या धारा 80डीडीबी के तहत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट बीमारी या व्याधि से पीड़ित व्यक्ति के मामले में	वास्तविक पूंजीगत बीमित राशि का 15%

\*वित्त अधिनियम 2013 द्वारा प्रस्तुत

जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में वास्तविक पूंजीगत बीमा राशि का अर्थ है पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी समय बीमित घटना के घटित होने पर पॉलिसी के तहत न्यूनतम बीमित राशि, जिसमें निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जाता है -

- i. किसी भी प्रीमियम का मूल्य वापस करने के लिए सहमत, या
- ii. किसी भी व्यक्ति द्वारा पॉलिसी के अंतर्गत वास्तविक बीमित राशि के अतिरिक्त बोनस या अन्य किसी रूप में प्राप्त किया जाने वाला कोई भी लाभ

### 5.5.2 कुछ पेंशन निधियों में योगदान के संबंध में कटौती (धारा 80सीसीसी)

धारा 80सीसीसी, किसी कर्मचारी को भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता की किसी वार्षिकी योजना के लिए धारा 10(23 एबी) में निर्दिष्ट निधि से पेंशन प्राप्त करने हेतु अनुबंध को प्रभावी बनाने या लागू रखने हेतु उसकी कर-योग्य आय में से भुगतान की गई या जमा की गई राशि की कटौती की अनुमति देती है। हालांकि, इस कटौती में कर्मचारी के खाते में अर्जित या जमा किया गया ब्याज या बोनस, यदि कोई हो, शामिल नहीं होगा और यह 1,50,000 रुपये से अधिक नहीं होगा।

तथापि, यदि उपर्युक्त निधि में कर्मचारी के खाते में कोई राशि जमा है और ऊपर बताए अनुसार कटौती की अनुमति दी गई है और कर्मचारी या उसके नामित व्यक्ति को यह राशि ब्याज या बोनस के साथ प्राप्त होती है जो इस खाते में निम्नलिखित कारणों से अर्जित या जमा की गई है,

- ( i ) वार्षिकी योजना का पूर्णतः या आंशिक रूप से समर्पण
- ( ii ) वार्षिकी योजना से प्राप्त पेंशन

तो वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त राशि उस वित्तीय वर्ष के लिए कर्मचारी या उसके नामित की आय होगी और तदनुसार उस पर कर लगाया जाएगा।

जहां कर्मचारी द्वारा भुगतान या जमा की गई किसी राशि को इस धारा के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा गया है, ऐसी राशि के संदर्भ में कटौती धारा 80 सी के तहत अनुमति नहीं दी जाएगी।

### 5.5.3 केंद्र सरकार की पेंशन योजना में अंशदान के संबंध में कटौती (धारा 80सीसीडी):

धारा 80सीसीडी(1) किसी कर्मचारी को, जो 01.01.2004 को या उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा नियोजित व्यक्ति हो या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा नियोजित व्यक्ति हो, या कोई अन्य करदाता व्यक्ति हो, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-एनपीएस की अधिसूचना संख्या एफएन 5/7/2003-ईसीबीएंडपीआर दिनांक 22.12.2003 द्वारा अधिसूचित पेंशन योजना के अंतर्गत कर योग्य उसकी आय में से भुगतान या जमा की गई राशि की कटौती की अनुमति देता है, या जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। हालांकि, कटौती उसके वेतन के 10% के बराबर राशि से अधिक नहीं होगी (इसमें महंगाई भत्ता शामिल है, लेकिन अन्य सभी भत्ते और अनुलाभ शामिल नहीं हैं)।

धारा 80सीसीडी(1बी) के अनुसार, 80 सीसीडी( 1) में निर्दिष्ट करदाता को उसकी आय की गणना में , केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित या अधिसूचित पेंशन योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष उसके खाते में भुगतान की गई या जमा की गई संपूर्ण राशि की कटौती की अनुमति होगी, जो 50,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। 50,000 रुपये की कटौती की अनुमति होगी चाहे उप- धारा ( 1) के अंतर्गत कोई कटौती अनुमत हो या नहीं। हालांकि, धारा 80सीसीडी की उप-धारा (1) और उप-धारा (1बी) दोनों के अंतर्गत एक ही राशि का दावा नहीं किया जा सकता है।

सीसीडी ( 2) के अनुसार , जहां उक्त पेंशन योजना में कोई योगदान केंद्र सरकार या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा किया जाता है, तो कर्मचारी को पिछले वर्ष के उसके वेतन के 10% की सीमा के अधीन केंद्र सरकार या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा योगदान की गई पूरी राशि की उसकी कुल आय से कटौती की अनुमति दी जाएगी। यदि उपर्युक्त पेंशन योजना में कर्मचारी के खाते में कोई राशि जमा है और ऊपर बताए अनुसार कटौती की अनुमति दी गई है, और कर्मचारी या उसके नामित व्यक्ति को यह राशि उस पर अर्जित राशि के साथ प्राप्त होती है, तो

( में ) पेंशन योजना को बंद करना या उससे बाहर निकलना या

( ii ) खरीदी गई वार्षिकी योजना से प्राप्त पेंशन और ऐसे बंद होने या इससे बाहर निकलने पर ली गई पेंशन

तो वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त राशि उस वित्तीय वर्ष के लिए कर्मचारी या उसके नामित व्यक्ति की आय होगी और तदनुसार उस पर कर लगाया जाएगा।

i ) में निर्दिष्ट परिस्थितियों के तहत, करदाता की मृत्यु पर नामिती द्वारा प्राप्त राशि, नामिती की आय नहीं मानी जाएगी।

जहां कर्मचारी द्वारा भुगतान या जमा की गई किसी राशि को इस धारा के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा गया है, ऐसी राशि के संदर्भ में कटौती धारा 80 सी के तहत अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसके अलावा यह निर्दिष्ट किया गया है कि 01.04.09 से नई पेंशन योजना से कर्मचारी द्वारा प्राप्त कोई भी राशि पिछले वर्ष में प्राप्त नहीं मानी जाएगी यदि ऐसी राशि का उपयोग उसी पिछले वर्ष में वार्षिकी योजना खरीदने के लिए किया जाता है।

इस बात पर जोर दिया जाता है कि धारा 80सीसीई के अनुसार , धारा 80सी, 80सीसीसी और धारा 80 सीसीडी( 1 ) के अंतर्गत कटौती की कुल राशि 1,50,000/- रुपये से अधिक नहीं होगी। धारा 80सीसीडी(1बी) के अंतर्गत दी जाने वाली कटौती, एनपीएस में 50,000/- रुपये तक की किसी भी राशि के भुगतान पर एक अतिरिक्त कटौती है। हालांकि, केंद्र सरकार या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा धारा 80 सीसीडी( 2 ) के अंतर्गत किसी पेंशन योजना में किया गया अंशदान इस धारा के अंतर्गत प्रदत्त 1,50,000/- रुपये की सीमा से बाहर रखा जाएगा।

#### 5.5.4 इक्विटी बचत योजना (धारा 80 सीसीजी) के तहत किए गए निवेश के संबंध में कटौती:

धारा 80सीसीजी, अधिसूचित इक्विटी बचत योजना के अंतर्गत किए गए निवेश पर कर निर्धारण वर्ष 2013-14 से कटौती प्रदान करती है। राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना 2012 को दिनांक 23.11.2012 के एसओ संख्या 2777 ई (अनुवर्ती शुद्धिपत्र एसओ संख्या 2835 ई, दिनांक 05.12.2012) द्वारा अधिसूचित किया गया था और इस धारा के अंतर्गत एक योजना के रूप में दिनांक 18.12.2013 के अधिसूचना एसओ संख्या 3693 ई द्वारा संशोधित किया गया था। इस योजना को दिसंबर 2013 में दिनांक 18.12.2013 के अधिसूचना एसओ 3693 (आरजीईएसएस , 2013) द्वारा संशोधित किया गया था। आरजीईएसएस 2013 के अनुसार इस धारा के अंतर्गत कटौती निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर उपलब्ध है:

( ए ) करदाता एक निवासी व्यक्ति है

( बी ) उनकी सकल कुल आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं है;

( सी ) धारा 10(38) में परिभाषित अनुसार अधिसूचित योजना के अनुसार सूचीबद्ध शेयर या इक्विटी उन्मुख फंड की सूचीबद्ध इकाइयां अर्जित की हैं;

( डी ) करदाता एक नया खुदरा निवेशक है ;

( ई ) उपरोक्त योजना के अनुसार अधिग्रहण की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए निवेश लॉक-इन है;

( एफ ) करदाता निर्धारित किसी अन्य शर्त को पूरा करता है।

कटौती की राशि - कटौती की राशि इक्विटी शेयरों/यूनिटों में निवेश की गई राशि के 50% के बराबर है। हालांकि, इस प्रावधान के तहत कटौती की राशि 25,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकती।

कटौती की वापसी - यदि करदाता , पूर्वोक्त कटौती का दावा करने के पश्चात, उपरोक्त शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है, तो मूल रूप से दी गई कटौती उस वर्ष की करदाता की आय मानी जाएगी जिसमें चूक की गई है।

यह कटौती उस निर्धारण वर्ष से शुरू होकर लगातार तीन कर निर्धारण वर्षों के लिए अनुमत है जिसमें सूचीबद्ध इक्विटी शेयर या यूनिट पहली बार अर्जित किए गए थे। यदि किसी करदाता द्वारा किसी वर्ष में इस धारा के अंतर्गत कोई कटौती का दावा किया जाता है, तो वह किसी अन्य वर्ष के लिए इस धारा के अंतर्गत किसी कटौती का हकदार नहीं होगा।

इस धारा के अंतर्गत कटौती केवल 31 मार्च, 2017 तक किए गए निवेश के संबंध में ही दी जाएगी।<sup>इसलिए, 1</sup> अप्रैल, 2017 को या उसके बाद किए गए निवेश के लिए इस धारा के अंतर्गत कोई कटौती नहीं दी जाएगी।

#### 5.5.5 भुगतान किए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम आदि के संबंध में कटौती (धारा 80डी)

धारा 80डी में भुगतान किए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम आदि के लिए कटौती का प्रावधान है, जिसकी गणना निम्नानुसार की जाती है:

क्रम सं.	जिन व्यक्तियों के लिए भुगतान किया गया	भुगतान की प्रकृति	भुगतान का तरीका	स्वीकार्य कटौती (रु. में)
1	कर्मचारी या उसका परिवार*	कर्मचारी या उसके परिवार के स्वास्थ्य पर बीमा लागू करने या उसे लागू रखने के लिए भुगतान की गई पूरी राशि या	नकदी के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से	कुल स्वीकार्य राशि 25,000 रुपये है ( वरिष्ठ एवं अति वरिष्ठ )

	सीजीएचएस या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी अन्य योजना में किया गया कोई भी अंशदान (वित्त अधिनियम 2013)		नागरिकों के लिए 30,000 रुपये)
2	कर्मचारी या परिवार की निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए कोई भी भुगतान, [5000/- रुपये तक सीमित; यहां नकद भुगतान की अनुमति है]	नकदी सहित किसी भी माध्यम से	
3	किसी अति वरिष्ठ नागरिक के स्वास्थ्य पर किए गए चिकित्सा व्यय के लिए भुगतान की गई संपूर्ण राशि तथा ऐसे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बीमा लागू रखने के लिए कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया है।	नकदी के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से	कुल स्वीकार्य राशि 30,000 रुपये है।
4	कर्मचारी के माता-पिता के स्वास्थ्य पर बीमा लागू करने या उसे लागू रखने के लिए भुगतान की गई पूरी राशि	कर्मचारी के माता-पिता के स्वास्थ्य पर बीमा लागू करने या उसे लागू रखने के लिए भुगतान की गई पूरी राशि	कुल स्वीकार्य राशि 25,000 रुपये है ( वरिष्ठ एवं अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए 30,000 रुपये)
5	कर्मचारी के माता-पिता या माता-पिता की निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए किया गया कोई भी भुगतान [5000/- रुपये तक सीमित; यहां नकद भुगतान की अनुमति है]	नकदी सहित किसी भी माध्यम से	
6	किसी अति वरिष्ठ नागरिक के स्वास्थ्य पर किए गए चिकित्सा व्यय के लिए भुगतान की गई संपूर्ण राशि तथा ऐसे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बीमा लागू रखने के लिए कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया है।	नकदी के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से	कुल स्वीकार्य राशि 30,000 रुपये है।

संख्या 1, 2 एवं 3 तथा 4, 5 एवं 6 के अंतर्गत कटौती के रूप में स्वीकार्य कुल राशि 30000/- रुपये से अधिक नहीं होगी।

यहाँ

- ( i ) "परिवार" का तात्पर्य कर्मचारी के पति/पत्नी और आश्रित बच्चों से है।
- ( ii ) वरिष्ठ नागरिक से तात्पर्य भारत में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति से है जो प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय साठ वर्ष या उससे अधिक आयु का हो।
- ( iii ) अति वरिष्ठ नागरिक का अर्थ भारत में निवास करने वाला ऐसा व्यक्ति है जो संबंधित पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का हो।

डीडीओ को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऊपर उल्लिखित चिकित्सा बीमा इस संबंध में बनाई गई योजना के अनुसार होगा-

- ( ए ) साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 9 के अधीन गठित और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित भारतीय साधारण बीमा निगम; या
- ( बी ) किसी अन्य बीमाकर्ता द्वारा अनुमोदित और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित।

विकलांग व्यक्तियों या आश्रितों पर व्यय के संबंध में कटौती

**5.5.6.1 आश्रित, जो विकलांग व्यक्ति है, के चिकित्सा उपचार सहित भरण-पोषण के संबंध में कटौती (धारा 80डीडी):**

धारा 80डीडी के तहत , जहां कोई कर्मचारी, जो भारत का निवासी है, पिछले वर्ष के दौरान-

- ( ए ) आश्रित , जो विकलांग व्यक्ति है, के चिकित्सा उपचार (नर्सिंग सहित), प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए कोई व्यय किया हो ; या

- ( बी ) जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता या प्रशासक या निर्दिष्ट कंपनी द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन और बोर्ड द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किसी योजना के तहत किसी आश्रित के रखरखाव के लिए कोई राशि का भुगतान या जमा किया जाता है , जो विकलांग व्यक्ति है, कर्मचारी को उस वर्ष की उसकी सकल कुल आय से 75,000/- रुपये की राशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी।

तथापि, जहां ऐसा आश्रित गंभीर विकलांगता वाला व्यक्ति है, वहां निर्दिष्ट शर्तों के अधीन 1,25,000/- रुपये की राशि कटौती के रूप में दी जाएगी। उपरोक्त (बी) के तहत कटौती केवल तभी दी जाएगी जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:-

- ( मैं ) उपर्युक्त (ख) में निर्दिष्ट योजना में उस व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, जिसके नाम पर योजना में अंशदान किया गया है, आश्रित, जो विकलांग व्यक्ति है, के लाभ के लिए वार्षिकी या एकमुश्त राशि के भुगतान का प्रावधान है;
- ( ii ) कर्मचारी , आश्रित को , जो कि विकलांग व्यक्ति है, या किसी अन्य व्यक्ति या ट्रस्ट को, जो कि आश्रित को , जो कि विकलांग व्यक्ति है, के लाभ के लिए, उसकी ओर से भुगतान प्राप्त करने के लिए नामित करता है।

तथापि, यदि आश्रित , जो दिव्यांग व्यक्ति है, कर्मचारी से पहले मर जाता है, तो उप-पैरा (बी) के तहत भुगतान या जमा की गई राशि के बराबर राशि को पिछले वर्ष की कर्मचारी की आय माना जाएगा जिसमें ऐसी राशि कर्मचारी द्वारा प्राप्त की गई थी और तदनुसार उस पिछले वर्ष की आय के रूप में कर योग्य होगी।

### 5.5.6.2 विकलांग व्यक्ति के संबंध में कटौती (धारा 80यू):

धारा 80यू के अंतर्गत , किसी निवासी व्यक्ति की कुल आय की गणना करते समय, जिसे पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिव्यांग व्यक्ति प्रमाणित किया जाता है , उसे 75,000 /- रुपये की कटौती की अनुमति होगी । हालाँकि, जहाँ ऐसा व्यक्ति गंभीर रूप से दिव्यांग है , वहाँ 1,25,000/- रुपये की उच्चतर कटौती स्वीकार्य होगी।

डीडीओ को ध्यान रखना चाहिए कि 80डीडी कटौती कर्मचारी के आश्रितों के लिए है, जबकि 80यू कटौती स्वयं कर्मचारी के लिए है। हालाँकि, दोनों धाराओं के अंतर्गत, कर्मचारी को डीडीओ को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करनी होगी :

1. ए( 1) में परिभाषित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा नियमों के नियम 11 ए( 2) के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में जारी प्रमाण पत्र की एक प्रति । डीडीओ को कटौती की अनुमति केवल तभी देनी होगी जब यह देखा जाए कि प्रस्तुत प्रमाण पत्र इस नियम में परिभाषित चिकित्सा प्राधिकारी से है और उसमें उल्लिखित प्रारूप में है।
2. इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में जहां विकलांगता की स्थिति अस्थायी है और पूर्वोक्त प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद इसकी सीमा का पुनः आकलन अपेक्षित है, इस धारा के अंतर्गत किसी भी बाद की अवधि के लिए कोई कटौती नहीं दी जाएगी, जब तक कि उपरोक्त 1 के अनुसार चिकित्सा प्राधिकारी से नया प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है और डीडीओ के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है।
3. धारा 80डीडी और 80यू के प्रयोजनों के लिए परिभाषित कुछ शब्द निम्नानुसार हैं:-
 

( ए ) "प्रशासक" से अभिप्राय भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रशासक से है;

( बी ) " आश्रित " का अर्थ है-

( मैं ) किसी व्यक्ति के मामले में, उस व्यक्ति के पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता, भाई-बहन या उनमें से कोई भी;

( ii ) हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में, हिंदू अविभाजित परिवार का कोई सदस्य, जो अपने भरण-पोषण के लिए पूर्णतः या मुख्यतः ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार पर निर्भर है , और जिसने पिछले वर्ष से संबंधित कर निर्धारण वर्ष के लिए अपनी कुल आय की गणना करने में धारा 80यू के अंतर्गत किसी कटौती का दावा नहीं किया है;

( सी ) "विकलांगता" का अर्थ दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड ( i ) में निर्दिष्ट किया जाएगा और इसमें ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ए), (सी) और (एच) में निर्दिष्ट "ऑटिज्म", "सेरेब्रल पाल्सी" और "बहु दिव्यांगता" शामिल हैं;

( डी ) "जीवन बीमा निगम" का वही अर्थ होगा जो धारा 88 की उपधारा (8) के खंड (iii) में है;

( ई ) "चिकित्सा प्राधिकरण" का अर्थ है विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (पी) में निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकरण या ऐसे अन्य चिकित्सा प्राधिकरण, जो अधिसूचना द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999

की धारा 2 के खंड (ए), (सी), (एच), (जे) और (ओ) में निर्दिष्ट "ऑटिज्म", "सेरेब्रल पाल्सी", "बहु विकलांगता", "विकलांग व्यक्ति" और "गंभीर विकलांगता" को प्रमाणित करने के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है;

- ( एफ ) " विकलांग व्यक्ति " से तात्पर्य विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (टी) या ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (जे) में निर्दिष्ट व्यक्ति से है;
- ( जी ) " गंभीर विकलांगता वाले व्यक्ति " का अर्थ है-
- ( में ) दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 56 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट एक या एक से अधिक दिव्यांगताओं में से अस्सी प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाला व्यक्ति; या
- ( ii ) ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ओ) में निर्दिष्ट गंभीर विकलांगता वाला व्यक्ति;
- ( एच ) " निर्दिष्ट कंपनी " से तात्पर्य यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (एच) में निर्दिष्ट कंपनी से है।

### 5.5.7. चिकित्सा उपचार आदि के संबंध में कटौती (धारा 80डीडीबी):

धारा 80DDB, भारत में निवासी किसी कर्मचारी को, पिछले वर्ष के दौरान, स्वयं के लिए या उसके आश्रित के लिए नियम 11DD(1) में निर्दिष्ट किसी बीमारी या व्याधि के चिकित्सा उपचार हेतु वास्तव में भुगतान की गई किसी भी राशि पर कटौती की अनुमति देती है। अनुमत कटौती, कर्मचारी या उसके आश्रित के संबंध में वास्तव में भुगतान की गई राशि के बराबर या 40,000 रुपये, जो भी कम हो, के बराबर होगी।

अब नियम 11DD में उल्लिखित किसी ऑन्कोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, हेमेटोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट या ऐसे ही किसी अन्य विशेषज्ञ के पर्चे के आधार पर कटौती की अनुमति दी जा सकती है। हालाँकि, दावे की राशि में बीमाकर्ता से प्राप्त या नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि को घटा दिया जाएगा। इसके अलावा, यदि दावा करने वाला व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष या उससे अधिक आयु का) है, तो 60,000/- रुपये तक की कटौती की अनुमति है और अत्यंत वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष या उससे अधिक आयु का) के मामले में 80,000/- रुपये तक की कटौती की अनुमति है।

इस धारा के प्रयोजन के लिए, किसी कर्मचारी के मामले में, " आश्रित " से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति, पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता, भाई-बहन या उनमें से किसी से है, जो अपने भरण-पोषण के लिए पूर्णतः या मुख्यतः कर्मचारी पर निर्भर है।

अधिसूचना संख्या 2791(ई) दिनांक 12.10.2015 के तहत, नियम 11DD में संशोधन करके फॉर्म 10-I में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। अब नियमों में निर्दिष्ट विशेषज्ञ से एक पर्चा प्राप्त करना आवश्यक होगा, जिसमें रोगी का नाम और आयु, रोग/व्याधि का नाम, साथ ही पर्चा जारी करने वाले विशेषज्ञ का नाम, पता, पंजीकरण संख्या और योग्यता का विवरण हो।

### 5.5.8 उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती (धारा 80ई):

धारा 80ई के तहत किसी वित्तीय संस्थान या किसी अनुमोदित धर्मार्थ संस्थान से उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान के संबंध में कटौती की अनुमति दी गई है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति को अपनी उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए या अपने जीवनसाथी या अपने बच्चों या उस छात्र की उच्च शिक्षा के लिए दिया गया है, जिसका वह कानूनी अभिभावक है।

वित्तीय वर्ष की कुल आय की गणना में दी जाएगी जिसमें कर्मचारी लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान शुरू करता है और उसके तुरंत बाद के सात वित्तीय वर्षों तक या उस वित्तीय वर्ष तक जिसमें कर्मचारी द्वारा ब्याज का पूरा भुगतान किया जाता है, जो भी पहले हो। इस धारा के प्रयोजन के लिए -

- ( ए ) " अनुमोदित धर्मार्थ संस्था " से तात्पर्य धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए स्थापित और निर्धारित प्राधिकारी धारा 10(23सी) द्वारा अनुमोदित संस्था या धारा 80जी(2)(ए) में निर्दिष्ट संस्था से है;
- ( बी ) " वित्तीय संस्था " से तात्पर्य ऐसी बैंकिंग कंपनी से है जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंकिंग संस्था भी है); या कोई अन्य वित्तीय संस्था जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट करे;
- ( सी ) " उच्च शिक्षा " से तात्पर्य किसी विद्यालय, बोर्ड या विश्वविद्यालय से वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण करने के बाद किया जाने वाला अध्ययन का कोई पाठ्यक्रम है, जिसे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त हो या ऐसा करने के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त हो;

### 5.5.9 कुछ निधियों, धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दिए गए दान के संबंध में कटौती (धारा 80जी):

धारा 80जी विभिन्न निधियों, धर्मार्थ संगठनों आदि को दिए गए दान के कारण कटौती का प्रावधान करती है। ऐसे मामलों में जहां कर्मचारी अपने संबंधित नियोक्ताओं के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष या उपराज्यपाल राहत कोष में दान करते हैं, ऐसी निधियों के लिए प्रत्येक कर्मचारी को ऐसे निधियों में किए गए दान के संबंध में अलग प्रमाण पत्र जारी करना संभव नहीं है क्योंकि इन निधियों में किए गए योगदान एक समेकित चेक के रूप में होते हैं। जो कर्मचारी इन निधियों में दान करता है वह धारा 80जी के तहत कटौती का दावा करने के लिए पात्र है। एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर बताए गए ऐसे दान के संबंध में दावा आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ)/नियोक्ता द्वारा इस संबंध में जारी प्रमाण पत्र के आधार पर धारा 80जी के तहत स्वीकार्य होगा - परिपत्र संख्या 2/2005, दिनांक 12-1-2005।

यदि दान की राशि 2000/- रुपये से अधिक है तो इस धारा के अंतर्गत कोई कटौती स्वीकार्य नहीं है, जब तक कि राशि नकद के अलावा किसी अन्य तरीके से भुगतान न की गई हो।

### 5.5.10 भुगतान किए गए किराए के संबंध में कटौती (धारा 80जीजी):

धारा 80GG कर्मचारी को अपने आवास के लिए भुगतान किए गए मकान किराए के संबंध में कटौती की अनुमति देती है। यह कटौती निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार्य है: -

- ( ए ) कर्मचारी को विशेष रूप से दिया गया कोई मकान किराया भत्ता प्राप्त नहीं हुआ है जो अधिनियम की धारा 10(13ए) के तहत छूट के लिए अर्हता प्राप्त करता हो;
- ( बी ) कर्मचारी फॉर्म संख्या 10BA में घोषणा दाखिल करता है। (अनुलग्नक X)
- ( सी ) कर्मचारी के पास निम्नलिखित नहीं है:
  - ( मैं ) स्वयं या अपने पति/पत्नी या नाबालिग बच्चे द्वारा या जहां ऐसा कर्मचारी हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य है, वहां ऐसे परिवार द्वारा, उस स्थान पर जहां वह सामान्यतः निवास करता है या अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करता है या अपना व्यवसाय या पेशा चलाता है, कोई आवासीय सुविधा; या
  - ( ii ) किसी अन्य स्थान पर, कोई आवासीय सुविधा जो कर्मचारी के कब्जे में है, जिसका मूल्य धारा 23(2)(ए) या धारा 23(4)(ए) के तहत निर्धारित किया जाना है, जैसा भी मामला हो।
  - ( डी ) वह अपनी कुल आय के 10% से अधिक भुगतान किए गए मकान किराए पर कटौती का हकदार होगा। यह कटौती कुल आय के 25% या ₹5,000/- प्रति माह, जो भी कम हो, के बराबर होगी। धारा 80GG के तहत कोई भी कटौती करने से पहले इन प्रतिशतों की गणना के लिए कुल आय की गणना की जाएगी।

आहरण एवं संवितरण प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कर्मचारी को ऐसी कटौती की अनुमति देने से पहले ऊपर उल्लिखित सभी शर्तें पूरी हो चुकी हैं। उन्हें किराए के वास्तविक भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने पर भी जोर देकर इस संबंध में स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए।

### 5.5.11 वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए कुछ दान के संबंध में कटौती (धारा 80 जीजीए):

धारा 80जीजीए किसी भी राशि के दान के संबंध में कर्मचारी की कुल आय से कटौती की अनुमति देती है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्रम सं.	व्यक्तियों को दिए गए दान	धारा के अंतर्गत अनुमोदन/अधिसूचना	अनुमोदन/अधिसूचना प्रदान करने वाला प्राधिकरण
1	एक शोध संघ जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान करना है या एक विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थान जिसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाना है	धारा 35(1)(ii) के तहत	केंद्र सरकार
2	एक शोध संघ जिसका उद्देश्य सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान में अनुसंधान करना है या किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्थान को सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान में अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाना है	धारा 35(1)(iii) के तहत	केंद्र सरकार
3	कोई संघ या संस्था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास के किसी कार्यक्रम को शुरू करना है, जिसका उपयोग धारा 35सीसीए के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित ग्रामीण विकास के किसी कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए किया जाएगा।	धारा 35CCA (2) के तहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है	नियम 6AAA के तहत विहित प्राधिकारी

4	एक संघ या संस्था जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना है।	धारा 35CCA (2A) के तहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है	नियम 6AAA के तहत विहित प्राधिकारी
5	किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या स्थानीय प्राधिकरण या राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित किसी संघ या संस्था को किसी पात्र परियोजना या योजना को कार्यान्वित करने के लिए।	धारा 35AC(2)(a) के तहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है	सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण संवर्धन हेतु राष्ट्रीय समिति
7	ग्रामीण विकास निधि	धारा 35सीसीए (1)(सी) के तहत अधिसूचित	केंद्र सरकार द्वारा स्थापित और अधिसूचित
8	राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन कोष	धारा 35सीसीए (1)(डी) के तहत अधिसूचित	केंद्र सरकार द्वारा स्थापित और अधिसूचित

कोई कटौती स्वीकार्य नहीं है:

- ( i ) कर्मचारी की सकल कुल आय में वह आय शामिल है जो "व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति" शीर्षक के अंतर्गत प्रभाष्य है।
- ( ii ) दान की राशि 10000 रुपये से अधिक है और इसका भुगतान नकद किया जाता है।

आहरण एवं संवितरण प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कर्मचारी को ऐसी कटौती की अनुमति देने से पहले ऊपर बताई गई सभी शर्तें पूरी हो चुकी हैं। उन्हें इस संबंध में दान के वास्तविक भुगतान का प्रमाण और दान देने वाले व्यक्ति से रसीद प्रस्तुत करने पर जोर देकर भी संतुष्ट होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुमोदन/अधिसूचना सही प्राधिकारी द्वारा जारी की गई है। आहरण एवं संवितरण प्राधिकारियों को कर्मचारी से यह स्व-घोषणा सुनिश्चित करनी चाहिए कि उसे "व्यवसाय या पेशे से प्राप्त लाभ और प्राप्ति" से कोई आय नहीं है।

#### 5.5.12 बचत खाते में जमा राशि पर ब्याज के संबंध में कटौती (धारा 80टीटीए):

धारा 80टीटीए को वित्तीय वर्ष 2012-13 से लागू किया गया है और यह किसी कर्मचारी को उसकी सकल कुल आय में से, यदि इसमें बचत खाते में जमा राशि (सावधि जमा को छोड़कर) पर ब्याज के रूप में कोई आय शामिल है, तो निम्नलिखित राशि की कटौती की अनुमति देता है:

- ( i ) ऐसे मामले में जहां ऐसी आय की रकम कुल मिलाकर दस हजार रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी पूरी रकम; और
- ( ii ) अन्यथा दस हजार रुपये।

यह कटौती तभी उपलब्ध होती है जब ऐसा बचत खाता किसी ऐसे खाते में रखा गया हो।

- ( ए ) बैंकिंग कंपनी जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित);
- ( बी ) बैंकिंग व्यवसाय चलाने में लगी सहकारी समिति (जिसमें सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक भी शामिल है); या
- ( सी ) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 2 के खंड (के) में परिभाषित डाकघर,

इस खंड के लिए, "सावधि जमा" का अर्थ निश्चित अवधि की समाप्ति पर चुकाए जाने वाले जमा से है।

#### 6. 3.5 लाख रुपये तक की कुल आय वाले व्यक्तियों के लिए 2500 रुपये की छूट [धारा 87ए]

वित्त अधिनियम 2017 ने भारत में रहने वाले उन व्यक्तिगत करदाताओं को छूट के रूप में राहत प्रदान की, जो निम्न आय वर्ग में आते हैं, अर्थात् जिनकी कुल आय 3,50,000/- रुपये से अधिक नहीं है। धारा 87A के अंतर्गत उपलब्ध छूट की राशि 2,500/- रुपये या देय कर की राशि, जो भी निर्धारण वर्ष 2018-19 से कम हो, है।

#### 7 मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के अंतर्गत संचित शेष राशि के भुगतान और अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि से अंशदान पर टीडीएस:

7.1 किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के न्यासी, या निधि के विनियमों द्वारा कर्मचारियों को देय संचित शेष राशि का भुगतान करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति, ऐसे मामलों में जहां अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग ए के नियम 9 का उप-नियम (1) लागू होता है, उस समय जब किसी कर्मचारी को देय संचित शेष राशि का भुगतान किया जाता है, उसमें से अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग ए के नियम 10 में निर्दिष्ट कटौती करेगा।

संचित शेष को "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत प्रभाष्य आय माना जाता है।

7.2 जहाँ किसी नियोक्ता द्वारा किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में किया गया कोई अंशदान, जिसमें ऐसे अंशदानों पर ब्याज, यदि कोई हो, भी शामिल है, कर्मचारी को दिया जाता है, तो निधि के न्यासियों द्वारा अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग ख के नियम 6 में प्रदत्त सीमा तक इस प्रकार भुगतान की गई राशि पर कर की कटौती की जाएगी। टीडीएस उस औसत दर पर होना चाहिए जिस पर कर्मचारी पिछले तीन वर्षों के दौरान या उस अवधि के दौरान, यदि वह अवधि तीन वर्ष से कम है, जब वह निधि का सदस्य था, कर योग्य था।

कटौतीकर्ता, लौटाए गए अंशदानों (यदि कोई हो तो ब्याज सहित) के कारण भुगतान की गई किसी भी राशि पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी रहेगा, भले ही कोई निधि या निधि का कोई भाग अनुमोदित सुपरएनुएशन निधि न रह जाए।

**7.3** अधिनियम की धारा 192ए के अनुसार, 01.06.2015 से ईपीएफ एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 5 के अंतर्गत बनाई गई ईपीएफ योजना 1952 के न्यासी या योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को देय संचित राशि का भुगतान करने के लिए अधिकृत कोई व्यक्ति, ऐसे मामले में, जहाँ किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी को देय संचित राशि, कर्मचारी को देय संचित राशि के भुगतान के समय चौथी अनुसूची के भाग ए के नियम 8 के प्रावधानों के लागू न होने के कारण उसकी कुल आय में शामिल है, उस पर 10% की दर से आयकर की कटौती करेगा यदि ऐसे भुगतान की राशि या ऐसे भुगतान का कुल योग 50,000/- रुपये से अधिक है। यदि कर्मचारी अपना पैन नंबर नहीं देता है या अमान्य पैन नंबर देता है, तो कटौती अधिकतम सीमांत दर पर की जाएगी।

चतुर्थ अनुसूची के भाग-ए का नियम-8 कुल आय से कर्मचारी को देय और देय होने वाले निम्नलिखित संचित शेष को बाहर करता है;

- ( i ) यदि उसने अपने नियोक्ता के साथ पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि तक निरंतर सेवा की है, या
- ( ii ) यदि, यद्यपि उसने ऐसी निरंतर सेवा नहीं की है, तो सेवा निम्न कारण से समाप्त कर दी गई है -
  - कर्मचारियों का खराब स्वास्थ्य, या
  - नियोक्ता के व्यवसाय के संकुचन या बंद होने से या
  - कर्मचारी के नियंत्रण से परे अन्य कारण, या
- ( iii ) यदि, अपने रोजगार की समाप्ति पर, कर्मचारी किसी अन्य नियोक्ता के पास रोजगार प्राप्त करता है, तो ऐसी संचित शेष राशि की राशि ऐसे अन्य नियोक्ता द्वारा बनाए गए किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में उसके व्यक्तिगत खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है, या
- ( iv ) यदि कर्मचारी के खाते में जमा सम्पूर्ण शेष राशि धारा 80 सीसीडी में निर्दिष्ट तथा केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन योजना के अंतर्गत उसके खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।

जब किसी कर्मचारी को देय और देय होने वाली संचित शेष राशि में उसके पूर्व नियोक्ता द्वारा बनाए गए किसी अन्य मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में उसके व्यक्तिगत खाते से स्थानांतरित कोई राशि शामिल होती है, तो निरंतर सेवा की अवधि की गणना करते समय पूर्व नियोक्ता के तहत प्रदान की गई निरंतर सेवाओं की अवधि या अवधियों को उपरोक्त ( i ) और (ii) के प्रयोजनों के लिए गिना जाएगा।

उपरोक्त चार स्थितियों ( i ) से (iv) के अंतर्गत, कर्मचारी को देय और देय संचित शेष राशि धारा 192 ए के तहत टीडीएस के लिए उत्तरदायी नहीं है।

## **8 डीडीओएस स्वयं को वास्तविकता के बारे में संतुष्ट करने के लिए**

### **दावा करना:**

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को कर्मचारियों द्वारा की गई वास्तविक जमा/अंशदान/भुगतान के बारे में स्वयं संतुष्ट होना चाहिए, और उपरोक्त कटौतियों की अनुमति देने से पहले, आवश्यक विवरण/सूचनाएँ माँगनी चाहिए। यदि आहरण एवं संवितरण अधिकारी, कर्मचारी द्वारा की गई किसी जमा/अंशदान/भुगतान के संबंध में कर्मचारी के दावे की सत्यता से संतुष्ट नहीं हैं, तो उन्हें इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए, और कर्मचारी अपनी आयकर विवरणी दाखिल करके और उसके साथ आवश्यक प्रमाण आदि प्रस्तुत करके, कर निर्धारण अधिकारी की संतुष्टि हेतु, ऐसी राशि पर कटौती/छूट का दावा करने के लिए स्वतंत्र होगा।

## **9. कटौती किये जाने वाले आयकर की गणना:**

9.1 धारा 192 के प्रयोजन के लिए वेतन आय की गणना निम्नानुसार की जाएगी :-

- ( ए ) सर्वप्रथम पैरा 5.1 में उल्लिखित सकल वेतन की गणना करें जिसमें पैरा 5.2 में उल्लिखित सभी आय शामिल हों तथा पैरा 5.3 में उल्लिखित आय को छोड़ दिया जाए।
- ( बी ) उपरोक्त (क) में प्राप्त आंकड़े से पैरा 5.4 में उल्लिखित कटौती की अनुमति दें और कर्मचारी के शुद्ध वेतन तक पहुंचने के लिए राशि की गणना करें।
- ( सी ) पैरा 3.5 में उल्लिखित सरल विवरण के रूप में दर्शाई गई सकल कुल आय प्राप्त करने के लिए अन्य सभी मदों - 'गृह संपत्ति', 'व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति', पूंजीगत लाभ और अन्य स्रोतों से आय - को जोड़ें। हालाँकि, यह ध्यान रखना चाहिए कि डीडीओ द्वारा "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत 2.00 लाख रुपये तक की हानि के अलावा किसी भी ऐसे शीर्षक के अंतर्गत कोई हानि स्वीकार्य नहीं है।
- ( डी ) उपरोक्त (ग) में प्राप्त राशि से पैरा 5.5 में उल्लिखित कटौतियाँ स्वीकार करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि संबंधित शर्तें पूरी होती हैं। पैरा 5.5 में उल्लिखित प्रारंभिक सीमा के अधीन कटौतियों की कुल राशि उपरोक्त (ख) में दी गई राशि से अधिक नहीं होगी और यदि यह अधिक हो, तो उसे उसी राशि तक सीमित रखा जाना चाहिए।

यह कर्मचारी की कुल आय की वह राशि होगी जिस पर आयकर काटा जाना आवश्यक होगा। इस आय को दस रुपये के निकटतम गुणज में पूर्णांकित किया जाना चाहिए।

9.2 ऐसी आय पर आयकर की गणना इस परिपत्र के पैरा 2.1 में दी गई दरों पर, कर्मचारी की आय को ध्यान में रखते हुए और धारा 206AA के प्रावधानों के अधीन, जैसा कि पैरा 4.8 में चर्चा की गई है, की जाएगी। पात्र व्यक्तियों को धारा 87A के अनुसार ₹2500/- तक की छूट (पैरा 6 देखें) दी जा सकती है। जहाँ लागू हो, वहाँ अधिभार की गणना की जाएगी (पैरा 2.2 देखें)।

9.3 इस प्रकार प्राप्त देय कर की राशि में लागू शैक्षिक उपकर (प्राथमिक शिक्षा के लिए 2% और माध्यमिक शिक्षा के लिए 1%) की वृद्धि की जाएगी, जिससे कुल देय कर की राशि प्राप्त होगी।

9.4 पैरा 9.3 में उल्लिखित कर की राशि हर महीने समान किरतों में काटी जानी चाहिए। किसी भी पिछली कटौती से उत्पन्न होने वाली किसी भी अतिरिक्त राशि या घाटे को उसी वित्तीय वर्ष के दौरान बाद की कटौतियों की राशि में वृद्धि या कमी करके समायोजित किया जा सकता है।

## 10. विविध:

10.1 ये निर्देश संपूर्ण नहीं हैं और केवल नियोक्ताओं को वेतन से कर कटौती से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को समझने में मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। जहाँ कहीं भी कोई संदेह हो, आयकर अधिनियम, 1961, आयकर नियम, 1962, वित्त अधिनियम 2017, संबंधित परिपत्रों/अधिसूचनाओं आदि के प्रावधानों का संदर्भ लिया जा सकता है।

10.2 यदि किसी सहायता की आवश्यकता हो तो आयकर विभाग के कर निर्धारण अधिकारी/स्थानीय जनसंपर्क अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

10.3 ये निर्देश सभी संवितरण अधिकारियों और उपक्रमों, जिनमें केन्द्र/राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन उपक्रम भी शामिल हैं, के ध्यान में लाए जाएं।

10.4 इस परिपत्र की प्रतियां निम्नलिखित वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं:

[www.finmin.nic.in](http://www.finmin.nic.in) और [www.incometaxindia.gov.in](http://www.incometaxindia.gov.in)

अनुबंध-में

कुछ चित्रण

उदाहरण 1

मूल्यांकन वर्ष 2018-19 के लिए

(ए) साठ वर्ष से कम आयु के कर्मचारी (पुरुष या महिला) के मामले में आयकर की गणना और सकल वेतन आय:

- ( i ) ₹.2,50,000/ -,
- ( ii ) ₹.5,00,000/ -,
- ( iii ) ₹.10,00,000/-
- ( iv ) 55,00,000/- रुपये और
- ( वी ) ₹. 1,10,00,000/-

(बी) उपरोक्त कर्मचारियों के मामले में टीडीएस की राशि क्या होगी, यदि उनके द्वारा डीडीओ/कार्यालयों में पैन जमा नहीं किया जाता है:

विवरण	रुपए ( i )	रुपए ( ii )	रुपए ( iii )	रुपए ( iv )	रुपए ( वी )
सकल वेतन आय (भत्तों सहित)	2,50,000	4,00,000	10,00,000	55,00,000	1,10,00,000
जीपीएफ का अंशदान	45,000	50,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000

कुल आय और उस पर देय कर की गणना

विवरण	रुपए ( i )	रुपए ( ii )	रुपए ( iii )	रुपए ( iv )	रुपए ( वी )
सकल वेतन	2,50,000	4,00,000	10,00,000	55,00,000	1,10,00,000
घटाएँ: धारा 80सी के तहत कटौती	45,000	50,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000
करदायी आय	2,05,000	3,50,000	9,00,000	54,00,000	1,09,00,000
(ए) उस पर कर	शून्य	2,500*	92,500	14,32,500	30,82,500

अधिभार				1,43,250	4,62,375
जोड़ना:					
( i ) शिक्षा उपकर @ 2%.	शून्य	50	1850	31,515	70,898
( ii ) माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर @1%	शून्य	25	925	15,758	35,449
<b>कुल देय कर</b>	<b>शून्य</b>	<b>2,575</b>	<b>95,275</b>	<b>16,23,023</b>	<b>36,51,222</b>

\* धारा 87A के तहत 2500 रुपये की छूट के बाद

### उदाहरण 2

मूल्यांकन वर्ष 2018-19 के लिए

साठ वर्ष से कम आयु के कर्मचारी के मामले में आयकर की गणना, जिसका आश्रित विकलांग है (नियोक्ता को वैध पैन प्रस्तुत किया गया हो)।

क्र. सं.	विवरण	रुपए
1	सकल वेतन	4,20,000
2	आश्रित व्यक्ति के उपचार पर व्यय की गई राशि , जो विकलांग व्यक्ति हो (लेकिन गंभीर विकलांगता नहीं)	7000
3	आश्रित व्यक्ति, जो दिव्यांग है (किन्तु गंभीर दिव्यांगता नहीं है) के भरण-पोषण के लिए वार्षिकी के संबंध में एलआईसी को भुगतान की गई राशि	60,000
4	जीपीएफ अंशदान	25,000
5	एलआईपी भुगतान	10,000
6	बचत खाते पर ब्याज आय	12,000

कर की गणना

क्र. सं.	विवरण	रुपए
1	सकल वेतन	4,20,000
2	जोड़ें: अन्य स्रोतों से आय बचत खाते पर ब्याज आय	12,000 रुपये
3	<b>सकल कुल आय</b>	<b>4,32,000</b>
4	<b>घटाएँ:</b> धारा 80DD के तहत कटौती (केवल 60,000/- रुपये तक सीमित)	<b>75,000</b>
5	<b>घटाएँ:</b> धारा 80सी ( i ) जीपीएफ 25,000/- रुपये के तहत कटौती (ii) एलआईपी रु.10,000/- = रु.35,000/-	<b>35,000</b>
6	<b>घटाएँ:</b> बचत खाते पर ब्याज आय पर धारा 80TTA के तहत कटौती (10000/- रुपये तक सीमित)	<b>10000</b>
7	<b>कुल आय</b>	<b>3,12,000</b>
8	<b>उस पर/देय आयकर</b> (धारा 87ए के अनुसार 2500 रुपये की छूट शामिल है)	<b>600</b>
9	<b>जोड़ना:</b> ( i ) शिक्षा उपकर @2% ( ii ) माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर @1%	<b>12</b> <b>6</b>
10	<b>कुल देय आयकर</b>	<b>618</b>
11	<b>पूर्णांकित</b>	<b>620</b>

### उदाहरण 3

मूल्यांकन वर्ष 2018-19 के लिए

साठ वर्ष से कम आयु के कर्मचारी के मामले में आयकर की गणना, जहां चिकित्सा उपचार व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किया गया था (नियोक्ता को प्रस्तुत वैध पैन के साथ)।

क्र. सं.	विवरण	रुपए
1	सकल वेतन	5,20,000
2	परिवार के सदस्य के उपचार पर नियोक्ता द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति	35,000
3	जीपीएफ का अंशदान	20,000
4	एलआईसी प्रीमियम	20,000
5	गृह निर्माण अग्रिम का पुनर्भुगतान	25,000
6	दो बच्चों की ट्यूशन फीस	60,000
7	यूनिट-लिंकड बीमा योजना में निवेश	30,000
8	बचत खाते पर ब्याज आय	8,000
9	सावधि जमा पर ब्याज आय	15,000

**कर की गणना**

क्र. सं.	विवरण	रुपए
1	सकल वेतन	5,20,000
2	<b>जोड़ें:</b> धारा 17(2)(v) के मददेनजर 15,000/- रुपये से अधिक के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में अनुलाभ	20,000
3	<b>अन्य स्रोतों से आय</b> ( i ) बचत खाते पर ब्याज आय 8,000 रुपये ( ii ) सावधि जमा पर ब्याज आय 15,000 रुपये	<b>23,000</b>
4	<b>सकल कुल आय</b>	<b>5,63,000</b>
5	<b>क. घटाएँ:</b> धारा 80सी के तहत कटौती ( i ) जीपीएफ 20,000/- रुपये ( ii ) एलआईसी रु.20,000/- ( iii ) गृह निर्माण अग्रिम की अदायगी 25,000/- रुपये ( iv ) दो बच्चों की ट्यूशन फीस 60,000 रुपये ( v ) यूनिट-लिंकड बीमा योजना में निवेश रु.30,000/- <b>कुल =</b> <b>रु.1,55,000/-</b>	<b>1,58,000</b>
	1,50,000/- रुपये तक सीमित <b>ख. घटाएँ :</b> बचत खाते पर ब्याज आय पर धारा 80TTA के तहत कटौती (8000/- रुपये तक सीमित - केवल बचत खाते के ब्याज पर उपलब्ध) 8000 रुपये कुल कटौती 1,58,000/- रुपये उपलब्ध है	
6	<b>कुल आय</b>	<b>4,05,000</b>
7	<b>उस पर/देय आयकर</b>	<b>7,750</b>
8	<b>जोड़ना:</b> ( i ) शिक्षा उपकर @2% ( ii ) माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर @1%	155 78

9	कुल देय आयकर	7983
10	पूर्णांकित	7980

#### उदाहरण 4

मूल्यांकन वर्ष 2018-19 के लिए

साठ वर्ष से कम आयु के कर्मचारी के मामले में दिल्ली में स्थित आवासीय आवास के संबंध में धारा 10 (13ए) के तहत मकान किराया भत्ते की उदाहरणात्मक गणना (नियोक्ता को दिए गए वैध पैन के साथ)।

क्र. सं.	विवरण	रुपए
1	वेतन	3,50,000
2	महंगाई भत्ता	2,00,000
3	मकान किराया भत्ता	1,40,000
4	मकान का किराया चुकाया गया	1,44,000
5	सामान्य भविष्य निधि	36,000
6	जीवन बीमा प्रीमियम	4,000
7	यूनिट-लिंकड बीमा योजना की सदस्यता	50,000

कुल आय और उस पर देय कर की गणना

क्र. सं.	विवरण	रुपए
1	वेतन + महंगाई भत्ता + मकान किराया भत्ता	3,50,000+2,00,000+1,40,000 = 6,90,000
2	<b>कुल वेतन आय</b>	<b>6,90,000</b>
3	घटाएँ: धारा 10(13ए) के तहत छूट प्राप्त मकान किराया भत्ता: <b>इनमें से सबसे कम:</b> ( ए ) प्राप्त एचआरए की वास्तविक राशि = 1,40,000 ( ख ) वेतन के 10% से अधिक किराये का व्यय (महंगाई भत्ते सहित, यह मानते हुए कि महंगाई भत्ता सेवानिवृत्ति लाभ के लिए लिया जाता है) (1,44,000-55,000) = 89,000 (सी) वेतन का 50% ( बेसिक+डीए ) = 2,75,000	89,000
	<b>सकल कुल आय</b>	<b>6,01,000</b>
	घटाएँ: धारा 80सी के तहत कटौती	
	( i ) जीपीएफ	रु.36,000/-
	( ii ) एलआईसी रु.	4000
	( iii ) यूनिट-लिंकड बीमा योजना में निवेश	रु.50,000/-
	<b>कुल =रु.90,000/-</b>	90,000
3	<b>कुल आय</b>	<b>5,11,000</b>
	<b>देय कर</b>	<b>14700</b>
	<b>जोड़ना:</b>	
	( i ) शिक्षा उपकर @2%	294
	( ii ) माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर @1%	147
	<b>कुल देय आयकर</b>	<b>15141</b>
	<b>पूर्णांकित</b>	<b>15140</b>

#### उदाहरण 5

मूल्यांकन वर्ष 2018-19 के लिए

मुंबई में एक निजी कंपनी के साठ वर्ष से कम आयु के कर्मचारी के मामले में अनुलाभ के मूल्यांकन और कर की गणना को दर्शाते हुए, जिसे रियायती दर पर दस महीने के लिए एक फ्लैट में और दो महीने के लिए एक होटल में आवास प्रदान किया गया था (नियोक्ता को दिए गए वैध पैन के साथ)।

क्र. सं.	विवरण	रुपए
1	वेतन	7,00,000
2	बोनस	1,40,000
3	निःशुल्क गैस, बिजली, पानी आदि (वास्तविक बिल कंपनी द्वारा भुगतान किया जाएगा)	40,000
4(ए)	रियायती दर पर फ्लैट (दस महीने के लिए) @ रु.36000/माह	3,60,000
4(बी)	नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया होटल किराया (दो महीने के लिए)	1,00,000
4(सी)	कर्मचारी से किराया वसूला गया।	60,000
4(डी)	फर्नीचर की लागत.	2,00,000
5	यूनिट लिंकड बीमा योजना की सदस्यता	50,000
6	जीवन बीमा प्रीमियम	10,000
7	मान्यता प्राप्त पीएफ में योगदान	42,000

कुल आय और उस पर भुगतान किए गए कर की गणना:

क्र. सं.	विवरण	रुपए
1	वेतन	7,00,000
2	बोनस	1,40,000
3	कुल वेतन ( 1+2)	8,40,000

#### अनुलाभों का मूल्यांकन

4(ए)	फ्लैट के लिए अनुलाभ: (10 महीने के वेतन का 15% = रु.1,05,000/-) और (वास्तविक किराया भुगतान = रु.3,60,000) में से कम अर्थात रु.1,05,000	
4(बी)	होटल के लिए अनुलाभ : (2 महीने के वेतन का 24% = 33,600 रुपये) और (वास्तविक किराया भुगतान = 1,00,000 रुपये) में से कम अर्थात 33,600 रुपये	
4(सी)	फर्नीचर के लिए अनुलाभ ( 2,00,000 रुपये) लागत का 10% (20,000 रुपये)	
4(सी)( i )	<b>[4(a)+ (b)+ ( c)] का कुल योग (1,05,000+ 33,600+20,000 रु.) 158,600 रु.</b> घटाएँ: वसूला गया किराया (-) 60,000 रुपये (-)रु . <b>= 98,600 रुपये रु.</b>	
4(डी)	जोड़ना	<b>1,38,600 रुपये</b>
	निःशुल्क गैस, बिजली, पानी आदि के लिए अनुलाभ 40,000 रुपये (+) 98,600 रुपये [4(सी)( i )] = कुल अनुलाभ	
5	सकल कुल आय (8,40,000+ 1,38,600 रुपये)	9,78,600
6	<b>सकल कुल आय</b>	<b>9,78,600</b>
7	<b>घटाएँ: धारा 80सी के तहत कटौती:</b> ( i ) भविष्य निधि (80सी ) : 42,000 (ii) एलआईसी (80सी) :10,000 ( iii ) यूनिट लिंकड इंश्योरेंस प्लान (80सी ) की सदस्यता: धारा 80सी के तहत 50,000/ -	
	कुल = <b>1,02,000 रुपये तक सीमित, धारा 80 सी के तहत 1,02,000 रुपये</b>	<b>1,02,000 रुपये</b>

8	कुल आय	8,76,600
9	देय कर	87,820
10	<b>जोड़ना:</b>	
	( i ) शिक्षा उपकर @2%	1756
	( ii ) माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर @1%	878
11	कुल देय आयकर	90,454
12	पूर्णांकित	90,450

#### उदाहरण 6

मूल्यांकन वर्ष 2018-19 के लिए

( नियोक्ता को दिए गए वैध पैस के साथ ) के मामले में अनुलाभ का मूल्यांकन और कर की गणना का चित्रण।

क्र. सं.	विवरण	रुपए
1	वेतन	4,00,000
2	महंगाई भत्ता	1,00,000
3	मकान किराया भत्ता	1,80,000
4	विशेष कर्तव्य भत्ता	12,000
5	भविष्य निधि	60,000
6	हॉट	10,000
7	एनएससी VIII अंक में जमा	30,000
8	कर्मचारी द्वारा अपने द्वारा किराए पर लिए गए मकान के लिए दिया गया किराया	1,20,000
9	गृह निर्माण ऋण (मूलधन) का पुनर्भुगतान	60,000
10	तीन बच्चों के लिए ट्यूशन फीस (प्रति बच्चा 10,000 रुपये)	30,000

कुल आय और उस पर देय कर की गणना

क्र. सं.	विवरण	रुपए
1	सकल वेतन ( बेसिक+डीए+एचआरए+एसडीए )	6,92,000
2	<b>घटाएँ :</b> मकान किराया भत्ता धारा 10 (13ए) के तहत छूट प्राप्त इनमें से सबसे कम: ( क ) प्राप्त एचआरए की वास्तविक राशि : 1,80,000 रुपये ( ख ) वेतन के 10% से अधिक किराए पर व्यय (महंगाई भत्ते सहित) रु. 70,000 रुपये यह मानते हुए कि सेवानिवृत्ति लाभों (1,20,000-50,000 ) के लिए महंगाई भत्ते को शामिल किया गया है: 70,000 ( ग ) वेतन का 50% (महंगाई भत्ते सहित ) : 2,50,000 रुपये रु.	
2	<b>सकल कुल कर योग्य आय</b>	<b>6,22,000</b>
	<b>घटाएँ:</b> धारा 80सी के तहत कटौती	
	( i ) भविष्य निधि : 60,000	
	( ii ) एलआईपी : 10,000	
	( iii ) . एनएससी VIII अंक : 30,000	
	( iv ) एचबीए की चुकौती: 60,000	
	( v ) ट्यूशन फीस (दो बच्चों तक सीमित) : 20,000	
	कुल : 1,80,000	
	<b>तक सीमित</b>	<b>1,50,000</b>
		1,50,000

कुल आय	4,72,000
उस पर/देय आयकर	11,100
<b>जोड़ना:</b>	
( i ) शिक्षा उपकर @2%	222
( ii ) माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर @1%	111
कुल देय आयकर	11,433
पूर्णांकित	11,430

उदाहरण 7

मूल्यांकन वर्ष 2018-19 के लिए

क. साठ वर्ष से अधिक किन्तु 80 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा सकल पेंशन के मामले में आयकर की गणना:

( iv ) ₹.4,50,000/-,

( v ) ₹.8,00,000/ -,

( vi ) 12,50,000/- रूपये।

उपरोक्त कर्मचारियों के मामले में टीडीएस की राशि क्या होगी, यदि उनके द्वारा अपने डीडीओ/कार्यालयों में पैन जमा नहीं किया जाता है:

विवरण	रुपये ( i )	रुपये ( ii )	रुपये ( iii )
सकल पेंशन	4,50,000	8,00,000	12,50,000
पीपीएफ का योगदान	70,000	1,00,000	1,50,000

कुल आय और उस पर देय कर की गणना

विवरण	रुपए ( में )	रुपए ( ii )	रुपए ( iii )
सकल पेंशन	4,50,000	8,00,000	12,50,000
घटाएँ: धारा 80सी के तहत कटौती	70,000	1,00,000	1,50,000
करदायी आय	3,80,000	7,00,000	11,00,000
<b>उस पर कर</b>	4,000	50,000	1,40,000
<b>जोड़ना:</b>			
( i ) शिक्षा उपकर @ 2%.	80	1000	2800
( ii ) माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर @1%	40	500	1400
<b>कुल देय कर</b>	<b>4120</b>	<b>51,500</b>	<b>1,44,200</b>

उदाहरण-8

मूल्यांकन वर्ष 2018-19 के लिए

क. 80 वर्ष से अधिक आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारी और सकल पेंशन के मामले में आयकर की गणना:

( में ) ₹.5,00,000/-,

( ii ) ₹.8,00,000/ -,

( iii ) ₹. 12,50,000/-.

उपरोक्त कर्मचारियों के मामले में टीडीएस की राशि क्या होगी, यदि उनके द्वारा अपने डीडीओ/कार्यालयों में पैन जमा नहीं किया जाता है:

विवरण	रुपए	रुपए	रुपए
-------	------	------	------

	( ₹ )	(ii)	(iii)
सकल पेंशन	5,00,000	8,00,000	12,50,000
पीपीएफ का योगदान	80,000	1,20,000	1,50,000
<b>कुल आय और उस पर देय कर की गणना</b>			
<i>विवरण</i>	<i>रुपए</i>	<i>रुपए</i>	<i>रुपए</i>
	( ₹ )	(ii)	(iii)
सकल पेंशन	5,00,000	8,00,000	12,50,000
घटाएँ: धारा 80सी के तहत कटौती	80,000	1,20,000	1,50,000
करदायी आय	4,20,000	6,80,000	11,00,000
<b>उस पर कर</b>	<b>शून्य</b>	<b>36,000</b>	<b>1,30,000</b>
जोड़ना:			
( i ) शिक्षा उपकर @ 2%.		720	2600
( ii ) माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर @1%		360	1300
<b>कुल देय कर</b>	<b>शून्य</b>	<b>37,080</b>	<b>1,33,900</b>

#### उदाहरण 9

#### धारा 10 (13ए) के तहत छूट

1. श्री ए, एक्सवाइजेड लिमिटेड में कार्यरत हैं। 31.10.2016 तक, उन्हें निम्नलिखित परिलब्धियां प्राप्त हुईं:

क्र. सं.	विवरण	रुपए
1.	मूल वेतन प्रति माह	13,000
2.	जुलाई, 2015 में प्राप्त वर्ष के लिए बोनस	7,200
3.	क्लब सुविधा (केवल निजी उपयोग के लिए) नियोक्ता द्वारा व्यय प्रति माह	700
4.	मकान किराया भत्ता प्रति माह	2,800
5.	यूआरपीएफ में नियोक्ता का योगदान (श्री ए ने भी बराबर का योगदान दिया)	1,000
<b>01.11.2015 से, श्री ए ने निम्नलिखित वेतन पैकेज के साथ पीक्यूआर लिमिटेड में कार्यभार ग्रहण किया:</b>		
1.	मूल वेतन प्रति माह	18,000
2.	मकान किराया भत्ता प्रति माह	1,600
3.	क्लब सुविधा (केवल निजी उपयोग के लिए) नियोक्ता द्वारा व्यय प्रति माह	1,100
4.	कार्यालय और निवास के बीच यात्रा के लिए कार का उपयोग - नियोक्ता का व्यय प्रति माह	600
5.	आरपीएफ में नियोक्ता का योगदान (श्री ए ने भी बराबर का योगदान दिया)	2,000
श्री ए के अन्य विवरण इस प्रकार हैं अंतर्गत :		
1.	श्री ए अमृतसर में रहते हैं और मासिक किराया देते हैं	3,500
2.	श्री ए की अन्य स्रोतों से आय	95,000
3.	श्री ए ने एलआईसी/पीपीआर/एनएससी आदि में योगदान दिया।	20,000

निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए श्री ए की कर योग्य आय और कर देयता की गणना करें।

कर की गणना

क्र. सं.	विवरण	रुपए
1.	वेतन से आय	
	(ए) एक्सवाइजेड लिमिटेड से	
	मूल वेतन (₹.13,000 x 7)	91,000
	बोनस	7,200

	क्लब सुविधा (रु.700 x 7)	रुपए	4,900
	एचआरए (2,800 रुपये x 7)	19,600	
	कम : धारा 10(13ए) के तहत छूट	15,400	4,200
	यूआरपीएफ में नियोक्ता का योगदान		1,07,300
	<b>(बी) पीक्यूआर लिमिटेड से</b>	<b>रुपए</b>	
	मूल वेतन (18,000 रुपये x 5)	90,000	
	एचआरए (रु.1,600 x 5)	8,000	
	कम : धारा 10(13ए) के तहत छूट	8,000	
	क्लब सुविधा (रु.1,100 x 5)	5,500	
	कार की सुविधा (अनुलाभ के रूप में कर योग्य नहीं)	15,400	
	आरपीएफ में नियोक्ता का योगदान		95,500
	सकल वेतन		2,02,800
	घटाएँ: कटौती		---
	शुद्ध वेतन		2,02,800
2.	<b>अन्य स्रोतों से आय</b>		<b>95,000</b>
	सकल कुल आय		2,97,800
	घटाएँ: धारा 80सी के तहत कटौती		
	: एलआईसी/पीपीएफ/एनएससी में योगदान	20,000 रुपये	
	: आरपीएफ में योगदान (रु . 2000 x 5)	10,000 रुपये	
	<b>कुल आय</b>		<b>30,000</b>
	<b>कर देयता की गणना</b>		<b>2,67,800</b>
	2,67,800 रुपये पर देय कर		8,90
	घटाएँ: धारा 87A के तहत छूट		8,90
	देय शुद्ध आयकर		शून्य
	जोड़ें: अधिभार		शून्य
	जोड़ें: EC @ 2%		---
	जोड़ें: एस एंड एचईसी @ 1%		---
	कुल देय कर		शून्य

### उदाहरण 10

#### 2. कर योग्य वेतन और भत्ते की गणना, आवास ऋण पर ब्याज के लिए कटौती और धारा 80 सी के तहत कटौती।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अधिकारी श्री एक्स को मूल वेतन 40,000 रुपये, निर्धारित दरों पर डीए, 3600 रुपये + उस पर डीए की दर से परिवहन भत्ता और 1 जुलाई 2017 से मूल वेतन का 24% (हालांकि वे अपने घर में रहते हैं) एचआरए (मौजूदा) मिल रहा है। उनकी वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई है। उनकी आय के अन्य विवरण निम्नलिखित हैं। AY2018-19 के लिए उनकी कर योग्य आय और देय कर की गणना करें।

क्र. सं.	विवरण	रुपए
1.	विभागीय परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मानदेय	3,000
2.	निजी निकाय के लिए किए गए कार्य के लिए शुल्क (शुल्क का 1/3 हिस्सा सरकार द्वारा रखा गया है)	6,000
3.	जीपीएफ में योगदान प्रति माह	4,700
4.	डाक जीवन बीमा प्रीमियम का वित्तपोषण जीपीएफ से किया जाएगा	280
5.	केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना में अंशदान	500
6.	जीवन बीमा प्रीमियम (1.04.2012 से पहले अपनी पत्नी के नाम पर ली गई 1,00,000 रुपये की जीवन बीमा पॉलिसी)	10,500
7.	सार्वजनिक भविष्य निधि में योगदान	10,000
8.	1.04.1999 के बाद लिए गए एचडीएफसी ऋण की चुकौती ईएमआई 25,000 रुपये (ऋण के लिए 95,000)	3,00,000

रुपये, ब्याज के लिए 2,05,000 रुपये)

**कर की गणना**

क्र. सं.	विवरण	रुपए	रुपए
1.	<b>वेतन से आय</b>		
	मूल वेतन 40,000 रुपये प्रति माह (मार्च से जून '17)	1,60,000	
	@ 41,200 रुपये प्रति माह * (जुलाई 2017 से फरवरी 2018)	3,29,600	4,89,600
	<b>महंगाई भत्ता</b>		
	1.3.2017 से 30.06.2017 @ 4% यानी 40,000 रुपये प्रति माह	6,400	
	1.7.2017 से 31.12.2017 @ 5% यानी 41,200 रुपये प्रति माह	14,420	
	1.1.2018 से 28.02.2018 @ 7% (मान्य) अर्थात्, रु . 41,200 प्रति माह	5,768	5,16,188
	<b>मकान किराया भत्ता</b>		
	मूल वेतन का 30% (मौजूदा पुराने वेतन पर और 01.07.2017 से 24% पर)		
	1.3.2017 से 30.06.2017 @ रु. 7,000	21,000	
	1.07.2017 से 28.2.2018 @ रु. 9,888	79,104	1,00,104
	<b>परिवहन भत्ता</b>		
	1.3.2017 से 30.6.2017 @ रु. 3200 प्रति माह	12,800	
	1.7.2017 से 31.12.2017 @ रु. 3780 प्रति माह	22,680	
	1.1.2018 से 28.2.2018 @ रु. 3852 प्रति माह	7704	
		43,184	
	घटाएँ: धारा 10(14) के तहत छूट @ 800 प्रति माह	19200	23984
			6,40,276
	<b>मानदेय</b>		3,000
	फीस (2/3 उनके पास रहेगी)		4000
	कुल वेतन		6,47,276
	घटाएँ: मानक कटौती		-
	शुद्ध वेतन		6,47,276
2.	<b>गृह संपत्ति से आय</b>		
	धारा 23(2)(ए) के तहत स्व-अधिभोग को शून्य माना जाएगा		
	घटाएँ : एचडीएफसी ऋण पर ब्याज	2,00,000 (-)	2,00,000
	सकल कुल आय		4,47,276
	घटाएँ: धारा 80 सी के तहत कटौती		
	- जीपीएफ @ 4,700/- रुपये प्रति माह	56,400	
	- सीजीईजीआईएस @ 500/- रुपये प्रति माह	6,000	
	- जीवन बीमा प्रीमियम	10,500	
	- एचडीएफसी ऋण का पुनर्भुगतान	95,000	
	- सार्वजनिक भविष्य निधि में जमा	10,000	
		1,77,900	
			1,50,000
	अधिकतम कर योग्य आय तक सीमित		2,97,276

कर देयता की गणना

देय कर	2,365
जोड़ें: अधिभार	-
जोड़ें : शिक्षा उपकर	71
कुल कर देयता	शून्य*

\* धारा 87 के तहत 2500 रुपये की छूट के बाद

अनुबंध द्वितीय

फॉर्म संख्या 12बीए

(नियम 26ए(2)(बी) देखें)

वेतन के बदले में मिलने वाली सुविधाओं, अन्य अनुबंधी लाभों या सुख-सुविधाओं तथा लाभों का विवरण तथा उनका मूल्य दर्शाने वाला विवरण

- (1) नियोक्ता का नाम और पता:
- (2) टैन
- (3) नियोक्ता की टीडीएस मूल्यांकन सीमा :
- (4) कर्मचारी का नाम, पदनाम और पैन:
- (5) क्या कर्मचारी निदेशक है या ऐसा व्यक्ति है जिसका कंपनी में पर्याप्त हित है (जहां नियोक्ता एक कंपनी है)
- (6) कर्मचारी के "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत आय : (अनुलाभों से भिन्न)
- (7) वित्तीय वर्ष :
- (8) अनुलाभों का मूल्यांकन

क्र. सं.	अनुलाभ की प्रकृति (नियम 3 देखें)	नियमानुसार अनुलाभ का मूल्य (₹.)	कर्मचारी से वसूल की गई राशि (₹.)	कर योग्य अनुलाभ की राशि कॉलम (3) - कॉलम (4) (₹.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आवास			
2	कारें/अन्य ऑटोमोटिव			
3	सफाई कर्मचारी, माली, चौकीदार या निजी परिचारक			
4	गैस, बिजली, पानी			
5	ब्याज मुक्त या रियायती ऋण			
6	छुट्टियों का खर्च			
7	निःशुल्क या रियायती यात्रा			
8	निःशुल्क भोजन			
9	मुफ्त शिक्षा			
10	उपहार, वाउचर आदि.			
11	क्रेडिट कार्ड खर्च			
12	क्लब खर्च			
13	कर्मचारियों द्वारा चल संपत्ति का उपयोग			
14	कर्मचारियों को परिसंपत्तियों का हस्तांतरण			
15	किसी अन्य लाभ/सुविधा/सेवा/विशेषाधिकार का मूल्य			
16	स्टॉक विकल्प ( गैर-योग्य विकल्प)			
17	अन्य लाभ या सुविधाएं			



- ( क ) वित्तीय संस्थाएं ( यदि उपलब्ध हों )  
 ( ख ) नियोक्ता ( यदि उपलब्ध हो )  
 ( ग ) अन्य

4

अध्याय VI-A के तहत कटौती  
 (ए) धारा 80सी, 80सीसीसी और 80सीसीडी  
 ( i ) धारा 80सी

- ( ए ) .....  
 ( बी ) .....  
 ( सी ) .....  
 ( डी ) .....  
 ( ई ) .....  
 ( एफ ) .....  
 ( जी ) .....

- ( ii ) धारा 80सीसीसी  
 ( iii ) धारा 80सीसीडी  
 (बी) अध्याय VI-ए के अंतर्गत अन्य धाराएं (जैसे 80ई, 80जी, 80टीटीए, आदि)  
 ( i ) अनुभाग .....  
 ( ii ) अनुभाग.....  
 ( iii ) अनुभाग.....  
 ( iv ) धारा .....  
 ( v ) अनुभाग .....

सत्यापन

मैं, ....., पुत्र/पुत्री ..... एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी पूर्ण एवं सही है।  
 जगह.....  
 तारीख..... (कर्मचारी के हस्ताक्षर)  
 पद का नाम .....।।।।। पूरा नाम

### अनुलग्नक III

स्रोत पर कर की कटौती के परिपत्र का बिंदु संख्या 4.4.2.1 - आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के तहत वेतन से आयकर कटौती - वित्तीय वर्ष 2015-16

बुक एंट्री द्वारा टीडीएस के भुगतान के मामले में पीएओ, ट्रेजरी अधिकारी आदि द्वारा विवरण दाखिल करना अनिवार्य है।

1. टीआईएन-सुविधा केंद्रों (टीआईएन-एफसी) पर फॉर्म 24जी तैयार करने और प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :

फॉर्म 24G, पीएओ/डीटीओ/सीडीडीओ (जिन्हें आगे एओ कहा जाएगा) द्वारा डीआईटी (सिस्टम्स), दिल्ली द्वारा निर्धारित डेटा संरचना (फ़ाइल प्रारूप) के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए, जो टीआईएन वेबसाइट [www.tin-nsdl.com](http://www.tin-nsdl.com) पर उपलब्ध है। एओ, इन-हाउस सुविधाओं, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा विकसित फॉर्म 24G रिटर्न प्रिपेरेशन यूटिलिटी (आरपीयू) का उपयोग करके फॉर्म 24G तैयार कर सकते हैं, जिसे टीआईएन वेबसाइट [www.tin-nsdl.com](http://www.tin-nsdl.com) से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।

फॉर्म 24G तैयार करने के बाद, AO को फॉर्म 24G फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी (FVU) का उपयोग करके इसे मान्य करना आवश्यक है, जो TIN वेबसाइट पर निःशुल्क उपलब्ध है।

एफवीयू के माध्यम से फ़ाइल मान्य हो जाने के बाद, एओ द्वारा हस्ताक्षरित भौतिक स्टेटमेंट स्टैटिस्टिक रिपोर्ट (एसएसआर) के साथ सीडी/डीवीडी/पेन ड्राइव में ' .fvu फ़ाइल' को टिन-एफसी में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। टिन-एफसी में फॉर्म 24जी की सफल स्वीकृति पर, एओ को 15 अंकों की टोकन संख्या वाली एक पावती प्रदान की जाती है। एओ टिन वेबसाइट पर फॉर्म 24जी की स्थिति देख सकता है।

फॉर्म 24G में दर्ज प्रत्येक 'वैध TAN वाले DDO रिकॉर्ड' के लिए बुक आइडेंटिफिकेशन नंबर (BIN) जनरेट किया जाता है, जिसे फॉर्म 24G में उल्लिखित ईमेल आईडी पर AO को भेजा जाता है। AO को संबंधित DDO को BIN विवरण संप्रेषित करना होगा। DDO को तिमाही ई-टीडीएस/टीसीएस विवरणों में BIN का उल्लेख करना होगा। BIN में फॉर्म 24G की रसीद संख्या, DDO सीरियल नंबर और ट्रांसफर वाउचर की तारीख शामिल होती है। एओ को कटौतीकर्ताओं द्वारा काटे गए कर और उस महीने के लिए उसे दी गई रिपोर्ट के संबंध में महीने के अंत से दस दिनों के भीतर फॉर्म 24G प्रस्तुत करना आवश्यक है। एक 'वित्तीय वर्ष' के लिए केवल एक नियमित फॉर्म 24G प्रस्तुत किया जा सकता है।

### 1.1 फॉर्म 24G में सुधार:

TIN केंद्रीय प्रणाली में स्वीकृत फॉर्म 24G में किसी भी संशोधन या निरस्तीकरण के लिए AO एक सुधार फॉर्म 24G दाखिल कर सकता है। सुधार फॉर्म 24G की तैयारी और सत्यापन नियमित फॉर्म 24G के अनुरूप ही है। सत्यापित फॉर्म 24G सुधार फ़ाइल (.fvu फ़ाइल ) की प्रतिलिपि CD/पेन ड्राइव में बनाकर मूल फॉर्म 24G और SSR की अनंतिम रसीद के साथ TIN-FC को जमा करनी होगी। TIN-FC में सुधार फॉर्म 24G की सफलतापूर्वक स्वीकृति मिलने पर, AO को 15 अंकों का टोकन नंबर युक्त एक पावती प्रदान की जाती है। AO, TIN वेबसाइट पर फॉर्म 24G की स्थिति देख सकता है।

### 2. टीआईएन वेबसाइटों पर फॉर्म 24जी का ऑनलाइन अपलोड:

TIN वेबसाइट पर फॉर्म 24G ऑनलाइन अपलोड करने के लिए, लेखा कार्यालय पहचान संख्या (AIN) एक पूर्व-आवश्यकता है। ऑनलाइन AIN पंजीकरण के लिए, AO को TIN-FC के माध्यम से कम से कम एक फॉर्म 24G दाखिल करना होगा। AIN पंजीकरण के बाद, AO, TIN वेबसाइट पर AO खाते के माध्यम से फॉर्म 24G दाखिल कर सकता है। सुधार फॉर्म 24G की तैयारी और सत्यापन नियमित फॉर्म 24G (TIN-FC में जमा) के अनुरूप है। मान्य फॉर्म 24G सुधार फ़ाइल (.fvu फ़ाइल ) को TIN वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। ऑनलाइन अपलोड में SSR जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। TIN केंद्रीय प्रणाली में स्वीकार किए जाने वाले फॉर्म 24G के लिए, 15 अंकों की टोकन संख्या वाली एक ऑनलाइन पावती तैयार की जाती है और AO को दिखाई जाती है। पावती का प्रारूप TIN-FC द्वारा जारी किए गए प्रारूप के समान है।

फॉर्म 24जी को ऑनलाइन अपलोड करने के लिए एओ पर कोई शुल्क लागू नहीं है।

लॉगइन करने पर, AO BIN विवरण देख/डाउनलोड कर सकता है और जनसांख्यिकीय विवरण भी अपडेट कर सकता है।

पंजीकरण और फॉर्म 24जी को ऑनलाइन अपलोड करने के लिए किसी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) की आवश्यकता नहीं है।

#### 2.1 टीआईएन वेबसाइट पर सुधार फॉर्म 24जी की ऑनलाइन अपलोडिंग:

TIN केंद्रीय प्रणाली में स्वीकृत फॉर्म 24G में किसी भी संशोधन या निरस्तीकरण के लिए AO एक सुधार फॉर्म 24G दाखिल कर सकता है। सुधार फॉर्म 24G की तैयारी और सत्यापन नियमित फॉर्म 24G के अनुरूप ही है। सत्यापित फॉर्म 24G सुधार फ़ाइल (.fvu फ़ाइल ) को AO खाते के माध्यम से TIN वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड किया जा सकता है। TIN केंद्रीय प्रणाली में स्वीकृत फॉर्म 24G सुधार के लिए, 15 अंकों की टोकन संख्या वाली एक ऑनलाइन पावती तैयार की जाती है और AO को दिखाई जाती है। पावती का प्रारूप TIN-FC द्वारा जारी किए गए प्रारूप के समान ही है। ऑनलाइन अपलोड में मूल फॉर्म 24G की SSR और अनंतिम रसीद जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

3. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और आगे की जानकारी के लिए, एओ को टीआईएन वेबसाइट [www.tin-nsdl.com](http://www.tin-nsdl.com) पर लॉग ऑन करने की सलाह दी जाती है।

## अनुलग्नक IV

वेतन एवं लेखा अधिकारियों (पीएओ)/जिला कोषागार अधिकारियों (डीटीओ)/चेक आहरण और द्वारा मासिक फॉर्म संख्या 24जी विवरण प्रस्तुत करना

संवितरण अधिकारी ( सीडीडीओ)

### 1. फॉर्म 24G किस आयकर नियम के तहत दाखिल किया जाना चाहिए?

आयकर विभाग की अधिसूचना संख्या 41/2010 दिनांक 31 मई, 2010 द्वारा आयकर नियम 30 में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार सरकार के किसी कार्यालय के मामले में, जहां चालान (बैंक में कर जमा करने से संबद्ध) प्रस्तुत किए बिना ही केंद्र सरकार के खाते में कर का भुगतान कर दिया गया है, संबंधित पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ या सरकार के समकक्ष कार्यालय (जिसे इस दस्तावेज में एओ कहा जाएगा) को मासिक आधार पर फॉर्म 24जी दाखिल करना आवश्यक है।

### 2. संबंधित पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ कौन है जो फॉर्म 24जी दाखिल करने के लिए उत्तरदायी है?

एक प्रासंगिक पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ वह कार्यालय होता है जिसे कटौतीकर्ता /डीडीओ (टीएन धारक) बुक एडजस्टमेंट के माध्यम से टीडीएस/टीसीएस के

प्रेषण की सूचना देता है। सामान्यतः, केंद्र सरकार के डीडीओ अपने संबंधित वेतन एवं लेखा अधिकारियों (पीएओ) को बुक एंट्री के माध्यम से टीडीएस की सूचना देते हैं और राज्य सरकार के डीडीओ अपने संबंधित जिला कोषागार अधिकारियों (डीटीओ) को बुक एंट्री के माध्यम से टीडीएस की सूचना देते हैं। ऐसे पीएओ और डीटीओ को मासिक आधार पर फॉर्म 24जी दाखिल करना आवश्यक है।

चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (सीडीडीओ) के भी कुछ मामले हैं जो सीधे राज्य महालेखाकार को बुक एंट्री के माध्यम से टीडीएस की रिपोर्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग आदि। ऐसे सीडीडीओ को भी मासिक आधार पर फॉर्म 24G दाखिल करना आवश्यक है। अनुलमनक-III में दिया गया योजनाबद्ध आरेख विभिन्न परिस्थितियों में फॉर्म 24G दाखिल करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को स्पष्ट करता है।

### **3. क्या एक ही कार्यालय/अधिकारी डीडीओ और एओ के रूप में भी कार्य कर सकता है?**

आमतौर पर, पीएओ कार्यालय ही वह होता है जिसे डीडीओ टीडीएस की रिपोर्ट करता है और इसलिए, दोनों अलग-अलग कार्यालयों से होने चाहिए। हालाँकि, जहाँ डीडीओ और एओ एक ही हों, जैसे कि सीडीडीओ के मामले में, फॉर्म 24जी की सांख्यिकी रिपोर्ट पर उसके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

### **4. एआईएन क्या है और किसे आवेदन करना चाहिए?**

लेखा कार्यालय पहचान संख्या (एआईएन) एक विशिष्ट सात अंकों की संख्या है जो आयकर निदेशालय (प्रणाली), दिल्ली द्वारा प्रत्येक लेखा अधिकारी को आवंटित की जाती है। इस संख्या से प्रत्येक लेखा अधिकारी की पहचान प्रणाली में विशिष्ट रूप से होती है। लेखा अधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार वाले टीडीएस कार्यालय में एआईएन के लिए आवेदन करना आवश्यक है। एआईएन आवेदन पत्र टीआईएन वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रत्येक एआईएन धारक को फॉर्म 24जी दाखिल करना आवश्यक है।

सिस्टम में प्रत्येक डीडीओ की पहचान एक कर कटौती एवं संग्रहण खाता संख्या (टीएएन) द्वारा होती है। यह संख्या आयकर विभाग द्वारा आवंटित की जाती है।

### **5. लेखा कार्यालय पहचान संख्या (एआईएन) आवेदन कहां जमा किया जाना चाहिए?**

एआईएन आवंटन हेतु विधिवत भरा और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ द्वारा क्षेत्राधिकार प्राप्त सीआईटी (टीडीएस) को भौतिक रूप में प्रस्तुत किया जाना है। पूर्ण और सही एआईएन आवेदन पत्र, क्षेत्राधिकार प्राप्त सीआईटी (टीडीएस) द्वारा एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एनएसडीएल), टाइम्स टावर, प्रथम तल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापतिबापतमार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400013 को पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ को एआईएन आवंटन की अनुशंसा करते हुए अग्रेषित किया जाएगा।

### **6. फॉर्म 24जी के माध्यम से क्या जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए?**

प्रत्येक एओ को हर महीने एक पूर्ण, सही और समेकित फॉर्म 24जी प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें प्रत्येक प्रकार की कटौती/संग्रह का अलग-अलग विवरण हो, जैसे टीडीएस-वेतन/टीडीएस- गैर वेतन /टीडीएस- गैर वेतन प्रत्येक डीडीओ द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किए गए गैर-निवासी /टीसीएस।

### **7. फॉर्म 24G कहां जमा किया जाना चाहिए?**

फॉर्म 24G केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में सीडी/पेन ड्राइव में TIN-FC पर या [www.tin-nsdl.com](http://www.tin-nsdl.com) वेब पोर्टल पर AO खाते के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जाना है। फॉर्म संख्या 24G ऑनलाइन जमा करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। प्रोविजनल रसीद संख्या (PRN) फॉर्म 24G की प्राप्ति की पावती के रूप में जारी की जाती है।

### **8. ऑनलाइन सुविधा के लिए पंजीकरण कैसे करें?**

टिन वेबसाइट [www.tin-nsdl.com](http://www.tin-nsdl.com) के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म संख्या 24G भरने के लिए AO खाते का पंजीकरण अनिवार्य है। AO खाते का पंजीकरण केवल एक बार आवश्यक है। AO खाते के पंजीकरण के लिए अपने ग्राहक को जानें (KYC) मानदंडों का पालन करने हेतु AO को कम से कम एक बार TIN-FC में फॉर्म संख्या 24G जमा करना आवश्यक है। पंजीकरण के बाद, AO के लिए फॉर्म संख्या 24G को CD/पेन ड्राइव में TIN-FC में या ऑनलाइन जमा करना वैकल्पिक है।

### **9. AO खाते के साथ क्या कार्यक्षमताएं उपलब्ध हैं?**

एओ खाते के माध्यम से, एओ दाखिल किए गए फॉर्म संख्या 24G की स्थिति देख सकता है, BIN (बुक आइडेंटिफिकेशन नंबर) विवरण प्राप्त कर सकता है, एओ प्रोफाइल अपडेट कर सकता है और फॉर्म संख्या 24G अपलोड कर सकता है। स्थिति की ट्रैकिंग फॉर्म 24G के एआईएन और संबंधित प्रोविजनल रसीद नंबर (PRN) पर आधारित है।

10. क्या एओ फॉर्म संख्या 24G को कागज़ के रूप में प्रस्तुत कर सकता है? नहीं। फॉर्म 24G केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही दाखिल किया जाना है।

11. क्या एओ इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार फॉर्म संख्या 24जी आयकर कार्यालय में जमा कर सकता है?

नहीं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार फॉर्म संख्या 24G केवल TIN-FC या ऑनलाइन ही जमा किया जा सकता है।

## 12. फॉर्म 24G में क्या शामिल है?

प्रत्येक फॉर्म 24G आयकर विभाग (ITD) द्वारा निर्धारित डेटा संरचना के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। फॉर्म 24G में निम्नलिखित शामिल हैं-• फॉर्म 24G दाखिल करने वाले AO का विवरण (AIN, नाम, जनसांख्यिकीय जानकारी, संपर्क विवरण)।

- मंत्रालय/राज्य के विवरण के साथ एओ (केन्द्र/राज्य सरकार) की श्रेणी।
- विवरण विवरण (वह महीना और वर्ष जिसके लिए फॉर्म 24G दाखिल किया जा रहा है)।
- भुगतान सारांश; कटौती की प्रकृति (टीडीएस - वेतन / टीडीएस गैर-वेतन / टीडीएस - गैर-वेतन अनिवासी / टीसीएस)।
- डीडीओ वार भुगतान विवरण (डीडीओ का टीएएन, नाम, जनसांख्यिकीय विवरण, कुल कर कटौती और सरकारी खाते में प्रेषित (एजी/ पीआर.सीसीए)।
- डीडीओ जो एओ से संबद्ध हैं। यदि एओ डीडीओ का विवरण जोड़ना/हटाना या अपडेट करना चाहता है, तो इसका उल्लेख विवरण में किया जाना चाहिए।

## 13. फॉर्म 24जी विवरण तैयार करने की प्रक्रिया क्या है?

एओ या तो इन-हाउस सुविधाओं, तीसरे पक्ष के सॉफ्टवेयर का उपयोग करके या एनएसडीएल द्वारा विकसित फॉर्म 24जी तैयारी उपयोगिता का उपयोग करके फॉर्म 24जी तैयार कर सकते हैं, जिसे टीआईएन वेबसाइट ([www.tin-nsdl.com](http://www.tin-nsdl.com)) या आईटीडी वेबसाइट ([www.incometaxindia.gov.in](http://www.incometaxindia.gov.in)) से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है।

विवरण तैयार हो जाने के बाद, एओ एनएसडीएल द्वारा विकसित और टीआईएन या आईटीडी वेबसाइट पर निःशुल्क उपलब्ध फ़ाइल वैलिडेशन यूटिलिटी (एफवीयू) का उपयोग करके उसका सत्यापन करेगा। विवरण को एनएसडीएल द्वारा प्रबंधित किसी भी टीआईएन-सुविधा केंद्र (टीआईएन-एफसी) पर कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी) में फॉर्म 24जी विवरण सांख्यिकी रिपोर्ट (फ़ाइल वैलिडेशन यूटिलिटी के माध्यम से तैयार) के साथ, एओ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, प्रस्तुत किया जा सकता है। टीआईएन-एफसी की सूची टीआईएन या आईटीडी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

एक बार जब फॉर्म 24G को टीआईएन-एफसी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो वह विवरण प्रस्तुत करने के प्रमाण के रूप में एओ को एक अद्वितीय अनंतिम रसीद संख्या (पीआरएन) के साथ एक अनंतिम रसीद जारी करेगा।

## 14. फॉर्म 24G तैयारी उपयोगिता क्या है?

फॉर्म 24G प्रिपेरेशन यूटिलिटी एक जावा आधारित यूटिलिटी है। फॉर्म 24G प्रिपेरेशन यूटिलिटी को [www.tin-nsdl.com](http://www.tin-nsdl.com) से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड करने के बाद, इसे मशीन की लोकल डिस्क पर सेव करना होगा।

जिस कंप्यूटर पर फॉर्म 24G प्रिपेरेशन यूटिलिटी इंस्टॉल की जा रही है, उस पर JRE (जावा रन-टाइम एनवायरनमेंट) [संस्करण: SUN JRE: 1.4.2\_02 या 1.4.2\_03 या 1.4.2\_04 या IBM JRE: 1.4.1.0] इंस्टॉल होना चाहिए। JRE को <http://java.sun.com> और <http://www.ibm.com/developerworks/java/jdk> से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है या आप अपने कंप्यूटर विक्रेता (हार्डवेयर) से इसे इंस्टॉल करने के लिए कह सकते हैं।

फॉर्म 24G तैयारी उपयोगिता को विंडोज प्लेटफॉर्म (विंडोज प्लेटफॉर्म) Win 2K प्रो./Win 2K सर्वर/Win NT 4.0 सर्वर/Win XP प्रो. पर निष्पादित किया जा सकता है। 'फॉर्म 24G तैयारी उपयोगिता' को चलाने के लिए, '24GRPU.bat' फ़ाइल पर क्लिक करें।

यदि कंप्यूटर पर JRE इंस्टॉल नहीं है, तो '24GRPU.bat' पर क्लिक करने पर एक संदेश दिखाई देगा। ऐसी स्थिति में, JRE इंस्टॉल करें और पुनः प्रयास करें। यदि JRE का उपयुक्त संस्करण इंस्टॉल है, तो 'फॉर्म 24G तैयारी उपयोगिता' प्रदर्शित होगी।

## 15. फॉर्म 24G तैयारी उपयोगिता को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के चरण क्या हैं ?

फॉर्म 24G तैयारी उपयोगिता में 'सहायता' अनुभाग में दिए गए निर्देश पढ़ें। इस उपयोगिता का उपयोग 75,000 तक रिकॉर्ड वाले फॉर्म 24G की तैयारी के लिए किया जा सकता है। नियमित और सुधारात्मक विवरणों के लिए फॉर्म 24G तैयारी उपयोगिता (संस्करण 1.2) का उपयोग किया जाना चाहिए।

## 16. फ़ाइल सत्यापन उपयोगिता (FVU) क्या है?

फ़ाइल की प्रारूप स्तर की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, एओ को प्रिपेरेशन यूटिलिटी का उपयोग करके तैयार की गई फॉर्म 24G (नियमित/सुधार) फ़ाइल को फ़ाइल सत्यापन यूटिलिटी (FVU) के माध्यम से पास करना चाहिए। यह यूटिलिटी TIN वेबसाइट से निःशुल्क डाउनलोड भी की जा सकती है। यदि फॉर्म 24G में कोई त्रुटि है, तो एओ को उसे ठीक करना चाहिए। त्रुटियों को ठीक करने के बाद, उपयोगकर्ता को सुधारे गए फॉर्म 24G को FVU के

माध्यम से पास करना चाहिए। यह प्रक्रिया तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक कि एक त्रुटि-रहित फॉर्म 24G तैयार न हो जाए। वित्तीय वर्ष 2005-06 के बाद से तैयार किए गए फॉर्म 24G (नियमित/सुधार) को इस यूटिलिटी का उपयोग करके मान्य किया जा सकता है।

फॉर्म 24G FVU एक जावा आधारित उपयोगिता है। JRE (जावा रन-टाइम एनवायरनमेंट) [संस्करण: SUN JRE: 1.4.2\_02 या 1.4.2\_03 या 1.4.2\_04 या IBM JRE: 1.4.1.0] उस कंप्यूटर पर स्थापित होना चाहिए जिस पर फॉर्म 24G FVU स्थापित किया जा रहा है। JRE को <http://java.sun.com> और <http://www.ibm.com/developerworks/java/jdk> से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है या आप अपने कंप्यूटर विक्रेता (हार्डवेयर) से इसे आपके लिए स्थापित करने का अनुरोध कर सकते हैं।

फॉर्म 24G FVU सेटअप में दो फाइलें शामिल हैं, अर्थात्-

- **फॉर्म 24G FVU.bat:** यह FVU की स्थापना के लिए एक सेटअप प्रोग्राम है।
- **फॉर्म 24G\_FVU\_STANDALONE.jar:** यह FVU प्रोग्राम फ़ाइल है।

ये फ़ाइलें एक निष्पादन योग्य ज़िप फ़ाइल (Form24GFVU.exe) (संस्करण 1.2) में हैं। ये फ़ाइलें फॉर्म 24G FVU को स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं।

निष्कर्षण और सेटअप के लिए निर्देश निम्नलिखित हैं:

- फॉर्म 24G FVU निकालें और सेटअप करें।

**17. आरपीयू के माध्यम से फॉर्म संख्या 24जी विवरण तैयार करने के बाद, जब ऐसा विवरण एफवीयू से गुजरता है, तो तीन फाइलें बनती हैं। क्या एओ को तीनों फाइलों को सीडी/पेन ड्राइव में टीआईएन-एफसी में ले जाना आवश्यक है?**

जब एक वैध फ़ाइल FVU से होकर गुजरती है, तो निम्नलिखित तीन फ़ाइलें उत्पन्न होती हैं:-

- ( ए ) अपलोड फ़ाइल
- ( बी ) फॉर्म 24G विवरण सांख्यिकी रिपोर्ट और
- ( सी ) फॉर्म 24जी.

क्रम संख्या (क) में उल्लिखित प्रत्येक फॉर्म 24जी (अपलोड फ़ाइल) को सीडी में सुरक्षित किया जाना है और इसके साथ क्रम संख्या (ख) में उल्लिखित विवरण सांख्यिकी रिपोर्ट को कागज के रूप में लेखा अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित किया जाना है, जिसे टीआईएन-एफसी में प्रस्तुत किया जाना है।

फॉर्म 24G: ऊपर क्रमांक (c) वाला फॉर्म 24G, टीडीएस/टीसीएस बुक समायोजन फॉर्म का एक पठनीय प्रारूप है। यह HTML फॉर्मेट में फॉर्म 24G के भौतिक रूप जैसा ही है। इसमें लेखा अधिकारी और आहरण एवं संवितरण अधिकारी का पूरा विवरण होता है। इस फाइल को जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

**18. क्या फॉर्म 24G विवरण को सही किया जा सकता है?**

प्रत्येक फॉर्म 24G आयकर विभाग (ITD) द्वारा निर्धारित डेटा संरचना के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। यदि यह नई डेटा संरचना के अनुरूप नहीं है, तो इसे TIN द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।

प्रक्रिया के अनुसार, फॉर्म 24G से संबंधित विवरण पूर्ण और सही होने चाहिए। कोई भी खंडित विवरण दाखिल करने की अपेक्षा नहीं की जाती है (अर्थात् एक ही AIN, वित्तीय वर्ष और महीने के संबंध में विभिन्न फॉर्म प्रकारों के अंतर्गत कटौतियों का विवरण देने वाले अलग-अलग विवरण)। हालाँकि, मूल स्वीकृत विवरण में हुई किसी भी गलती को 'सुधार विवरण' प्रस्तुत करके सुधारा जा सकता है। **सुधार के लिए, RPU का नवीनतम संस्करण TIN वेबसाइट से डाउनलोड किया जाना चाहिए।**

फॉर्म 24G में सुधार सीधे TIN वेबसाइट पर भी अपलोड किए जा सकते हैं। TIN सेंट्रल सिस्टम पर सीधे अपलोड करने के लिए, AO को पहले TIN वेबसाइट पर AIN रजिस्टर करना होगा और फॉर्म 24G में सुधार अपलोड करना होगा।

**19. विभिन्न प्रकार के सुधार कथन क्या हैं?**

एओ द्वारा प्रस्तुत किए जा सकने वाले दो अलग-अलग प्रकार के सुधार कथन नीचे सूचीबद्ध हैं।

- **एम (संशोधित करें) :-** मौजूदा फॉर्म 24जी विवरण में किसी भी संशोधन के लिए।
- **X (रद्द करें) :-** मौजूदा फॉर्म 24G विवरण को रद्द करने के लिए।

सुधार विवरण तैयार करने के लिए मूल विवरण की रसीद संख्या और पिछले विवरण की रसीद संख्या अनिवार्य है।

प्रथम संशोधन के मामले में, मूल विवरण का PRN " मूल विवरण की रसीद संख्या " फ़ील्ड में तथा साथ ही " पिछले विवरण की रसीद संख्या "

फ़ील्ड में प्रदान किया जाना चाहिए।

यदि पहले ही सुधार विवरण दाखिल किया जा चुका है, तो मूल विवरण का पीआरएन "मूल विवरण की प्राप्ति संख्या" फ़ील्ड में प्रदान किया जाना चाहिए और अंतिम सुधार का पीआरएन "पिछले विवरण की प्राप्ति संख्या" फ़ील्ड में उल्लेख किया जाना चाहिए।

## 20. एम-प्रकार का सुधार कथन क्या है?

इस प्रकार का सुधार विवरण एओ द्वारा प्रस्तुत किया जाना है, यदि वह अपना कोई विवरण जैसे नाम, पता, जिम्मेदार व्यक्ति का विवरण, श्रेणी, मंत्रालय, राज्य या डीडीओ (आहरण और संवितरण अधिकारी) को हटाना या जोड़ना आदि को अद्यतन करना चाहता है। एआईएन (खाता कार्यालय पहचान संख्या), वित्तीय वर्ष और महीने में संशोधन की अनुमति नहीं है।

मूल फॉर्म 24G विवरण में दिए गए DDO विवरण में परिवर्तन तीन तरीकों से किया जा सकता है:

- **जोड़ें :** DDO रिकॉर्ड को मूल फॉर्म 24G विवरण में जोड़ा जा सकता है
- **अद्यतन :** डीडीओ का विवरण (अर्थात टैन, टैन नाम, जनसांख्यिकीय और संपर्क विवरण, कटौती और प्रेषित कर की राशि, कटौती की प्रकृति) मूल या बाद के सुधार विवरण में प्रदान किए गए डीडीओ रिकॉर्ड के लिए अद्यतन किया जा सकता है।
- **हटाना :** मूल फॉर्म 24G या बाद के सुधार विवरण में दिए गए DDO रिकॉर्ड को हटाया जा सकता है

एम-प्रकार सुधार विवरण में हमेशा एओ विवरण और डीडीओ का विवरण शामिल होगा जो जोड़ा और/या हटाया गया है।

## 21. X-प्रकार का सुधार कथन क्या है?

यदि AO किसी मौजूदा फॉर्म 24G विवरण को रद्द करना चाहता है, तो उसे इस प्रकार का सुधार विवरण प्रस्तुत करना होगा। सुधार प्रकार X दाखिल करने से AO को उसी प्राथमिक कुंजी (AIN, वित्तीय वर्ष और माह) के लिए नियमित फॉर्म 24G दाखिल करने की अनुमति मिल जाएगी। इस प्रकार का सुधार केवल तभी दाखिल किया जाना चाहिए जब फॉर्म 24G गलत AIN, वित्तीय वर्ष या माह के साथ दाखिल किया गया हो।

## 22. BIN क्या है?

स्वीकृत मासिक फॉर्म संख्या 24G में उल्लिखित प्रत्येक फॉर्म प्रकार के लिए BIN का अर्थ "बुक आइडेंटिफिकेशन नंबर" है। BIN में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ( i ) **रसीद संख्या:** रसीद संख्या सात अंकों की एक विशिष्ट संख्या है जो फॉर्म 24जी की सफल स्वीकृति पर उत्पन्न होती है।
- ( ii ) **डीडीओ सीरियल नंबर:** यह फॉर्म 24जी विवरण में रिपोर्ट किए गए प्रत्येक डीडीओ लेनदेन के लिए उत्पन्न पांच अंकों की अद्वितीय संख्या है।
- ( iii ) **स्थानांतरण वाउचर तिथि:** यह उस महीने की अंतिम तिथि है जिसके लिए फॉर्म 24G विवरण दाखिल किया गया है।

BIN को संबंधित DDO को प्रदान करना आवश्यक है, जिन्हें बदले में TDS/TCS विवरण में इसकी सूचना देनी होगी। 1 फ़रवरी, 2012 से BIN का उल्लेख अनिवार्य कर दिया गया है। BIN एक विशिष्ट संख्या है जो चालान प्रस्तुत किए बिना जमा किए गए TDS के दावे को सत्यापित करती है। चूंकि यह एक सत्यापन कुंजी है, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि AO द्वारा संबंधित DDO को प्रदान किया गया वैध BIN TDS विवरण में सही ढंग से भरा जाना चाहिए।

## 23. BIN कब जनरेट होता है?

स्वीकृत फॉर्म 24G विवरण के प्रसंस्करण पर, फॉर्म 24G विवरण में मौजूद प्रत्येक DDO रिकॉर्ड (वैध TAN सहित) के लिए BIN जनरेट किया जाता है। BIN, TIN केंद्रीय प्रणाली पर जनरेट किए जाते हैं और PAO को TAN और फॉर्म प्रकार के विवरण के साथ सूचित किए जाते हैं।

## 24. पीएओ और डीडीओ का बीआईएन से क्या संबंध है?

एडजस्टमेंट) के माध्यम से किया गया है, तो तिमाही टीडीएस/टीसीएस विवरण तैयार करते समय डीडीओ को उक्त बीआईएन विवरण देना होगा।

किसी विशेष 24G के लिए जनरेट किए गए BIN फॉर्म 24G में दिए गए ईमेल आईडी पर AO को भेजे जाते हैं। इसके अलावा, AO, TIN साइट पर AO लॉगिन के माध्यम से BIN विवरण भी डाउनलोड कर सकता है।

## 25. किन परिस्थितियों में BIN जनरेट किया जाएगा?

- फॉर्म 24G सुधार विवरण में जोड़े गए वैध TAN-DDO रिकॉर्ड के लिए BIN तैयार किया जाएगा।
- डीडीओ रिकॉर्ड के लिए BIN तैयार किया जाएगा, जहां अमान्य TAN/आयकर विभाग के डाटाबेस में मौजूद नहीं TAN को वैध TAN के साथ अद्यतन किया गया है।

- टैन नाम, जनसांख्यिकीय और संपर्क विवरण, कटौती और प्रेषित कर की राशि या कटौती की प्रकृति में किए गए किसी भी अद्यतन के लिए नया बीआईएन उत्पन्न नहीं किया जाएगा।
- हटाए गए DDO रिकॉर्ड के लिए BIN विवरण तैयार नहीं किया जाएगा।

## 26. BIN की उपयोगिता क्या है?

डीडीओ द्वारा दाखिल तिमाही टीडीएस/टीसीएस विवरण में दर्ज बीआईएन विवरण और टीडीएस की राशि का मिलान सत्यापन के उद्देश्य से पीएओ द्वारा दाखिल फॉर्म संख्या 24जी में दर्ज संबंधित विवरण के साथ किया जाएगा।

## 27. क्या ऐसे मामले हैं जहाँ BIN विवरण और TDS/TCS विवरण में दर्ज TDS की राशि, फॉर्म 24G में दर्ज राशि से मेल नहीं खाती? इस तरह के बेमेल के क्या परिणाम होते हैं?

- ( i ) टीडीएस/टीसीएस विवरण में डीडीओ द्वारा बीआईएन की गलत/गलत रिपोर्टिंग के उदाहरण देखे गए हैं। टीडीएस विवरण में गलत बीआईएन और संबंधित राशि की रिपोर्टिंग से फॉर्म संख्या 24जी में दर्ज संबंधित राशि के साथ विसंगति हो सकती है। ऐसी स्थिति में, संबंधित कटौतीकर्ताओं को टीडीएस/टीसीएस क्रेडिट नहीं मिल सकता है। इसलिए, संबंधित पीएओ द्वारा प्रसारित बीआईएन को डीडीओ द्वारा दाखिल टीडीएस/टीसीएस विवरण में संबंधित राशि के साथ सही ढंग से रिपोर्ट किया जाना चाहिए।
- ( ii ) कई मामलों में, एक ही प्रकार के टीडीएस विवरण के लिए फॉर्म संख्या 24G में एक से अधिक एओ द्वारा एक ही डीडीओ की रिपोर्ट की गई है, जो एक मान्य परिदृश्य नहीं है। डीडीओ और संबंधित एओ को सलाह दी जाती है कि वे इस समस्या का समाधान करें और एक डीडीओ को किसी विशेष माह के लिए केवल एक विशेष फॉर्म प्रकार के लिए एक एओ से मैप किया जाना चाहिए।

## 28. पीएओ/डीटीओ/सीडीडीओ के कर्तव्य क्या हैं?

- मैं । क्षेत्राधिकार वाले टीडीएस कार्यालय में एआईएन के लिए आवेदन करने के लिए, एआईएन आवेदन टीआईएन साइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
- ii . रिपोर्टिंग डी.डी.ओ. से सही टी.ए.एन. प्राप्त करना।
- iii . फॉर्म संख्या 24जी (सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव में) को महीने के अंत से 10 दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तो टीआईएन-एफसी पर या टीआईएन वेबसाइट पर सीधे ऑनलाइन अपलोड करके दाखिल करना।
- चतुर्थ . टीआईएन वेबसाइट के माध्यम से दाखिल किए गए फॉर्म संख्या 24जी की स्थिति को ट्रैक करना।
- वि . 24जी विवरण के आधार पर उत्पन्न पुस्तक पहचान संख्या (बीआईएन) डाउनलोड करने के लिए।
- छठी . संबंधित डीडीओ को बीआईएन प्रसारित करना।

## 29. डी.डी.ओ. के कर्तव्य क्या हैं?

- मैं । अपने पीएओ/डीटीओ/सीडीडीओ को सही टीएन उपलब्ध कराना, जिन्हें डीडीओ/ कटौतीकर्ता काटे गए कर की रिपोर्ट करता है तथा जो ऐसी राशि को केन्द्र सरकार के खाते में जमा करने के लिए जिम्मेदार है।
- ii . पीएओ/डीटीओ/सीडीडीओ को पुस्तक समायोजन के माध्यम से केंद्र सरकार के खाते में कटौती और जमा किए गए कर का विवरण रिपोर्ट करना।
- iii . तिमाही टीडीएस/टीसीएस विवरण (24Q, 26Q, आदि ) में कटौती किए गए कर और पुस्तक समायोजन के माध्यम से जमा किए गए कर के लिए बीआईएन उद्धृत करना।
- चतुर्थ . नियत तिथि के भीतर टीडीएस/टीसीएस विवरण (24Q, 26Q आदि ) दाखिल करना ।
- वि . कटौतीकर्ताओं को समय पर जारी करना ।

## 30. त्रैमासिक टीडीएस/टीसीएस विवरण में बीआईएन विवरण न बताने के क्या परिणाम होंगे?

- ( ए ) डीडीओ द्वारा दाखिल तिमाही टीडीएस/टीसीएस विवरण में दर्ज बीआईएन विवरण और टीडीएस की राशि का मिलान सत्यापन के उद्देश्य से पीएओ द्वारा दाखिल फॉर्म संख्या 24जी में दर्ज विवरण के साथ किया जाएगा।
- ( बी ) टीडीएस/टीसीएस विवरण में डीडीओ द्वारा दी गई कोई भी गलत जानकारी बेमेल हो सकती है, जिसके कारण संबंधित कटौतीकर्ता के फॉर्म 26एएस में क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा ।
- ( सी ) अधिक जानकारी टीआईएन वेबसाइट [www.tin-nsdl.com](http://www.tin-nsdl.com) और आईटीडी वेबसाइट [www.incometaxindia.gov.in](http://www.incometaxindia.gov.in) पर उपलब्ध है।

कटौतीकर्ताओं को जारी किए जाने वाले फॉर्म 16/16ए का प्रारूप क्या है ?

फॉर्म 16/16A को केवल TRACES पोर्टल से डाउनलोड और जनरेट करना अनिवार्य है। कटौतीकर्ता को वेतन विवरण के लिए फॉर्म 16 का केवल भाग 'B' मैन्युअल रूप से जारी करने की अनुमति है।

### 32. क्या ऐसा कोई परिदृश्य है जहां डीडीओ को भी एआईएन प्राप्त करना आवश्यक हो?

हां, यदि कटौतीकर्ता सीडीडीओ की क्षमता में है और राज्य एजी को ट्रांसफर वाउचर के माध्यम से सीधे कर कटौती की रिपोर्ट करता है, तो उस स्थिति में सीडीडीओ को एआईएन प्राप्त करना होगा और संबंधित पुस्तक समायोजन प्रविष्टियों के लिए 24जी दाखिल करना होगा और फिर टीएन धारक के रूप में टीडीएस/टीसीएस विवरण भी दाखिल करना होगा।

उदाहरण के लिए, राज्य सरकार में कार्यरत कार्यकारी अभियंता, जो चेक के माध्यम से टीडीएस/टीसीएस काटकर ठेकेदारों को भुगतान कर रहे हैं, उन्हें ऐसे टीडीएस लेनदेन की रिपोर्टिंग के लिए फॉर्म 26Q दाखिल करना होगा। उन्हें इन बुक समायोजन प्रविष्टियों की मासिक रिपोर्टिंग के लिए AIN प्राप्त करना होगा और फॉर्म 24G दाखिल करना होगा, तथा संबंधित BIN का उल्लेख करते हुए TAN धारक के रूप में तिमाही TDS विवरण दाखिल करना होगा।

#### अनुलग्नक V

"राज्य सरकार के विभागों के मामले में फॉर्म संख्या 24जी दाखिल करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति"

छवि

पुस्तक प्रविष्टि की रिपोर्टिंग का प्रकार

24G दाखिल करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति (एआईएन धारक)।

ए	पीएओ/डीटीओ
बी	पीएओ/डीटीओ
सी	पीएओ/डीटीओ
डी	पीएओ/डीटीओ
ई	सीडीडीओ
एफ	एसटीओ

एजी	महालेखाकार
पाओ	वेतन एवं लेखा अधिकारी
डीटीओ	जिला कोषागार कार्यालय
एसटीओ	उप-कोष कार्यालय
डीडीओ	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
सीडीडीओ	चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी

#### अनुलग्नक VI

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के तहत वेतन से स्रोत पर कर की कटौती के मसौदा परिपत्र के बिंदु संख्या 4.9 - वित्तीय वर्ष 2015-16- अधिनियम की धारा 200(3) के तहत कर की कटौती का त्रैमासिक विवरण तैयार करने की प्रक्रिया

कटौतीकर्ता /डीडीओ द्वारा तिमाही ई-टीडीएस विवरण/रिटर्न, डीआईटी (सिस्टम्स), दिल्ली द्वारा निर्धारित डेटा संरचना (फ़ाइल प्रारूप) के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए, जो टीआईएन वेबसाइट [www.tin-nsdl.com](http://www.tin-nsdl.com) पर उपलब्ध है। कटौतीकर्ता /डीडीओ ई-टीडीएस विवरण/रिटर्न या तो आंतरिक सुविधाओं, तृतीय पक्ष सॉफ्टवेयर का उपयोग करके या एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा विकसित रिटर्न प्रिपेरेशन यूटिलिटी (आरपीयू) का उपयोग करके तैयार कर सकते हैं, जिसे टीआईएन वेबसाइट से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।

ई-टीडीएस विवरण/रिटर्न तैयार करने के बाद, कटौतीकर्ता /डीडीओ को फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी (एफवीयू) का उपयोग करके उसे सत्यापित करना आवश्यक है, जो टीआईएन वेबसाइट पर निःशुल्क उपलब्ध है।

2. टीआईएन सुविधा केंद्रों (टीआईएन-एफसी) पर ई-टीडीएस विवरण/रिटर्न प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :

FVU के माध्यम से फ़ाइल सत्यापित होने के बाद, '.fvu फ़ाइल' तैयार हो जाती है। इस '.fvu फ़ाइल' की एक प्रति, सीडी /डीवीडी/पेन ड्राइव में, कटौतीकर्ता /डीडीओ या कटौतीकर्ता/डीडीओ द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत भरे और हस्ताक्षरित भौतिक फॉर्म 27A के साथ, TIN-FC पर जमा की जानी है। कटौतीकर्ता /डीडीओ को एक विशिष्ट 15 अंकों की टोकन संख्या वाली पावती प्रदान की जाती है। कटौतीकर्ता / डीडीओ, TIN वेबसाइट पर ई-टीडीएस विवरण/ रिटर्न की स्थिति देख सकते हैं।

'वित्त वर्ष-तिमाही-टैन-फॉर्म' के लिए केवल एक नियमित ई-टीडीएस विवरण/रिटर्न प्रस्तुत किया जा सकता है।

## 2.1 ई-टीडीएस विवरण/रिटर्न में सुधार:

2.1.1 सीपीसी-टीडीएस पोर्टल ([www.tdscpc.gov.in](http://www.tdscpc.gov.in)) ने विवरणों में ऑनलाइन सुधार की सुविधा भी शुरू की है, जिसके तहत कटौतीकर्ताओं द्वारा दाखिल किए गए विवरणों में व्यक्तिगत जानकारी, पैन सुधार, चालान जानकारी जोड़ना/अपडेट करना, वेतन विवरण जोड़ना/अपडेट करना, कटौतीकर्ता पंक्ति जोड़ना/अपडेट करना/ स्थानांतरित करना आदि कार्य **डिजिटल हस्ताक्षर के साथ या उसके बिना** किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे दिए गए मैट्रिक्स को देखें : .

	डिफॉल्ट सारांश दृश्य	व्यक्तिगत जानकारी	चालान सुधार (बेमेल, मिलान किया गया कटौतीकर्ता + कटौतीकर्ता आंदोलन)	पैन सुधार ( अनुलग्नक I)	पैन सुधार (अनुलग्नक II)	विवरण में चालान जोड़ें	ब्याज, लेवी भुगतान	कटौतीकर्ता पंक्तियों को संशोधित/ जोड़ें	वेतन कटौती वाली पंक्तियाँ हटाएँ/जोड़ें
ऑनलाइन सुधार (डिजिटल हस्ताक्षर के साथ, 2013-14 से आगे)	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई
ऑनलाइन सुधार (डिजिटल हस्ताक्षर के साथ, 2013-14 से पहले)	वाई	वाई	वाई	एन	एन	वाई	वाई	एन	एन
ऑनलाइन सुधार (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना, 2013-14 के बाद)	वाई	एन	वाई	एन	एन	वाई	वाई	एन	एन
ऑनलाइन सुधार (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना, 2013-14 से पहले)	वाई	एन	वाई	एन	एन	वाई	वाई	एन	एन

अधिक जानकारी के लिए, कटौतीकर्ताओं को TRACES पोर्टल पर उपलब्ध ई-ट्यूटोरियल/FAQ देखने की सलाह दी जाती है। ऑनलाइन सुधार में कोई शुल्क नहीं लगता है और कॉन्सो फ़ाइल डाउनलोड करने और TIN-FC पर जाने की आवश्यकता नहीं होती है।

1 जनवरी, 2015 से , TRACES, CPC-TDS पर प्रोसेसिंग की तारीख से 7 दिनों की एक सुधार अवधि प्रदान करेगा (सामान्यतः विवरण दाखिल करने की तारीख से 2 दिन बाद)। इस सुविधा से, फाइलर CPC-TDS द्वारा पहचाने गए पैन नुटियों और चालान बेमेल मामलों को ठीक कर सकेंगे और डिमांड नोटिस जारी होने से बच सकेंगे। इसलिए, कटौतीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्रोसेसिंग स्थिति की तुरंत जाँच करें।

2.1.3 कटौतीकर्ता /डीडीओ ई-टीडीएस विवरण में किसी भी संशोधन के लिए एक सुधार ई-टीडीएस विवरण भी दाखिल कर सकते हैं। सुधार विवरण TRACES ([www.tdscpc.gov.in](http://www.tdscpc.gov.in)) पर उपलब्ध टीडीएस समेकित फ़ाइल का उपयोग करके तैयार किया जा सकता है। सुधार विवरण का सत्यापन नियमित ई-टीडीएस विवरण, विधिवत हस्ताक्षरित भौतिक फॉर्म 27A और TIN-FC पर विवरण सांख्यिकीय रिपोर्ट के अनुरूप होता है। TIN-FC पर सुधार ई-टीडीएस विवरण की सफलतापूर्वक स्वीकृति पर, कटौतीकर्ता /डीडीओ को एक विशिष्ट 15 अंकों का टोकन नंबर युक्त पावती प्रदान की जाती है। कटौतीकर्ता /डीडीओ TRACES वेबसाइट पर ई-टीडीएस विवरण की स्थिति देख सकते हैं।

### 3. टीआईएन-सुविधा केंद्रों (टीआईएन-एफसी) पर कागजी टीडीएस विवरण/रिटर्न तैयार करने और प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :

फॉर्म 24Q में सभी विवरण/रिटर्न कंप्यूटर मीडिया में प्रस्तुत किए जाने आवश्यक हैं, सिवाय उन मामलों के जहाँ कटौतीकर्ताओं के रिकॉर्ड की संख्या 20 के बराबर या उससे कम हो। कटौतीकर्ता /डीडीओ द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित कागजी विवरण/रिटर्न टीआईएन-एफसी पर प्रस्तुत किया जा सकता है। टीआईएन-एफसी पर कागजी विवरण/रिटर्न की सफल स्वीकृति पर, कटौतीकर्ता /डीडीओ को एक विशिष्ट 15 अंकों का टोकन नंबर युक्त पावती प्रदान की जाती है। कटौतीकर्ता /डीडीओ टीआईएन वेबसाइट पर कागजी विवरण/रिटर्न की स्थिति देख सकते हैं। कागजी टीडीएस विवरण/रिटर्न के लिए कोई शुल्क लागू नहीं है।

#### 3.1 कागजी विवरण/रिटर्न में सुधार:

टीआईएन पर स्वीकार किए गए भौतिक टीडीएस विवरण/रिटर्न में किसी भी सुधार की स्थिति में, भौतिक टीडीएस विवरण/रिटर्न को पुनः दाखिल करना होगा। कटौतीकर्ता , विधिवत भरे और हस्ताक्षरित भौतिक टीडीएस विवरण/रिटर्न के साथ नियमित कागजी विवरण/रिटर्न की अनंतिम रसीद की एक प्रति, टीआईएन-एफसी पर जमा करेगा। टीआईएन-एफसी पर सुधारात्मक कागजी विवरण/रिटर्न की सफलतापूर्वक स्वीकृति पर, कटौतीकर्ता /डीडीओ को एक विशिष्ट 15 अंकों का टोकन नंबर युक्त पावती प्रदान की जाती है। कटौतीकर्ता /डीडीओ, टीआईएन वेबसाइट पर कागजी विवरण/रिटर्न की स्थिति देख सकते हैं।

4. टिन वेबसाइट पर ई-टीडीएस स्टेटमेंट/रिटर्न ऑनलाइन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया: कटौतीकर्ता /डीडीओ को ई-टीडीएस स्टेटमेंट/रिटर्न के ऑनलाइन अपलोड के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) प्राप्त करना आवश्यक है। टिन वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद, कटौतीकर्ता /डीडीओ द्वारा संगठन के लेटर हेड पर एक प्राधिकरण पत्र एनएसडीएल को प्रदान किया जाना चाहिए। एनएसडीएल द्वारा आवेदन स्वीकृत होने के बाद, उपयोगकर्ता आईडी बनाई जाती है और पंजीकरण के समय प्रदान की गई पंजीकृत ईमेल आईडी पर कटौतीकर्ता /डीडीओ को सूचित किया जाता है। ई-टीडीएस स्टेटमेंट की तैयारी और सत्यापन नियमित ई-टीडीएस स्टेटमेंट/रिटर्न (टिन-एफसी में जमा ) के अनुरूप है। कटौतीकर्ता /डीडीओ अपने उपयोगकर्ता आईडी और डीएसएससी के साथ लॉगिन कर सकते हैं और एफवीयू द्वारा उत्पन्न मान्य ई-टीडीएस फ़ाइल (. fvu फ़ाइल) को टिन वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। टिन पर ई - टीडीएस स्टेटमेंट/रिटर्न की सफलतापूर्वक स्वीकृति ऑनलाइन अपलोड में भौतिक रूप से फॉर्म 27A जमा करने की आवश्यकता नहीं है। कटौतीकर्ता /डीडीओ टीआईएन वेबसाइट पर ई-टीडीएस विवरण/रिटर्न की स्थिति देख सकते हैं। ई-टीडीएस विवरण/रिटर्न के ऑनलाइन अपलोड के लिए कोई शुल्क नहीं है।

#### 4.1 टीआईएन वेबसाइट पर ई-टीडीएस विवरण/रिटर्न में ऑनलाइन सुधार:

कटौतीकर्ता /डीडीओ टीआईएन केंद्रीय प्रणाली में स्वीकार किए गए ई-टीडीएस स्टेटमेंट/रिटर्न में किसी भी संशोधन के लिए सुधार ई-टीडीएस स्टेटमेंट/रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। सुधार स्टेटमेंट/रिटर्न केवल टीडीएस समेकित फ़ाइल का उपयोग करके तैयार किया जा सकता है, जो टीएन पंजीकरण के माध्यम से सीपीसी-टीडीएस पोर्टल [www.tdscpc.gov.in](http://www.tdscpc.gov.in) पर उपलब्ध है। ई-टीडीएस स्टेटमेंट की तैयारी और सत्यापन नियमित ई-टीडीएस स्टेटमेंट/रिटर्न (टिन-एफसी में जमा) के अनुरूप है। कटौतीकर्ता /डीडीओ अपने यूजर आईडी और डीएससी के साथ लॉगिन कर सकते हैं और एफवीयू द्वारा उत्पन्न मान्य ई-टीडीएस फ़ाइल (. fvu फ़ाइल) को टिन वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। टीआईएन में सुधार ई-टीडीएस स्टेटमेंट/रिटर्न की सफलतापूर्वक स्वीकृति पर, एक अद्वितीय 15 अंकों का टोकन नंबर युक्त एक पावती तैयार की जाती है और प्रदर्शित की जाती है कटौतीकर्ता /डीडीओ टीआईएन वेबसाइट पर ई-टीडीएस विवरण/रिटर्न की स्थिति देख सकते हैं।

5. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और आगे की जानकारी के लिए, कटौतीकर्ताओं /डीडीओ को वेबसाइट [www.tin-nsdl.com](http://www.tin-nsdl.com) पर लॉग ऑन करने की सलाह दी जाती है।

## अनुबंध- VII

वित्त मंत्रित्व

(आर्थिक मामलों का विभाग)

(ईसीबी एवं पीआर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2003

एफ.सं. 5/7/2003-ईसीबी एवं पी.आर.- सरकार ने 23 अगस्त, 2003 को 2003-04 की बजट घोषणा को क्रियान्वित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जो सशस्त्र बलों को छोड़कर, पहले चरण में, परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली की मौजूदा प्रणाली को प्रतिस्थापित करते हुए, केंद्रीय सरकार की सेवा में नए प्रवेशकों के लिए एक नई पुनर्गठित परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली शुरू करने से संबंधित थी।

- में। जनवरी 2004 से केंद्र सरकार की सेवा में आने वाले सभी नए कर्मचारियों (प्रथम चरण में सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य होगी। मासिक अंशदान कर्मचारी द्वारा दिए जाने वाले वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत होगा और केंद्र सरकार द्वारा भी उतना ही अंशदान दिया जाएगा। हालाँकि, गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से कोई अंशदान नहीं होगा। अंशदान और निवेश पर प्राप्ति एक गैर-निकासी योग्य पेंशन टियर-I खाते में जमा की जाएगी। केंद्र सरकार की सेवा में आने वाले नए कर्मचारियों के लिए परिभाषित लाभ पेंशन और सामान्य भविष्य निधि के मौजूदा प्रावधान उपलब्ध नहीं होंगे।
- ii . उपरोक्त पेंशन खाते के अतिरिक्त, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार एक स्वैच्छिक टियर-II निकासी योग्य खाता भी खोल सकता है। यह विकल्प इसलिए दिया गया है क्योंकि केंद्र सरकार की सेवा में नए कर्मचारियों के लिए सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) की निकासी की जाएगी। सरकार इस खाते में कोई योगदान नहीं करेगी। इन परिसंपत्तियों का प्रबंधन ठीक उपरोक्त प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाएगा। हालाँकि, कर्मचारी अपनी 'द्वितीय श्रेणी' की राशि का कुछ या पूरा हिस्सा कभी भी निकालने के लिए स्वतंत्र होगा। यह निकासी योग्य खाता पेंशन निवेश नहीं माना जाता है और इस पर कोई विशेष कर नहीं लगेगा।
- iii . पेंशन प्रणाली के टियर-I से व्यक्ति सामान्यतः 60 वर्ष की आयु में या उसके बाद बाहर निकल सकते हैं। बाहर निकलने पर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से पेंशन राशि का 40 प्रतिशत निवेश करके एक वार्षिकी (IRDA-विनियमित जीवन बीमा कंपनी से) खरीदनी होगी। सरकारी कर्मचारियों के मामले में, वार्षिकी में कर्मचारी और उसके आश्रित माता-पिता तथा सेवानिवृत्ति के समय उसके जीवनसाथी के जीवनकाल के लिए पेंशन का प्रावधान होना चाहिए। व्यक्ति को शेष पेंशन राशि का एकमुश्त हिस्सा मिलेगा, जिसका वह किसी भी प्रकार से उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। व्यक्तियों के पास 60 वर्ष की आयु से पहले पेंशन प्रणाली छोड़ने की सुविधा होगी। हालाँकि, इस मामले में, अनिवार्य वार्षिकीकरण पेंशन राशि का 80% होगा।

#### नई पेंशन प्रणाली की संरचना

- ( में ) इसमें एक केंद्रीय रिकॉर्ड रखने और लेखा (सीआरए) का बुनियादी ढांचा होगा, कई पेंशन फंड प्रबंधक (पीएफएम) तीन श्रेणियों की योजनाएं अर्थात् विकल्प ए, बी और सी पेश करेंगे।
- ( ii ) भाग लेने वाली संस्थाएं (पीएफएम और सीआरए) पिछले प्रदर्शन के बारे में आसानी से समझ आने वाली जानकारी देंगी, ताकि व्यक्ति यह निर्णय ले सके कि उसे कौन सी योजना चुननी है।

जनवरी, 2004 से होगी।

यू.के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

अनुबंध- आठवीं

वित्त मंत्रित्व

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवंबर, 2000

आयकर एसओ1048 (ई) - आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (18) के उप-खंड ( i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इसके द्वारा उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए वीरता पुरस्कारों को निर्दिष्ट करती है, जो नीचे दी गई तालिका के कॉलम 2 में उल्लिखित हैं, जो इसके अनुरूप कॉलम 3 में उल्लिखित परिस्थितियों में प्रदान किए जाते हैं: -

क्रम

वीरता पुरस्कार का नाम

पात्रता की परिस्थितियाँ

सं.	(2)	(3)
(1)		
1.	अशोक चक्र वीरता	जब नागरिकों को प्रदान किया जाता है
2.	कीर्ति चक्र	- करना -
3.	शौर्य चक्र	- करना -
4.	सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक	यह पुरस्कार नागरिकों को जीवन रक्षक कार्यों में उनके द्वारा प्रदर्शित बहादुरी के लिए दिया जाता है।
5.	उत्तम जीवन रक्षा पदक	- करना -
6.	जीवन रक्षा पदक	- करना -
7.	असाधारण वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक	जब पुलिस बल, केंद्रीय पुलिस या सुरक्षा बलों के सदस्यों द्वारा प्रदर्शित साहसपूर्ण कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है और संबंधित विभाग के प्रमुख द्वारा इस आशय का प्रमाणन किया जाता है
8.	वीरता के लिए पुलिस पदक	- करना -
9.	सेना पदक या	जब यह पुरस्कार साहसपूर्ण, विशिष्ट वीरतापूर्ण कार्यों के लिए दिया जाता है तथा संबंधित सेवा मुख्यालय द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
10.	नाओसेना पदक	- करना -
11.	वायुसेना पदक	- करना -
12.	वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक	जब यह पुरस्कार साहस या असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिया जाता है और विभाग के अंतिम प्रमुख द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
13.	वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस एवं अग्निशमन सेवा पदक	-करना-
14.	वीरता के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक	-करना-
15.	राष्ट्रपति होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक	-करना-
16.	होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक	-करना-

(अधिसूचना संख्या 1156/ एफ.सं . 142/29/99-टीपीएल)

### अनुलग्नक IX

वित्त मंत्रित्व

राजस्व विभाग

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2001

एसओ81(ई)- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (18) के उपखंड ( i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इसके द्वारा उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए वीरता पुरस्कारों को निर्दिष्ट करती है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना संख्या एसओ1048(ई), दिनांक 24 नवंबर 2000 में निम्नलिखित संशोधन करती है : अर्थात:- उक्त अधिसूचना में, तालिका में, "पात्रता के लिए परिस्थितियों" से संबंधित कॉलम (3) के तहत क्रम संख्या 1,2 और 3 के सामने "नागरिकों के लिए" शब्दों को छोड़ दिया जाएगा।

(अधिसूचना संख्या 22/एफ.सं.142/29/99-टीपीएल)

अनुबंध- एक्स

फॉर्म संख्या 10बीए

(नियम 11बी देखें)

करदाता द्वारा दाखिल की जाने वाली घोषणा

धारा 80 जीजी के तहत कटौती का दावा

मुझे लगता है हम। . . . . .  
करदाता का नाम ) इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि पिछले वर्ष के दौरान. . . . . मैंने /हमने अपने निवास के प्रयोजन के लिए परिसर पर कब्जा किया था. . . . . (परिसर का पूरा पता) महीनों की अवधि के लिए और श्री/ सुश्री /मिस को किराए के भुगतान के लिए रु. . . . . . नकद/क्रॉस चेक, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किया है. . . . . (मकान मालिक का नाम और पूरा पता)  
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि किसी अन्य आवासीय सुविधा का स्वामित्व नहीं है।

- ( ए ) मैं/मेरा पति/पत्नी/मेरा नाबालिग बच्चा/हमारा परिवार (यदि करदाता एचयूएफ है), . . . . . जहां मैं/हम सामान्यतः निवास करते हैं/अधिकारी या रोजगार के कर्तव्यों का पालन करते हैं या व्यवसाय या पेशा करते हैं, या
- ( बी ) मुझे/हमें किसी अन्य स्थान पर, जो मेरे कब्जे में आवास है, जिसका मूल्य धारा 23(2)(ए)( आई ) या धारा 23(2)(बी) के तहत निर्धारित किया जाना है।

